राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के पहले सत्र का सातवां दिवस संख्या 5

बुधवार,
07 जनवरी, 2009

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)
(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्नकाल

श्री अध्यक्षः डाक्टर दिगम्बर सिंह।

विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में जंगली गायों की रोकथाम हेतु कार्य योजना

16. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के ग्राम माण्डेरा में करीब 350 हेक्टेयर भूमि पर स्थित रूंध में काफी तादाद में जंगली गायें विचरण करती हैं जिससे आसपास के लगभग 40 गांवों की खेती की फसल बरबाद हो जाती है है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जी, नहीं। ये जंगली गायें नहीं हैं, अपितु निजी गाय मालिकों द्वारा छोड़ी गई वे गायें हैं, जो दूध नहीं देती। गाय मालिकों द्वारा बिना दूध देने वाली गायें छोड़ दिए जाने के कारण फसल की हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

फसल की हानि ना हो, इसलिए रूंध क्षेत्र की बाउण्ड्री निर्माण की कार्य योजना विचाराधीन है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस है, जहां 40-50 गांवों की जनता परेशान है, सरकार का इतना संवेदनहीन जवाब है कि वे जंगली गायें नहीं बल्कि मालिकों द्वारा छोड़ी गई, जो दूध नहीं देती वे गायें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम 15-20 हजार की संख्या में गायें विचरण करती हैं, नील गाय जिसको कहते हैं, वे हैं और 40 गांवों के लोग जंगल में सोते हैं इस ठण्ड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, घर तो खाली पड़े रहते हैं और सारे लोग, औरतें और आदमी जंगल में सोते हैं। मैं अभी चुनाव प्रचार के दौरान जब गया तो नई शादी होकर जो महिलाएं आईं, उन्होंने भी हाथ जोड़ कर कहा कि इस रूंध की कुछ व्यवस्था करवाओ, हमारी शादी होने के बाद हमारे आदमी तो सोते हैं खेत पर और हम सोते हैं घर में, यह हालत है। आपने कहा है कि ये गायें जंगली नहीं हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इनके अधिकारियों द्वारा यह बिलकुल गलत रिपोर्ट दी गई है, इसकी दुबारा से एक बार जांच कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि इसकी आपने जो कार्य योजना विचाराधीन बताई बाउण्ड्रीवाल की, इस पर कितना व्यय करने की योजना सरकार की है, कब शुरू होगी और कब तक इसका निर्माण कम्पलीट होगा, जिससे 40-50 गांवों की जनता को राहत मिल सके?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दिगम्बर सिंहजी साहब ने इसका टोटल एरिया बताया 350 हेक्टेयर जबकि इसका एरिया है 888 हेक्टेयर। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कहा कि यह सारी नील गायें हैं। जो इन्फोर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक 485 गायें हैं नोन मिल्किंग, जो डिसोन काउज होती हैं, जो दूध नहीं देती हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वहां 34 बछड़े हैं, 46 साण्ड हैं, 455 के करीब नील गायें हैं। तीसरी बात जो आपने फरमायी, फसलों की हानि होती है उससे, मैंने पहले भी कहा कि मैं इन्कार नहीं करता...।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट बैठें।

मैं आपसे पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, पुन: आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में मोबाइल के लिए प्रतिबन्ध है। यदि इसी प्रकार का रवैया रहा तो मुझे मजबूर होकर के कल आप अपने आपको अपमानित न समझें, बाहर चैकिंग करवानी पड़ेगी कि मोबाइल हाउस में न आए। पुन: आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मोबाइल के मामले में मैं जरा सख्ती से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया मोबाइल के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय का ही बज रहा है। ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय का ही मोबाइल बज रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जब्त कर लो जिसका मोबाइल बजे, सबको क्यों दण्डित करते हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): यह सब रोज-रोज कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल है, इनको तलाशी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब प्रश्न का दीजिए इनका नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनका मोबाइल नहीं बजता, खुद ही बजते होंगे फिर।

श्री अध्यक्ष: सदन में केवल अध्यक्ष ही या आसन ही घण्टी बजा सकता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मैंने जैसा आपको बताया नील गायों की समस्या कोई एक माण्डेरा रूंध तक ही सीमित नहीं है, पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश की समस्या है, प्रदेश के हर इलाके में यह नील गायें नुकसान करती हैं, यह आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि नील गायों को मारना गैर कानूनी है। कई बार यहां से रिप्रजेण्टेशन जा चुका है लेकिन केन्द्र सरकार इसको इस अनुसूची से दूसरी अनुसूची में डालेगी तब जाकर हो सकता है। फिर भी सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि छह-छह, सात-सात अधिकारियों को यह अधिकार दे रखें हैं कि नील गायों से अगर कोई परेशान है तो वह उनको मारने की इजाजत ले सकता है। मेरा निवेदन यह है कि जैसा आपने बताया कि इसके लिए क्या कार्य योजना है, कुल मिलाकर 25 हजार रनिंग मीटर, यह पूरा रूंध है, 25 हजार रनिंग मीटर का अर्थ हो गया 25 किलोमीटर की जो योजना बननी थी अभी वह यह थी कि डेढ़ फीट चौड़ी और चार फीट ऊंची चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए, उस पर चार करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित था लेकिन बाद में जब यह देखा गया कि चार फीट ऊंची दीवार को भी ये गायें कूद जाएंगी तो फिर यह प्रस्ताव आया कि सात फीट ऊंची यह दीवार बनाई जाए, उस पर कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि यह कार्य योजना विचाराधीन है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो आंकड़े मंत्री महोदय ने सदन में रखे वे नितान्त +++असत्य ...(व्यवधान)... बात एक ही आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: +++ को एक्सपंज कर दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भरतपुर की भाषा कभी-कभी निकल आती है, अध्यक्ष महोदय, बृज भाषा में कभी-कभी आ जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

इन्होंने जो गायों की संख्या...।

श्री अध्यक्षः यानि बृज भाषा में ±±± का समावेश चल जाएगा?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्षः यह सदन है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बृज भाषा में कई तरह के शब्द ऐसे हैं जिनके बिना सेंटेंस ही पूरा नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास जो आंकड़े हैं, वे नितान्त असत्य हैं। इतनी कम संख्या में अगर गायें, बछड़े और साण्ड हो तो हमारे यहां के लोग इतने दमदार हैं कि उनको जबर्दस्ती बाड़े में बन्द कर दें। उन नील गायों की संख्या कम से कम 20 हजार है और उनसे 40 गांव जो परेशान हैं, आपने जो सुशासन, अच्छा शासन देने का वादा जनता से किया है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि गलत आंकड़े सदन में पेश नहीं करें, बात की गम्भीरता को समझें। कोई एक विधान सभा क्षेत्र के करीब 50 गांव परेशान हो तो कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। नील गायों की समस्या और जगह भी होगी, मैं यह नहीं कहता कि नहीं है, परन्तु चूंकि यहां पर एक इतना बड़ा फोरेस्ट का टुकड़ा है जहां केवल यह जंगली बबूल के अलावा कुछ नहीं है, उसमें विचरण करती हैं नील गायें और आसपास के 50 गांवों में पूरी फसलों को बरबाद करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 करोड़ का आपने मुझे बताया, क्योंकि सात फीट से कम की अगर बाउण्ड्री वाल बनी तो यह नील गायें इतनी दमदार हैं कि छह फीट तक तो यह आराम से क्रोस करके निकल जाती हैं, सात फीट ऊँचाई की बाउण्ड्री वाल बननी चाहिए और 8 करोड़ का खर्चा मैं समझता हूं कि 50 गांवों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह और जानना चाहूंगा कि यह निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा और कितने दिन में कम्पलीट हो जाएगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं रूंध में गया था चुनाव के दिनों में, रूंध में काहे को गए थे आप?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): रूंध में भी कई गांव बसे हुए हैं जिनमें वोट मांगने के लिए गया था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आपको एक एतराज है कि मैंने जो फीगर दी है कि कितने बछड़े हैं, कितनी गायें हैं, कितने साण्ड हैं और कितनी नील गायें हैं...।

±±± शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, गायें चाहे बछड़े हों, गायें हों, साण्ड हों, 20 हजार से ज्यादा की संख्या हैं, तीन सौ, चार सौ की संख्या के लिए तो हम आपको, सदन को इतना परेशान नहीं करते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मैं विभाग को यह निर्देश दूंगा कि वह दुबारा से गिनती कर लें लेकिन आपको साथ रहना पड़ेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अब तो आपके साथ हूं, सदन के अन्दर भी आपके साथ तो सदन के बाहर भी आपके साथ। आप तो यह बता दीजिए कि 8 करोड़ का काम कब से शुरू कर देंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): योजना बन रही है, ज्यों ही योजना कम्पलीट होगी उसके बाद बता देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तो अनुमानित समय आप बता दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): विचार किया जाएगा।

Skp/akt/07.01.2009/11.10/1b

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): समय अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार की मन्शा तो स्पष्ट कर दीजिये कि आप बाउण्डरी वाल बनायेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मन्शा बहुत साफ है। इस समस्या से गांव वालों को किस प्रकार से छुटकारा मिले इस बात के लिए इस सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि थोड़ा प्रेक्टिकल सोच रखें और आपके मंत्री मण्डल के साथी हैं भरत सिंह जी, उनसे भी राय ले लें कि 4 फीट की ऊँचाई की दीवार कोई मायने नहीं रखेगी, इसके लिए कम से कम आप 7 से 8 फीट जैसा भी आपका बजट हो लेकिन वो खर्चा उपयोग में हो जाए इसलिए यह विशेष ध्यान में रखें। भरतपुर वाले तो पीड़ित हैं ही लेकिन यह पूरा राजस्थान नील गाय से पीड़ित है इसलिए उसका भी कोई रास्ता निकालो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि चार फीट की ऊँचाई की चार करोड़ रुपये खर्च करने की जो योजना थी उसको रिजैक्ट कर दिया है और 7 फीट पर काम चल रहा है कि 7 फीट की योजना पर कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगली गाय ही नहीं, जंगली सुअर और कहीं-कहीं बंदरों का आतंक है। यह जो सरकारी सम्पत्ति है उस सम्पत्ति के लिए वन विभाग उनको किस तरह से रोके यह आवश्यकता है। मेर विंगला गांव में बंदरों का इतना आतंक है कि गांव वाले लट्ठ लेकर के खड़े रहते हैं और मेहमान लोग जब जीम रहे होते हैं, भोजन करते हैं तो उनके बीच में आकर के झपट कर ले जाते हैं। तो यह भी सरकार के बंदर है, यह समस्या जंगली सुअर और रोजड़ों की ऐसी है कि लोग कहते हैं क्या हमारे को डंडों से जिमाओगे।

श्री अध्यक्ष: यह सरकार के बंदर से क्या मतलब है आपका?

एक माननीय सदस्य : सरकारी बंदरों से है, धारीवाल जी करेंगे इनका।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): वन विभाग इसका मालिक है साहब।

श्री मंगलाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नील गाय की समस्या माननीय सदस्यों ने बताई है तो नील गाय की समस्या सब जगह है। नील गाय जब तक कम से कम 9 फीट की दीवार नहीं होगी तब तक यह रुक नहीं सकती। 8-9 फीट ऊपर से भी नील गाय जा सकती है इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था हो कि जहां बंजर भूमि कई जगह पड़ी है उस बंजर भूमि में आप अलग-अलग एरिया बनाकर के इस नील गाय को रोकेंगे तो व्यवस्था हो सकती है अन्यथा यह सही बात है कि खेत के अन्दर नील गाय जिस जगह बढ़ जाती है वह रुक नहीं सकती चाहे मालिक कितनी ही रखवाली करे और उसको आप मार भी नहीं सकते। वह सामने आ सकती है, नुकसान कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं।

श्री मंगलाराम (डूंगरगढ़): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसा एरिया और भी जगह है जहां बंजर भूमि पड़ी है और मेरे यहां भी चार हजार बीघा भूमि पड़ी है। उसमें दानदाता बनाने के लिए तैयार है। अगर सरकार अनुमति दे तो दानदाता चारदीवारी बनाने के लिए तैयार है और उस नील गाय को वहां रोका जा सकता है। आप अनुमति दें तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो इसके रिजोइंडर में आ जाएगी। He will not have to get up again. इसी के रिजोइंडर में मैं एक बात कह देता हूं।

श्री मंगलाराम (डूंगरगढ़): ...... गोचर भूमि है और सरकार अगर अनुमति दे तो दानदाता चारदीवारी बनाकर के उसमें घास लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरा तो

आपसे निवेदन है कि उसमें गाय भी रुक सकती है और वहां नील गांय भी रुक सकती है।

श्री अध्यक्षः बैठिये। राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि नील गाय के अलावा आपने एक बात फरमाई कि आवारा गायें हैं जो उनके मालिकों द्वारा छोड़ दी जाती हैं, it is widely spread, entire Rajasthan probably. आप लोग रात को चले जाएं काश्तकार, इस चीज पर लें कि आपकी कितनी ऐसी गौशालाएं हैं जिनकी आपने स्वीकृति देकर या तो वो पंजीकृत हैं या अपंजीकृत हैं जिनकी सिवाय चक और गोचर......

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, गौशालाओं से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट। जब आपने आवारा गाय की बात कह दी तो गौशालाओं का मुख्य काम यही है कि आवारा गायों को गौशालाओं में सीमित रखें जिससे काश्तकार उस हानि से परेशान नहीं हो सके। इतनी गौशालाएं हैं लेकिन वहां पर वो वास्तव में काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं तो सब डिविजनल लेवल पर या तहसीलदार लेवल पर अगर इसका सर्वे आ जाए तो कम से कम.....

श्री अध्यक्षः यह अलग से प्रश्न है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर मंत्री महोदय, आप सवाल का जवाब दे सकें तो यह एक रिलेटेड मैटर है। दूसरा जो माननीय सदस्य ने फरमाया बंदरों का आतंक, सरकारी या गैर सरकारी का मामला नहीं है, जितने बंदर हैं, जहां-जहां आतंक फैला रहे हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था क्या है? वो पंचायतों और नगरपालिकाओं को यह कहते हैं कि आप अपनी मद से, आप अपनी आय से इनको करवाइये। नगरपालिकाओं के पास तो फिर भी आय है लेकिन ग्राम पंचायतों के पास अधिकांश कोई निजी आय नहीं है जिससे इस आतंक से परेशान लोगों को किस तरीके से हम सुरक्षित कर सकें इसको अगर आप उचित समझें तो इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्षः अंतिम पूरक प्रश्न आपका है। एक साथ सब का जवाब दे दें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह पहले तो मुझे स्पष्ट कर दें कि ये रोजड़े और नील गाय सेम हैं या अलग-अलग हैं?

श्री अध्यक्षः सेम हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सेम है तो अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि यह समस्या केवल पर्टिकूलर स्थान की नहीं है, पूरे राजस्थान की है। इसके लिए मेरे क्षेत्र में इसकी रखवाली के लिए 3-4 परिवार ऐसे हैं जो गरीब लोग थे जो रखवाली करते वक्त

सर्दी से मर गये इसलिए इस पर तो विशेष ध्यान दिया जाए और इसका बर्थ कंट्रोल हो सकता है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने बताया, देखिये गौशालाओं में भेजने के बाबत जिला प्रशासन और गो सेवा संघ के बीच में समन्वय स्थापित करने के निर्देश जारी किये जाएंगे ताकि जो डिस-आंड काऊज हैं वो जंगल में न जाकर के इनमें चली जाएं तो कुछ समस्या पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि रोजड़ों की समस्या जैसा मैंने बताया कि यह प्रदेश स्तर की है, कुल मिलाकर के इसकी संख्या 62 हजार के करीब बैठती है और अलग-अलग एरिया में अलग-अलग है। जैसा आपने फरमाया कि 4 फीट की दीवार इनसफिशिएंट है तो 7 फीट के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो प्रश्न माननीय दिगम्बर सिंह ने उठाया है उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री हरिसिंह जी रावत।

देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (भीम) हेतु वाहन व्यवस्था

17. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के कामलीघाट चौराहा से चलने वाले सभी टैम्पू व टैक्सियों को देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होतु हुए चलाने हेतु जारी अनुज्ञा पत्र में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): जी नहीं। विधान सभा भीम के कामलीघाट चौराहा से चलने वाले सभी टैम्पू व टैक्सियां संविदा वाहन अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण देवगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में संचालन हेतु अधिकृत हैं। ऐसी स्थिति में इनके अनुज्ञा पत्रों में देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक संचालन का अलग से इन्द्राज किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। जहां तक कामलीघाट चौराहा से देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक वाहन संचालित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा मंजिली वाहनों के मार्ग का सर्वेक्षण करवा लिया गया है। सर्वेक्षण के उपरान्त मार्ग खोले जाने पर यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग पर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा तो उसे नियमानुसार अनुज्ञापत्र दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे आपका क्वेश्चन ही कंट्रोवर्सियल लग रहा है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि अलग से इंद्राज किया जाना नियमों में संभव नहीं है और दूसरा अभी लिख रहे हैं कि इस सम्बन्ध में विभाग

द्वारा मंजिली वाहनों के मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है। तो आप पहले तो यह स्पष्ट करें कि दोनों क्वेश्चन कंट्रोवर्सियल कैसे कर रहे हैं। दूसरा, कौनसे नियमों में यह लिखा है कि आपके इस नियम में आता ही नहीं है। आज जब वहां हास्पिटल है और जब कामलीघाट से कोई टैम्पू या टैक्सी चलती है तो वाया हॉस्पिटल होकर के नहीं जाकर के सीधे जाती है तो सीधी जाने के कारण मान लो हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो नाजायज पैसा वसूल किया जाता है टैक्सी वालों के द्वारा। वो कहते हैं कि वहां जाऊंगा तो 50 रुपये लूंगा और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई डिलीवरी केस होता है या कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति होता है तो उसको रोड पर ही छोड़कर के चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन हे कि यातायात विभाग के आपके आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. से उनको प्रतिबंधित करें कि जो भी वहां से जाए वो वाया हॉस्पिटल होकर जाए क्योंकि हॉस्पिटल तो सार्वजनिक स्थान है, सब के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी आपके अनुज्ञापत्र जारी होते हैं उनमें इसको भी इंद्राज किया जाए कि जो भी टैम्पू, टैक्सी यहां से जाएगी वह हॉस्पिटल होकर के जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल वहां से एक किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से इतनी परेशानी होती है कि कई बार रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा रात होती है और कोई टैक्सी वाला जाता है तो तीन गुना, चार गुना पैसा वसूल करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप डी.टी.ओ. को बाध्य करें कि जो भी जाएगा वह वहां वाया हॉस्पिटल होकर जाएगा। फिर आपने लिखा है कि अगर कोई आवेदन करेगा तो, आवेदन कोई करना भी नहीं चाहता क्यों कि अगर मान लो कोई आवेदन करेगा तो उसको वहां जाना पड़ेगा इसलिए वो आवेदन नहीं करता है तो मनमाना पैसा वसूल करता है इसलिए भ्रष्टाचार पर भी थोड़ा कंट्रोल होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप डी.टी.ओ. को बाध्य कर दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा।

दूसरा, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और भी है कि अभी हमारे पाँच साल के कार्यकाल में मेरे क्षेत्र में 165 के गरीब पीएमजीएसवाई के माध्यम से सड़कें बनी हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि..

मोहन/अरूण/07012009/1120/1c

क्या उन रोड्स पर सरकारी, राजस्थान रोडवेज या प्राइवेट बसें चलाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): यह भी साथ में दे दें।

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हरिसिंह जी ने दो बातों का जिक्र किया है। एक बात का तो जिक्र किया कि जो आलरेडी 45 वाहन पंजीकृत हैं उन वाहनों में इसके लिए स्वास्थ्य केन्द्र को जोड़ा जाए, वह यह जो स्वास्थ्य केन्द्र है, वह अभी बना है इसलिए उसको उनकी अनुज्ञा पत्र में जोड़ना संभव नहीं है। हमने उस बात का सर्वे करा लिया है और सर्वे कराने के बाद सरकार ने फैसला कर लिया है कि अगर कोई वाहन, कोई प्रार्थी उसमें अनुज्ञा पत्र लेना चाहे तो हम अनुज्ञा पत्र देने को तैयार हैं इसलिए इसमें डिले होने का या कोई और कारण उठता ही नहीं है। जब सरकार आलरेडी तैयार हैं वहां, चलाने के लिए तो उसकी जरूरत ही नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह तो नगरपालिका के अन्तर्गत ही आता है न, कहां इसमें दिक्कत है, यह अलग से है और फिर दूसरा यह तो हास्पिटल बने हुए है, अध्यक्ष महोदय, चार साल हो गये, चार साल हो गये, उसको शिफ्ट किए हुए, अभी नया कहां से बन रहा है? दूसरा, यह आप बोल रहे हैं कि हम नगरपालिका, जब नगरपालिका के क्राइटेरिया में आता है तो फिर अलग से तो इसकी कोई बात ही नहीं है न।

श्री अध्यक्ष: डा. रोहिताश।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य के जवाब में कहा चूंकि यह कस्बे के रूट का मामला है, मोटर व्हीकल एक्ट में स्टोपेज के मामले को लेकर कहीं अनुज्ञा पत्र में जोड़ने, न जोड़ने की कहीं कोई बात नहीं है तो माननीय माननीय मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा मोटर व्हीकल एक्ट की स्टडी कर लें।

श्री अध्यक्ष: आपके समय में नहीं होगा, इनके समय में शायद हो सकता है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कहीं नहीं है, मोटर व्हील एक्ट भारत सरकार का है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, मैंने उनको इजाजत दे दी है। ...(व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): स्टोपेज में मोटर व्हीकल एक्ट कहीं आंट नहीं करता। अनुज्ञा पत्र में आपकी कोई जरूरत भी नहीं, स्टोपेज लोकल रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर अपनी मर्जी से जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टोपेज की व्यवस्था कर सकता है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जवाब देने दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट केरेज में यह साफ है कि जो स्टोपेज दिए हुए हैं जिसके लिए लाइसैंस इश्युड हैं उसी तक जाएंगे,

इसमें तो कोई दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं, जब सरकार आलरेडी जहां की डिमांड है, वहां सरकार चलाने को तैयार है तो फिर प्रश्न ही कहां से उठता है?...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय, प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसमें सवाल पर एक पूरक प्रश्न माननीय माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी। जब उन्होंने यह बात कही कि हमने अस्पताल जो वहां देवगढ़ में चल रहा है, वह चार साल हो गये, उस अस्पताल को बने और उसके बाद भी वहां पर अस्पताल तक अगर मरीज पहुंचने में दिक्कत आ रही है, वहां के लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और इसीलए माननीय हमारे सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि क्यों न वह जो व्हीकल्स वहां से जो बसेज जा रही हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं, इनको वहां तक का लाइसेंस मिले, अन्यथा तो प्राइवेट जो कांट्रेक्ट बेसिस पर चल रही हैं उनको परमिट मिल जाए और वह रूट खुले लेकिन सवाल इस चीज का है कि प्राइवेट जो गाड़ियां हैं, वह उस रूट पर इसलिए नहीं जाना चाहती कि वह वहां पर उनको पैसा बराबर नहीं मिलेगा या उन्हें वहां पर बराबर सवारी नहीं मिलेगी इसलिए वह जाने में कतराते हैं या जाएंगे तो वह मुंह मांगे पैसे लेंगे, अगर मुंह मांगे पैसे लेंगे तो जनता को थोड़ा बहुत नुकसान होगा और इसलिए यह जनता के हित में होगा कि हम हमने अस्पताल वहां बनाया है तो अस्पताल के रूट को लेकर अगर गाड़ियां वहां तक जाएं तो उसके लिए ठीक होगा और यह बहुत ही जनहित की बात है और इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहस की आवश्यकता होगी तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी और यह पूछना चाहूंगी कि आप सीधे सीधे यह बता दीजिए कि क्या आप इस रूट के अन्दर, उस अस्पताल तक करने के लिए उसको परमिट देंगे या नहीं, सिर्फ मेरा यही प्रश्न है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रश्न के मूल उत्तर में ही यह बात कह चुका हूं कि हम उसके लिए अनुज्ञा पत्र देने को तैयार हैं लेकिन साथ ही साथ बार बार माननीय सदस्या जी ने कहा चार साल से है, चार साल से तो सरकार इनकी थी, इनको करना चाहिए था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अशोक डोगरा। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न हो चुका है, आपका नहीं है, राजसमंद का है।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाएं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: विधायक महोदय, प्लीज बैठ जाएं, नहीं, अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, मंत्री महोदय जवाब के लिए खड़े हो गये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

कृषि उपज मण्डी, बून्दी में नवीन यार्ड की स्थापना

18. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी, बून्दी में कृषि जिंसों की दैनिक आवक कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान कृषि मण्डी में दैनिक आवक के उठान की पर्याप्त व्यवस्था है?

(3) क्या यह सही है कि कृषि जिंसों को लेकर आने वाले वाहनों को दो दो, तीन तीन दिनों तक मण्डी में खाली होने के लिए रूकना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान मण्डी के स्थान पर एक बड़ा मण्डी यार्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कहां तथा नहीं, तो क्यों ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, (1) कृषि उपज मंडी, बूंदी में कृषि जिंसों की दैनिक आवक पीक सीजन में 40 से 45 हजार बोरी एवं आफ सीजन में 8 से 12 हजार बोरी रहती है।

(2) जी नहीं। पीक सीजन अक्टूबर से नवम्बर और मार्च से अप्रेल में अधिक आवक के दबाव के कारण दैनिक आवक उस दिन नहीं उठ पाती। शेष समय में दैनिक आवक के उठान की पर्याप्त व्यवस्था है।

(3) जी नहीं। पीक सीजन में कृषि जिंसों को लेकर आने वाले वाहनों को साधारणतया एक दिन रूकना पड़ता है। मंडी प्रांगण के विस्तार हेतु भूमि लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्राप्त होने पर नवीन मंडी यार्ड का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसान जो ट्रोली लेकर वहां आएगा, वह 4-4, 5-5 दिन तक सर्दी में, बरसात में इंतजार भी करेगा, उसकी ट्राली उसी दिन खाली हो जाए, उसके माल का बेचान हो जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह समस्या है, निश्चित तौर पर है, उसके बाबत विभाग भी जानता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो वहां पर मंडी है, वह करीब करीब 80 बीघा में है लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि उसकी मंडी के बिलकुल बीच से एक आम रास्ता जा रहा है जिससे मंडी दो भागों में विभाजित हो जाती है उससे दिक्कत आती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई 3-3, 4-4 रोज तक काश्तकारों को वहां पर रहना पड़े, समस्या यहां आती है कि जब खरीदार फसल की खरीदार लेता है लेकिन उठाने में देर करता है तो वह व्हीकल्स की लम्बी लाइंस लग जाती है। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि इस बात की तलाश की जा रही है कि नवीन मंडी के लिए कहां पर भूमि आइडेंटिफाई हो। एक जमीन आइडेंटिफाई भी हो गई थी चित्तौड़ रोड पर हरसोली के पास लेकिन व्यापारियों ने मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाना चाहते, व्यापारी चाहते हैं कि कोटा रोड पर नई मंडी बने, कोटा रोड पर जितनी भी जमीनें हैं वह काश्तकारों की जमीनें हैं या फोरेस्ट की लैंड है। फोरेस्ट की लैंड लेने में दिक्कत आती है और काश्तकारों की अवाप्त करने में दिक्कत आती है तो मैं आपके माध्यम से विधायक महोदय से कहूंगा कि वह भी अपने प्रभाव का उपयोग करें और कहीं कोई लैंड आइडेंटिफाई हो सकती है तो उसको विभाग को बताएं। निश्चित तौर पर नई मंडी स्थापित करने का सरकार विचार रखती है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्ष जी, जो हरसोली ग्राम की बता रहे हैं मंत्री जी, 428 बीघा सरकारी जमीन है, सवाईचक जमीन है, जब काश्तकार 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से आएगा तो 5 किलोमीटर आगे भी चला जाएगा, मंडी जहां भी लगेगी, व्यापारी तो अपने आप जाएंगे, उस जमीन पर लोग-बाग कब्जा कर रहे हैं, यदि वहां पर मंडी का निर्माण हो जाए तो जो शहर में बार बार ट्रेफिक जाम होता है उसकी समस्या भी दूर हो जाए और काश्तकारों को यदि हरसोली वाली जमीन जो 428 बीघा है उसमें मंडी का निर्माण हो जाए। सरकार एक समय सीमा बता दें कि 3 महीने या 6 महीने में, कितने दिन में यह समस्या का हल हो जाएगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): उस विभाग के अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, निर्देश दूंगा कि वह विधायक महोदय के साथ और सारे व्यापारियों को बुला कर के और काश्तकारों के रिप्रजेंटेटिव को बुला कर इस बारे में विचार कर लें कि हरसोली रोड पर अगर वह तैयार हों तो निश्चित तौर पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे प्रेरित प्रश्न है, मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो कृषि मंडी की जो सड़कें जो गत टाइम पर बनी थी।

Gpc/akt/07012009/1130/1d

वो कृषि उपज मण्डी की सड़कें इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः यह बूंदी की कृषि उपज मण्डी के यार्ड के संबंध में प्रश्न है।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगून्दा): कहीं का भी हो ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः यह अलग प्रश्न है, सड़कों से संबंधित नहीं है माननीय सदस्य यह प्रश्न।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगून्दा): उपज मण्डी की सड़कों का ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः प्लीज, बैठिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगून्दा): उपज मण्डी की बात को लेकर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः प्लीज, विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 5 साल में कृषि उपज मण्डी की सड़कों पर सरकार ने खड्ढे ही खड्ढे कर दिये।

श्री अध्यक्षः नेक्स्ट क्वश्चन। श्री शिवजीराम जी मीणा।

जनजाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों को माडा योजना का लाभ

19. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनजाति बाहुल्य गांवों को माडा खण्डों में विभक्त किया गया है? यदि हां, तो अन्तिम रूप से विभक्त माडा खण्डों की गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माडा गांवों के जो मजरे स्वतंत्र गांव घोषित हो गये हैं, उन गांवों को माडा गांव का दर्जा प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे गांवों का सर्वे करवाकर पात्रता रखने वाले गांवों को माडा गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): (1) जी हां। यह सही है कि राज्य में अनुसूचित क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्त जनजाति बाहुल्य गांवों को माडा खण्डों में विभक्त किया गया है। वर्तमान में अंतिम रूप से विभक्त माडा खण्डों की गांववार सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खण्ड नम्बर 2 ....(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यशाला पहले मंत्रीगण की हो जाए, जवाब भी अधूरा दे रहे हैं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): (2) इस संबंध में स्थिति यह है कि जो मजरे जनगणना 2001 तक राजस्व गांव घोषित हुए हैं तथा माडा ब्लाक के माडा गांव से विभाजित होकर बने हैं। ऐसे ग्राम अनुमोदित माडा लघुखण्डों के विभाजित ग्राम हैं तथा माडा लघुखण्डों के बीच स्थित हैं इसलिए वह माडा गांव हैं।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने खण्ड-एक में फरमाया कि सूची परिशिष्ट 1 और 2 पर संलग्न है और आपने दो में यह फरमाया है कि माडा लघुखण्डों के बीच जो गांव हैं वो माडा गांव हैं वे आपकी सूची में शामिल क्यों नहीं किये गये? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2001 के बाद जो गांव बने या उससे पहले बने हैं और आप कह रहे हैं माडा गांव हैं फिर आपकी सूची में शामिल क्यों नहीं हैं?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, वर्तमान समय में 121 गांवों को इसका लाभ मिल रहा है और 13 गांव ऐसे हैं जो वर्तमान समय में भारत सरकार को इसकी आवश्यक कार्यवाही हेतु जोड़ने हेतु भिजवाये गये थे इसकी इंक्वायरी वापस आयी है और उसको बहुत जल्दी पूर्ण करके भारत सरकार को भिजवाएंगे ताकि समय रहते उन गांवों को भी लाभ मिल सके।

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं ....(व्यवधान)....

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): भूतपूर्व मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): भूतपूर्व क्या होता है, अभूतपूर्व बोलो। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य। ....(व्यवधान)....

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि माडा क्षेत्र में जो गांव सम्मिलित हैं इनके रेवेन्यू विलेज, मजरे और ढाणियां भी सम्मिलित हैं। माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि माडा क्षेत्र में जो मजरे थे वो रेवेन्यू विलेज बन गये। रेवेन्यू विलेज बनने के बाद माडा क्षेत्र में उन गांवों की क्या स्थिति है? क्या जनजाति विकास विभाग उन माडा क्षेत्र में सम्मिलित जो गांव रेवेन्यू विलेज में सम्मिलित मजरे और ढाणी हो गये हैं उनको सुविधा दी जा रही है या नहीं या देने का विचार है या नहीं? जहां तक आप बता रहे हैं भारत सरकार को हमने प्रस्ताव भेजा है, माननीय मंत्री महोदय, स्टडी करके आइए यह तो वे प्रस्ताव हैं जो उस एरिया को बढ़ाने के लिए हैं जिस एरिया के अंदर रेवेन्यू विलेज कायम हो गये हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आपने जो अधूरे काम छोड़े हैं वे अब हम पूरा करेंगे।

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): अधूरे काम हमने तो छोड़े ....(व्यवधान)....

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह आपके समय का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं। ....(व्यवधान).... प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। ....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य: यह कब के अधूरे हैं आप बताइए। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कौनसी परिपाटी हो रही है हाउस में?

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): हमें यह बताएं कि हमने कौनसे अधूरे काम छोड़े हैं।

एक माननीय सदस्य: जवाब मंत्रीजी से मांगा गया है। ....(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, बहुत आदर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले मैं कह चुका हूं 121 गांव हैं जिनको हम सुविधा दे रहे हैं शेष मात्र 13 ऐसे क्षेत्र हैं जो विचाराधीन हैं, लेकिन वे उन गांवों का भाग है, हिस्सा है इसलिए उन गांवों को भी इस लाभ से हम वंचित नहीं करना चाहते हैं इसलिए अवश्य रूप से क्योंकि वह हमारे गांव का हिस्सा बना है, एक मजरा था उसको गांव घोषित किया है उसी जनसंख्या के साथ वो जुड़ा हुआ है इसलिए उनको हम पूरा लाभ देंगे, यह विश्वास हम दिलाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिवासियों को जो लाभ मिलता है इस ट्राइबल एरिया में मेरा निवेदन है कि जिन गांवों के लिए आप मान रहे हैं कि इसमें शामिल हैं, आपने यह जवाब दिया है ''ऐसे गांव अनुमोदित माडा लघुखण्डों के विभाजित ग्राम हैं तथा माडा लघुखण्डों के बीच स्थित हैं इसलिए वह माडा गांव हैं।'' तो आपकी जो सूची 121 की है, पहली बात तो यह है कि 121 की सूची गलत है आपको इसको ठीक कर लें 121 से ज्यादा गांव हैं, 181 गांव हैं। यह आप केवल जहाजपुर का जवाब दे रहे हैं मैं पूरे राजस्थान का पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सूची में शामिल कब कर लेंगे? 2001 की सेंसस के आधार पर आपने सूची शामिल की है गांवों। 121 को करेक्ट कर लें, आपके विभाग के अधिकारी बैठे हैं, आपको गलत जवाब दे रहे हैं। आप यह जवाब दीजिए। आप यह मान रहे हैं जनगणना 2001 तक राजस्व गांव घोषित हुए हैं तथा माडा ब्लाक के माडा गांव से विभाजित होकर बने हैं। ऐसे ग्राम अनुमोदित माडा लघुखण्डों के विभाजित ग्राम हैं तथा माडा लघुखण्डों के बीच स्थित हैं इसलिए वह माडा गांव हैं।फिर आपकी सूची में शामिल क्यों नहीं है? ऐसे गांवों को आपकी सूची में कब तक शामिल कर देंगे। जब यह मान रहे हैं कि ये माडा गांव हैं तो आपकी सूची 121 बता रहे हैं इसकी जगह 165 है, आप करेक्ट कर लें तो इन 121 व 165 में कब तक इन गांवों को शामिल कर देंगे यह बता दीजिए।

दूसरा मुझे यह बता दीजिए ऐसे कितने गांव हैं जो माडा लघु खण्डों के बीच में स्थित हैं फिर भी आपकी माडा सूची में शामिल नहीं हैं और वे 1981 से पहले के गांव हैं। ऐसे केवल जहाजपुर का जवाब दीजिए जो माडा लघु खण्ड के बीच में गांव स्थित हैं 1981 से पहले, यहां तक 1971 से पहले के गांव हैं फिर भी आपकी इस सूची में शामिल नहीं हैं, ऐसे गांवों को कब तक सूची में शामिल कर लेंगे यह बता दीजिए।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, क्योंकि आप बहुत पुराना प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं पूर्व में भी यह निवेदन कर चुका हूं आपके क्षेत्र का जहां तक सवाल है उसके 13 गांव हैं जो प्रस्तावित हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं और जहाजपुर ब्लाक की बात आप कर रहे हैं वहां पर 206 गांव हैं वर्तमान समय में। ....(व्यवधान)....

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं यह जानना चाह रहा हूं आपने स्वीकार किया है कि वर्तमान में अंतिम रूप से विभक्त माडा खण्डों की गांववार सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर

संलग्न है। दूसरा मेरे प्रश्न के जवाब में आपने फरमाया ''इस संबंध में स्थिति यह है कि जो मजरे जनगणना 2001 तक राजस्व गांव घोषित हुए हैं तथा माडा ब्लाक के माडा गांव से विभाजित होकर बने हैं। ऐसे ग्राम अनुमोदित माडा लघुखण्डों के विभाजित ग्राम हैं तथा माडा लघुखण्डों के बीच स्थित हैं इसलिए वह माडा गांव हैं।'' माडा गांव आप स्वीकार कर रहे हैं तो इस सूची में शामिल क्यों नहीं हैं? इस सूची में आप कब तक शामिल कर देंगे। आप मान रहे हैं माडा गांव हैं ऐसे गांवों को जो लाभ मिलना चाहिए टीएडी और माडा की जो योजनाएं हैं उनको लाभ नहीं मिलता है इसलिए क्योंकि सूची में शामिल नहीं हैं। अब हम सीसी रोड करना चाहेंगे तो आप मना कर देंगे कि यह सीसी रोड नहीं है। हम एनिकट, रोड बनाना चाहेंगे तो आप कह देंगे कि यह माडा विलेज नहीं है। तो ये गांव हैं इनको इस सूची में शामिल कब तक कर देंगे यह मैं सिम्पल सी बात जानना चाहता हूं। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये माडा गांव हैं फिर सूची में शामिल करने में आपको क्या समस्या आ रही है?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य, जो सूची हम सदन में रख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं यह 2001 की है। उसके बाद की गणना शेष है और उसकी गणना हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं आने वाले समय में कोई भी गांव ....(व्यवधान)....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कब तक शामिल कर लोगे? ....(व्यवधान).... आप यह कहो कि मैं नया हूं, अभी पहचानता नहीं हूं, जानता नहीं हूं, पढूंगा, स्टडी करूंगा, स्टडी करने के बाद जवाब दूंगा यह कहिए। आप कब तक शामिल करेंगे, तारीख बताइए। ....(व्यवधान).... समय बताइए। ....(व्यवधान)....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सदस्य सवाल करते जा रहे हैं ....(व्यवधान)....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप यह कहिए कि स्टडी करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): आप यह बताइए माडा गांवों की अंतिम सूची कब प्रकाशित हुई? कब तक की हो गई यह बता दो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल पाइंटेड सवाल है।

vkj/akt/07012009/1140/1e

यह बता दीजिये, यह मूल प्रश्नकर्ता का बिल्कुल पाइंटेड सवाल है कि गांवों को कब

शामिल कर लेंगे माडा में? बिल्कुल पाइंटेड सवाल है, पाइंटेड जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न आने दीजिये माननीय सदस्य।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस सूची में शामिल हुए बिना उन लोगों को लाभ नहीं मिल सकता, न उन गांवों को लाभ मिल सकता है माडा का। जब सरकार यह स्वीकार कर रही है कि वे माडा गांव हैं, फिर यह सूची में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, बड़ी सिम्पल-सी बात है। माडा गांव आपने मान लिया है। इसमें लिखा है कि माडा गांव है फिर जो सूची दी गई है, इसमें शामिल क्यों नहीं है, इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने माडा गांव मान लिया है जो राजस्व ग्राम थे, उनके मजरे ग्राम बने हैं, 2001 से पहले उनको उन्होंने माडा गांव मान लिया है, यह इसमें लिखा है। इसलिए वे माडा गांव हैं, फिर सूची में शामिल करने में क्या समस्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। पीछे हैं, वे बोल रहे हैं। मैं आपको इजाजत दे रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह ±±± मंत्री है, यह कहिये आप, उनको बचाइये जो स्टडी करके आये। स्टडी करके आये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह +++ शब्द कहां से आ गया। अध्यक्ष महोदय, यह +++ शब्द कहां से आ गया। यह उन्होंने कैसे कह दिया। +++ शब्द कैसे कह दिया आपने।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह कौनसी भाषा है?

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): यह +++ शब्द कहां से आया। यह +++ क्या होता है। +++ क्या होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये बैठिये माननीय सदस्य।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): यह +++ क्या होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बेचारा, बेचारा मंत्री। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लाओ, डिक्शनरी खोलो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, नहीं नहीं। यह नहीं सुनेंगे हम, यह जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कौनसी भाषा है?

श्री अध्यक्ष: मैं बोल रहा हूं ना। आप बैठिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये बदतमीजी कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

±±± शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष: ±±± शब्द को एक्सपंज कर दीजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, एक्सपंज करने की बात नहीं है। इनकी आदत हो गई है इस तरह से, ये बकवास कर रहे हैं हर जगह। यह क्या तरीका है आपका।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह निकम्मापन शब्द बोल रहे हैं, संसदीय मंत्री हैं जो, संसदीय मंत्री हैं। सदन में कहा है। आप बापड़ा शब्द को एक्सपंज कर रहे हैं तो वह भी एक्सपंज करो। (व्यवधान) आप पहले डिक्शनरी लेकर आयें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैंने इजाजत दी है। माननीय सदस्य को मैंने इजाजत दी है, कृपया पूरक प्रश्न पूछिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको बिल्कुल इजाजत दी है, आप बैठिये। आप बैठिये प्लीज।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माडा गांव की सूची दी गई है, यह माडा गांव में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने बिल्कुल इजाजत दी है, आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये पहले। माननीय सदस्य, प्लीज। प्लीज बैठिये। आपको इजाजत दे रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये। वह पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विवाद का विषय नहीं बनायें। बात समाप्त हो गई। माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जा चुकी है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब...

श्री अध्यक्ष: नहीं माननीय सदस्य, मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। प्लीज बैठिये माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसे ही यह माडा योजना के तहत गांव इन्होंने स्वीकृत किये हैं। एक तरफ मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि यह जो गांव हैं, वह स्वीकृत कर दिये गये हैं और दूसरी तरफ मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि यह 2001 के आधार पर है तो यह तो यही

±±± शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

विसंगति है, दोनों में एकरूपता नहीं है। दूसरी बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माडा योजना के तहत...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): एकरूपता लायेंगे अब जल्दी-जल्दी, अभी आये हैं मंत्री महोदय।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा मंत्री महोदय से प्रश्न कर रहा हूं, आप शांत रहें। दूसरा प्रश्न यह है कि कब उन गांवों को लिस्ट में शामिल किया जायेगा? जब गांव सूची में शामिल नहीं होंगे तो उन तक जो उनकी आवश्यकता है, जो सुविधा है, वह कैसे पहुंचेगी? दूसरा, जहां एस.टी. प्रकोष्ठ में महाविद्यालय वगैरह की स्वीकृति मिलनी है और यह योजना चल रही है तो उसके तहत मंत्री महोदय यह निश्चित करेंगे कि कौन-कौनसे गांव हैं और लिस्ट में उन गांवों में एकरूपता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मेरा प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं। "क्या यह सही है कि माडा गांवों के जो मजरे स्वतंत्र गांव घोषित हो गये हैं, उन गांवों को माडा गांव का दर्जा प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे गांवों का सर्वे करवाकर पात्रता रखने वाले गांवों को माडा गांव घोषित करने का विचार रखती है?" आपने जो जवाब दिया है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं चाहता हूं...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप क्या चाहते हैं?

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मैं चाहता हूं, वह आप पूरा करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो जवाब दिया है, "इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जो मजरे जनगणना 2001 तक राजस्व गांव घोषित हुए हैं तथा माडा ब्लाक के माडा गांव से विभाजित होकर बने हैं, ऐसे गांव अनुमोदित माडा लघुखण्डों के विभाजित ग्राम हैं तथा माडा लघुखण्ड के बीच स्थित है, इसलिए वह माडा गांव हैं।" मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसकी सूची में कब तक शामिल कर लेंगे क्योंकि सूची में जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक हमको जो माडा के लाभ मिलते हैं, वहां सी.सी. रोड बनाने के या एनीकट बनाने के हैं...

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, मैं यह बात पहले कह चुका हूं।

श्री अध्यक्षः प्लीज मंत्रीजी, प्लीज आप बैठिये। श्री राजपाल सिंह जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में लम्बी जानकारी की जरूरत तो है नहीं, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि अंतिम सूची में माडा गांव कौनसे हैं, पहली बात तो यह है। अंतिम सूची मतलब as on today. दूसरा सवाल बड़ा सिम्पल है जो उन्होंने पूछा है कि जो मजरे स्वतंत्र गांव घोषित हो गये 2001 में, उनको माडा गांव मान रहे हैं क्या? यदि मानेंगे तो कब तक? उन्होंने कहा कि मान रहे हैं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नहीं, मान लिया है ना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मान रहे हैं तो अंतिम सूची में उनका नाम क्यों नहीं है। या तो यह अंतिम सूची नहीं है और या उनका नाम कब तक जोड़ देंगे, ये पूछ रहे हैं। तीन नम्बर पर यह पूछ रहे हैं कि 1981 और 71 के अन्दर जो लोग बीच में रह गये थे उपखण्डों के बीच में, उन गांवों का क्या हुआ? ये तीन स्पेसिफिक सवाल हैं। आप स्पेसिफिक जवाब दिलवा दें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब तो दिलवा दें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः मैं नये आने वाले माननीय सदस्यों को ज्यादा अवसर देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं अध्यक्ष महोदय, पहले हमने जो पूछा है...

श्री अध्यक्षः आप बाध्य नहीं कर सकते, आप बैठिये। जवाब उनसे दिलवायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हमें आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्षः जवाब दिलवायेंगे उनसे, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमें आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। हमें सवालों के जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्षः जवाब दिलवायेंगे। आप माननीय सदस्यों के सारे पूरक प्रश्नों का एक साथ जवाब देंगे। आप समय जाया नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, नहीं, ऐसा नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत लम्बा अनुभव है। आप जवाब दिलवाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): स्पेसिफिक जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्पेसिफिक सवाल है।

श्री अध्यक्षः लेकिन सारे पूरक प्रश्न सामने आ जाये। (व्यवधान) हां माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): स्पेसिफिक जवाब दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी

इनएफिशिएंट हैं। वे to the point जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये आप। उनका प्रश्न है। प्लीज। प्लीज, हां, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का सवाल है। यह भीलवाड़ा जिले का सवाल है और इनका सीधा सा सवाल है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आदिवासियों के माडा गांव से वंचित हुए गांवों का प्रश्न है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन है, अभी कांग्रेस के मंत्री महोदय ने हमारे एक सदस्य हैं, जो कांग्रेस के सदस्य ने एक सवाल खड़ा किया था, उनकी समस्या के समाधान के लिए मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि आपको सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के मिलाकर माननीय सदस्य की समस्या का निस्तारण कर दिया जायेगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक म्यान में दो तलवारें क्यों हैं माननीय मंत्री महोदय? (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उनको सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए क्यों नहीं कर लिया जाता है, धन्यवाद।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सवालों का जवाब दिलवाइये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दिला रहे हैं। माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिये, फिर जवाब के लिए कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सवाल पूछें और उसके बाद मंत्रीजी जवाब नहीं दें। यह सरकार मंत्री को बचाना चाहती है। आदिवासियों का सवाल है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: जवाब देंगे, ये जवाब देंगे। जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब दिलवाइये ना अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं दिला रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमें पाइंटेड जवाब चाहिये। हमें पाइंटेड सवालों के जवाब चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप सीधे सवाल का जवाब दिलवाइये ना मंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष महोदय। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दिलवाइये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न करिये। आप प्रश्न पूछिये। क्या पूछ रहे हैं।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न और प्रश्न के जवाब में कोई अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्षः आपस में चर्चा नहीं हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन माननीय मंत्रीजी की कोई फजीती करवाना चाहता है जान-बूझकर। साहब, उत्तर आने दीजिये। नये मंत्री हैं, आदिवासी क्षेत्र से हैं। बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। Let him reply.

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता और...

श्री अध्यक्षः आप बोलें। (व्यवधान) प्लीज साइलेंट।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न और जवाब दोनों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्षः आप जवाब दे रहें हैं या प्रश्न कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं इनका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्षः प्लीज बैठिये। जवाब आपसे नहीं चाहिए। मंत्रीजी दे देंगे।

एक माननीय सदस्यः आप मंत्री हो क्या? आप मंत्री हो क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज बैठिये, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले आप मंत्री बन जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला दिन है आज प्रश्नकाल का। (व्यवधान) यह पहला दिन है प्रश्नकाल का, प्रश्नकाल के अन्दर यह धज्जियां उड़ रही हैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्रीजी इनएफिशिएंट हैं। जवाब देना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से स्पेसिफिक जवाब चाहिए। मंत्रीजी जवाब देने में असमर्थ हैं और जान बूझकर आदिवासियों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्यः मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बिराजें। श्री नरपत सिंह राजवी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी भाषा है। असक्षम बता रहे हैं मंत्रीजी को, आप इन शब्दों को एक्सपंज करिये माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज बैठिये, प्लीज बैठिये। श्री नरपत सिंह राजवी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, इनको कोई अधिकार नहीं है। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने असक्षम कहा है मंत्रीजी को।

श्री अध्यक्ष: नरपत सिंह राजवी। माननीय सदस्य, आप प्रश्न कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह शब्द आप एक्सपंज कराइये।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिये, बैठिये। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है...

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जो जवाब है कि माडा गांव बन गये हैं, उन गांवों को उन्होंने माडा में मान लिया है।

Jkj/akt/1f/11.50/07.01.2009

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें, आप बिराजें, प्लीज, बिराजें। माननीय नरपत सिंहजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सदस्य ने एक साधारण सा सवाल पूछा है और मंत्रीजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, प्रश्न सिर्फ इतना है कि उस एरिया को जो माडा का मजरा का...

एक माननीय सदस्य: कैसे नहीं, तैयार हैं न, जवाब दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): दे रहे हैं जबाव,आप कैसे कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) दे चुके जवाब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप सुनने को ही तैयार नहीं हैं, मैं तो अध्यक्षजी को बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं मान चुका हूं, मान लिया...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मजरा को राजस्व गांव घोषित करने से..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप दे दो फिर जवाब, उनसे नहीं बन रहा है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मजरा को राजस्व गांव घोषित नहीं करके..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, मंत्री महोदय।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मजरा को राजस्व गांव घोषित करने से वह एरिया बाहर नहीं होता है, इसकी आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बैठिये, बैठिये आप, जवाब नहीं सुनना चाहते, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए, मजरा अगर राजस्व गांव...

श्री अध्यक्षः वह जवाब देना चाहते हैं, आप बैठिये तो सही। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप सुनने की कोशिश तो करो...

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माडा एरिया से बिलांग करता हूं, मैंने पन्द्रह साल रिप्रजेंट किया है इसलिए बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः बोलिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसलिए यह कहना चाह रहा हूं कि वह अपने आप वह एरिया नहीं निकलता है, अपने आप डिलीट नहीं होता है। वह राजस्व, सिर्फ मजरा का, ढाणी भी है, उसको राजस्व गांव घोषित करते हैं, वह लोकल पोपुलेशन का स्टेटा थोड़े ही चेंज हो गया।

श्री अध्यक्षः अब एक तरफ आप कह रहे हैं समय जाया हो रहा है, दूसरी तरफ...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आधे घंटे की चर्चा इसीलिए मांग कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो गांव पहले से थे, उसके ढाणी-मजरे बने हैं उनको हम, राजस्व गांव घोषित हो गये हैं उनको हम माडा का पूरा लाभ देने का वादा करते हैं और..(व्यवधान) और सुनो।

श्री अध्यक्षः प्लीज, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बीच में इंट्रप्ट नहीं।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सुनो तो सही। आप बोलने दो।

श्री अध्यक्षः बीच में इंट्रप्ट नहीं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, इंट्रप्ट नहीं बीच में, प्लीज।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): माडा में गांव कौन से होते हैं यह तो बता दें आप। आपको पता ही नहीं माडा गांव कौन से होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। प्लीज बैठिये, नहीं, बीच में नहीं, प्लीज।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): और माननीय सदस्य साहब ने जो प्रश्न पूछा है उन गांवों को जोड़ेंगे, उनको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को हम पूर्ण देंगे और गांवों को हमने सम्मिलित भी....

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): कब तक अध्यक्ष महोदय? हम जानना चाहते हैं, कब तक?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उन गांवों को हमने सम्मिलित कर लिया। मुझे बोलने दो दो-एक मिनट। सम्मिलित कर लिया है, मैं खुद आदिवासी हूं, जनजाति हूं और मुझे अपने समाज के प्रति दर्द है। दूसरी बात, एक निवेदन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं, वह मुझे पहली बार चुन कर आया हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, +++ किसको कहते हैं, जिसके मां-बाप नहीं होते हैं, जिसका कोई नहीं होता है, मुझे माफ करना, राजस्थान की जनता ने सबसे हाइएस्ट वोटों से, चवालीस हजार वोटों से जीता कर मुझे यहां भेजा है, मैं +++ नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं पढ़ा-लिखा हूं, मैं समझदार हूं, दो वक्त की रोटी खाता हूं। +++उसको कहते हैं जिसके बाप और मां-बाप नहीं होते हैं, मेरे माता-पिता हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, माफ करना, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे आप। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, उनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्रजी राठौड़, अगला प्रश्न।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): काहे की माफी मंगवाइये, काहे की।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): पाँच साल इन्होंने कुछ किया नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। प्लीज, बैठिये। (व्यवधान) अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, प्लीज, बैठिये।

पैराटीचर्स का तृतीय श्रेणी अध्यापकों में समायोजन

20.श्री राजेन्द्र राठौड़(तारानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2000 से 2003 तक प्रदेश में कितने पैराटीचर्स कार्यरत थे व उन्हें कितना मानदेय दिया जाता था? वर्तमान में कितने पैराटीचर्स को तृतीय श्रेणी अध्यापकों में समायोजित किया जा चुका है एवं कितने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय व निजी विद्यालयों में प्रथम कक्षा से अंग्रेजी विषय की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा प्रसार हेतु सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री: (1) वर्ष 2000 से 2003 तक प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 34169 पैराटीचर कार्यरत थे। इन पैराटीचर्स को प्रारम्भ में

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

1200 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था जिसे 2003 में बढ़ाकर 2000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके साथ ही 200 रूपये प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि का प्रावधान किया गया, पैराटीचर्स में से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में किसी भी पैराटीचर को समायोजित नहीं किया गया है।

(2) राज्य सरकार ने सत्र 2004-2005 से प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रथम कक्षा से अंग्रेजी विषय का शिक्षण प्रारम्भ किया।

(3) सच्चर कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खण्ड एक में आपने कहा पैराटीचर का समायोजन नहीं किया, क्या यह सही है कि 25 अप्रैल, 2008 को राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 बना कर इन सभी पैराटीचर्स को पिछली सरकार ने नियमित किया? नम्बर एक। नम्बर दो, आपने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा 2004 और 05 से संचालित की जा रही है, क्या यह सही है कि आपका घोषणापत्र जो अब सरकारी दस्तावेज है, उसके पृष्ठ 11 में आपने राजस्थान की जनता से यह वादा किया था कि आप शासन में आने पर अंग्रेजी शिक्षण प्रथम कक्षा से प्रारम्भ करेंगे, क्या यह सही है कि जो आपने वादा किया उसको पहले से पूर्व में ही पूर्ववर्ती सरकार लागू कर चुकी है? तीसरा, सच्चर कमेटी की सिफारिश, आप एक तरफ तो महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवाते हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित सच्चर कमेटी की सिफारिश राज्य में शिक्षा क्षेत्र में क्रियान्वित करेंगे और अब आप इसमें कह रहे हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, तो वह सच्चर कमेटी में आप किन-किन बिंदुओं को शामिल करके अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रसार के लिए काम करेंगे? यह तीन बात बता दीजिये।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरे सदन से कहो।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): कि पैराटीचर्स को, टीचर नहीं, अध्यापक नहीं बनाया, उनको प्रबोधक बनाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वही मैंने कोट किया, वही कोट किया है मैंने।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): प्रबोधक बनाया है उनको। आपने कोट किया, आपका क्वेश्चन ही आपने जो लिखा है उसमें वह स्पष्ट है कि वह अध्यापक शब्द, जबकि अध्यापक नहीं बनाया उनको, आपकी सरकार जब थी प्रबोधक बनाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो मुझे यह बता दो, आप तो अब बता दो...

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): जवाब देने तो दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कि उन पैराटीचर्स को वर्तमान में जिनको प्रबोधक बनाया उनकी वेतन श्रृंखला कितनी है, कितनी संख्या में हैं और कितना वेतन रह गया है।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): मैं दे रहा हूं, जवाब तो दे रहा हूं न। (व्यवधान) आपने जो हेराफेरी की है इसमें शिक्षा विभाग में, सुनो पहले, भारत सरकार ने, एक मिनट, भारत सरकार ने एक लाख टीचर्स की भर्ती के लिए राज्य सरकार को सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती करने के लिए दिया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब यह कहां से आ गया, हम तो पूछ रहे हैं...

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): एक मिनट, आप सुनिये एक बार। आप सुनिये, आप माननीय सदस्य, सुनिये। इसी में है, वही बात बताऊंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वही रखो आप।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): 63 हजार पैराटीचर्स की भर्ती आपने कर दी, आप इन पैराटीचर्स को, टीचर तो आप बना नहीं सकते थे, इसलिए आपने नई एक कारीगरी की प्रबोधक के नाम से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप खिलाफ हो न उसके?

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): और वह जो कारीगरी की ना...

एक माननीय सदस्य: की तो बुरा कर दिया क्या?

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): आप सुन लीजिये। आप सुन लीजिये। वह नई भर्ती नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कालीचरणजी, सुनने का माद्दा रखो, सवाल किया है उसका जवाब दे रहे हैं न मंत्रीजी। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): एक मिनट। यह नई भर्ती नहीं है बल्कि 22389 प्रबोधक जो आपने बनाये पैराटीचर्स को, जिनको तनख्वाह मिलती थी उनको आपने एक समायोजित किया है उस एक लाख के अंदर, नई भर्ती नहीं हुई है वह, समायोजित किया है आपने। दूसरी बात, जो प्रबोधक लगाये गये हैं....

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अब आप यह बता दीजिये...

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): हां, मैं बता दूंगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं-नहीं, आप यह कह रहे हैं न कि नई भर्ती...

श्री अध्यक्षः पहले जवाब आने दीजिये। माननीय सदस्य, जवाब आने दें। मूल प्रश्नकर्ता के जवाब आने दें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सब्जी मण्डी है क्या, विधान सभा है, सब्जी मण्डी नहीं है यह।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): मैं, माननीय सदस्य, सारा जवाब दे दूं, फिर पूछ लेना। जो प्रबोधक लगाये गये हैं उनको साढ़े चार हजार रूपये जो तृतीय श्रेणी अध्यापक को जो मिलते हैं हैं उसकी के आधार पर तत्कालीन सरकार ने किया है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यस, यह है न बात।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): मैं मानता हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं न। दूसरा आपका प्रश्न था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अंग्रेजी वाला।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी का जो विषय है वह 2004 और 05 में चालू कर दिया था, मैं इस बात को मानता...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर आपने घोषणापत्र में क्यों लिखा?

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): मेरी बात तो सुन लीजिये, आप बीच में। राज्य में सारे स्कूलों में चालू नहीं किया गया और आज भी परीक्षण के तौर पर जहां आप चाहेंगे मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखा दूंगा, कहीं चालू नहीं हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे विद्यालय राजस्थान में हैं जिनमें पहले से अंग्रेजी शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, उसकी संख्या बता दें मुझे।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): वह संख्या मैं, सुनें, वह संख्या में विभाग के अधिकारियों को दे चुका हूं मेरे निर्देश कि इसकी जानकारी करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह नहीं। यह यहां बताइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप यहां बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सदन की सम्पत्ति है, आप यहां बताइये।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): हां, सदन की सम्पत्ति है तो मैं कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यहां बतायें आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह तरीका क्या है, सब कपड़े से बाहर आकर बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने तो बारह सौ में बंधुआ मजदूर रखा था। आपने तो बारह सौ में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था उनको, बंधुआ मजदूर। बांडेड लेबर बनाकर रखा था बारह सौ रूपये में। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): खण्ड संख्या तीन का जो प्रश्न आपने किया है सच्चर कमेटी का, माननीय सदस्य से मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार से मिली, हमारे घोषणापत्र में जैसा आपने कहा, हमने लिखा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम अल्पसंख्यक समुदाय का विकास जो शिक्षा के क्षेत्र में है, उसमें उन बालकों को, उन छात्रों को अन्य छात्रों के बराबर लाने के लिए चेष्टा करेंगे, यह सच्चर कमेटी में एक प्वाइंट शिक्षा का है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में जो बात लिखी है, उस घोषणापत्र के मुताबिक हम निश्चित तौर से उनका सुधार करने की चेष्टा करेंगे, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं।

Bhs / akt / 7.1.09 / 12.00 / 1g

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंटेड सवाल किया था कि जब अंग्रेजी का शिक्षण हो रहा है सब जगह तो आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? नंबर-1, नंबर-2 आपने अपने घोषणा पत्र में सरकारी पैराटीचर्स की समस्या के समाधान का जिक्र भी किया है। अब राजस्थान में कितने पैराटीचर और हैं जिनको प्रबोधक बनाना है? वो भी बता दें आप।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, राजस्थान के अन्दर कुल 32 हजार पैराटीचर थे और तत्कालीन सरकार ने 28,060 पैराटीचर्स को समायोजित करने के लिए, मैं फिर कहूंगा कि समायोजित करने के लिए प्रबोधक बनाये जाने के आदेश जारी किये उनमें से चयन हुए प्रबोधक 22,389 और उनमें से नियुक्त हुए क्योंकि कुछ रह गये तो नियुक्त हुए 21,126, परिणाम रोके गये 1,434 शेष जो रहे हैं, आपने जो जारी की 28,060 उनमें से पाँच वर्ष के मध्य जो छुट्टियां होती हैं उनकी ज्यादा थीं इसलिए 787 व्यक्ति उस कारण से पैराटीचर्स से रह गये। कई और कारण थे जिनसे 501 रह गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब आप कब पूरा करेंगे? यह बता दें।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): अब सुनेंगे आप। आपका पूरा जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, जवाब दें आप।

मास्टर भंवरलाल (शिक्षा मंत्री): इसलिए जो शेष रहे हैं जो आपने 28,060 पैराटीचर्स की विज्ञप्ति जारी की थी उसमें जो शेष रहे उनके लिए मैं निर्देश जारी कर रहा है और यह कह रहा हूं यह मेरे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शेष रहे हैं उनको भी नियमानुसार उस सीएल में छूट देकर के छुट्टियों की छूट देकर के उनको भी प्रबोधक बना देवें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संख्या तो बता दें शेष कितने हैं? शेष की संख्या बता दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... कलक्टर द्वारा नियुक्त पैराटीचर्स हैं उनको भी समायोजित करेंगे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित ग्रामीण क्षेत्र में विशेष प्रकार की उल्टी, दस्त एवं बुखार से पचास से ज्यादा बच्चों की

मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री मांगीलाल गरासिया एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति कोटडा के वाकल क्षेत्र की पाँच पंचायतों का कार्य गोगुन्दा पंचायत समिति में प्रारम्भ करने के संबंध में।

श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों की ढाणियों में निवास करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में।

श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में फसल को बर्बादी से रोकने हेतु सिंचाई का पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में।

श्री राधेश्याम गंगानगर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने का उचित खरीद मूल्य नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्रीमती अनिता भदेल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से ब्यावर के नेत्र चिकित्सा शिविर में किये गये ऑपरेशंस में सैंकड़ों लोगों की आंखों में चिकित्सकों की लापरवाही से संक्रमण हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी एक अन्य माननीय सदस्य को इस विषय पर आज अपने विचार रखने का अवसर दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से किसानों को फसली ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

डॉ. दिगम्बर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से ब्यावर के नेत्र चिकित्सा शिविरों में हुए ऑपरेशंस में सैकड़ों लोगों की आंखों में संक्रमण हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के हनुतपुरा गांव में शराब दुखांतिका में 23 व्यक्तियों की हुई मौत के संबंध में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला राजसमन्द में कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य सर्वश्री राजेन्द्र राठौड़, डॉ. दिगम्बर सिंह, राव राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में अकाल की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अकाल राहत कार्य शुरू करने के संबंध में।

श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में अकाल राहत कार्य शुरू करवाने के संबंध में।

श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से मरम्मत करवाने के संबंध में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, गोविन्दगढ़ जिला अलवर के रेफरल अस्पताल में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करने के संबंध में।

श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम मांचा के एक गरीब किसान की 18 भैंसों की गलघोंटू रोग से मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जिला जोधपुर के भोपालगढ़ में कृषि उपज मंडी खोलने के संबंध में।

श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जिला जैसलमेर की चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में।

श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करन के संबंध में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के तल को ऊँचा उठा दिये जाने से शाहपुरा कस्बे के पानी का निकास बंद हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में पेयजल की समस्या के समाधान के संबंध में।

श्री हेम सिंह भडाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में।

श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के तापदड़ा स्थित खेल मैदान का पुनर्निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर बहुत लंबे समय से यह व्यवस्था चली आ रही है, आपने कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की

अनुमति दी उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं जिन पर आपने यह कहा कि यह तुरन्त लोक महत्व के विषय नहीं हैं। अपने यहां पर तीन बात की परम्परा है, जो माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के द्वारा अपना मुद्दा उठाते हैं उनको आप तत्काल रिजेक्ट कर देते हैं और दो मिनट बोलने का अवसर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आप सरकार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त करने के बाद आप अपना निर्णय देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहते हैं। आज आपने जो व्यवस्था दी है, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन हमारे माननीय सदस्य जो धोद से आये हैं और जो अन्य माननीय सदस्य हैं इन लोगों ने जो अपने प्रस्ताव दिये हैं उनको आपने रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन इनको दो-दो मिनट कहने का आप अवसर दें। चूंकि दस तारीख तक अपना सदन है इसलिए राज्य सरकार को भेजेंगे तो जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनको आपने रिजेक्ट किया तो दो-दो मिनट बोलने की अनुमति अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव को निरस्त करते हुए बोलने की अनुमति नहीं दे पा रहा हूं उनके उन प्रस्तावों को मैं सरकार को भेज रहा हूं और वहां से जो भी कार्यवाही होगी उससे माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): शुगर फैक्ट्री गंगानगर का मामला है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सूचित नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी आने के बाद आप व्यवस्था देते हैं, सूचित नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): वो हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत ऐसा इश्यु है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। वो आपके पास जानकारी आएगी, जानकारी आने के बाद आप व्यवस्था देंगे, यह है उसका मतलब।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र राठौड़।

सूचना

जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन टूटने से उत्पन्न स्थिति

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान)... दो तारीख से ...(व्यवधान)... ऐसा मामला है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्लीज। पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, कालीचरण जी प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरा कहना यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जयपुर क्षेत्र में चारदीवारी क्षेत्र में बिना कोई आंधी-तूफान आये बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया और इसका कारण यह रहा कि 16 इंच की जो पाइपलाइन जाती थी वो लीकेज थी। व्यापारियों ने शिकायत की उस लीकेज को ठीक नहीं किया उसके कारण हुआ यह कि कल वो पाइप लाइन टूट गई तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से बाढ़ के हालात बने, दुकानों में पानी घुस गया इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें, उनको तुरंत निलंबित करें और उसकी जांच की जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़, प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्री जी से जवाब तो दिलवायें साहब।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): लाखों रुपये का नुकसान शुगर फैक्ट्री में हो रहा है। किसान बाहर बैठे हैं इतनी ठंड के अन्दर किसान बैठे हैं। गन्ना सूख रहा है और किसानों की बात करके ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्लीज राजेन्द्र जी राठौड़, आप बोलिये न आपको नहीं बोलना है तो अगला बुलवाऊं। प्लीज बोलिये आप। शुरू करें। शुरू करें माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की शुगर मिल में ...।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों को फसल ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसलिए तो धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो आज शासन का आधार बना उसमें यू.पी.ए. सरकार ने जो 71,600 करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना की घोषणा अपने बजट में 2008-09 में की थी...

कैलाश 07.01.2009 12.10 (1) 1h

उसके बारे में ढिंढोरा पीटा गया, चुनाव में भी बहुत चर्चा की गई और आज यही योजना किसान के लिये मृग मरीचिका साबित हो गई। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 32 लाख किसान है । मत्री महोदय उन 32 लाख किसानों में से मात्र 2 लाख 20 हजार किसान इस ऋण राहत योजना के लिये पात्र किसान के रूप में पाये गये । यानि कुल ऋणी किसानों का सिर्फ 7 फीसदी किसानों को इसमें फायदा हुआ । अध्यक्ष महोदय, यह योजना बनाई इसका राजनीतिक लाभ तो बहुत लिया गया । योजना की घोषणा हुई 2008-09 में, योजना बनी 71600 करोड की माफ करने के लिये और योजना को आगे लेकर गये 15 साल तक यानी 2009-10 में 15 हजार करोड, 2010-11 में 12 हजार करोड और 2011-12 में 8 हजार करोड रुपये । यानी शुरू से ही इसकी बुनियाद ही धोखे और परपंच पर थी । अध्यक्ष महोदय, इसी योजना में 21 अप्रैल 1999 से लेकर 21 मार्च 2007 तक यानी 10 वर्ष के अवधि पार जो ऋण थे जो 28 फरवरी को किसान के खाते में जमा थे उनको माफ करने की भी थी । इसमें लघु सीमांत किसानों का 20 हजार तक का कर्जा और अन्य किसानों का 20 हजार या कुल ऋण का 25 फीसदी वह भी इस शर्त पर कि जा बकाया ऋण है उसको तीन किश्तों में जमा करायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उस जिले की बात करूं जिस जिले से मैं आता हूं तो कुल इस योजना के अंतर्गत 30 करोड 30 लाख रुपये राशि चूरू जिले के ऋण राहत योजना के पात्र किसानों को मिलनी थी और अब तक केन्द्र सरकार ने दिया है 4 करोड 55 लाख, यानी कुल योजना का 12 फीसदी । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ रिर्जव बैंक ने एक निर्देश जारी किया है 29 फरवरी, 2008 को और यह कह दिया पात्रता धारी किसान, लघु सीमांत और सीमांत इनके खाते में यह सारा पैसा जमा करा कर ब्याज लगाना बंद कर दो । मतलब राजस्थान में जो सहकारी बैंक है जिनकी संख्या 34 है और 5600 से ज्यादा हमारी ग्रामीण सहकारी समितियां इन सब में फसली ऋण के लिये तरल मुद्रा की कमी हो गई और उसका परिणाम क्या निकला कि रबी में जो फसली ऋण किसान को मिलना चाहिये था, मैं उदाहरण के तौर पर मेरे जिले की बात कर रहा हूं, फसली ऋण पिछली

बार रबी में 41419 किसानों को मिला 59 करोड 10 लाख रुपये का और इस बार मिला है सिर्फ 19 करोड । यानी 33640 किसान यह पूरे राजस्थान के किसानों से जुडा हुआ मसला है, 33640 किसान इस बार अकेले मेरे जिले में रबी में फसली ऋण से वंचित रह गये और पूरे राजस्थान जिले में अगर हम देखेंगे तो यह संख्या 1 करोड से ज्यादा जायेगी । एक तरफ तो किसान को ऋण नहीं मिला और दूसरी तरफ जो मौसमी फसल बीमा योजना है इसमें जो पात्र किसान है उसका लोनी होना जरूरी है । एक तरफ उसको पैसा नहीं मिला दूसरी तरफ मौसमी फसल बीमा योजना से वह किसान वंचित रह गया। अध्यक्ष महोदय, अधिकांश ग्रामीण सहकारी समितियां इनकी थोथी घोषणा के कारण ओवर ड्राफ्ट में चली गई और आज किसान साहूकार के चंगुल में फंस रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार यह फसल बीमा योजना में अकेले चूरू जिले के किसान को 8 करोड 30 लाख रुपये मिला । इस बार सारे राजस्थान का किसान इस मौसमी फसल बीमा योजना के दायरे से बाहर चला गया । एक तरफ उसको रबी की फसल का ऋण नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय, सारी ग्रामीण सहकारी समितियां और हमारे सारे सहकारी बैंक, मैं कामर्शियल बैंक की बात नहीं कर रहा, आज घाटे की ओर जा रहे हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे मंत्रीगण से निवेदन करना चाहता हूं कि मौसम आधारित फसल बीमा में जो किसान की पात्रता इसलिए नहीं हुई कि वह लोनी नहीं है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया को सरकार अपनी तरफ से प्रिमीयम दे और इसके साथ ही हमारे सहकारी बैंकों को फाइनेंसल स्पोट के लिये कोई पैकेज मंत्री महोदय दिलावाएंगे ताकि रबी की फसल में लोगों को ऋण मिल सके । आज इस फसल बीमा में पिछली बार राजस्थान का साढे चार लाख किसान लाभान्वित हुए थे । इस बार जीरो डिग्री तापमान जा रहा है इस बार भी बडी संख्या में फसल समाप्त होने की आशंका है, सारे किसान बरबाद हो जायेंगे । लाडनूं से आने वाले मंत्री महोदय मेरे सामने बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, असली किसान का यह प्रतिनिधित्व करते हैं । इनके मन में किसान धड़कता रहता है । मुझे इनसे उम्मीद है आपकी बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है । एक हुंकार भर के रबी की फसल का ऋण किसान को मिले इसका बंदोबस्त भी करें और इसके साथ मौसमी फसल बीमा योजना में जो किसान लोनी नहीं होने के कारण वंचित रह गये उसका प्रबंध भी करें । अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि सरकार में बैठे वह लोग जिन्होंने अपने घोषणा पत्र को शासन का अधिकार और सरकारी दस्तावेज बना दिया इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है । इस आधार पर कार्यवाही करेंगे, धन्यवाद ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के किसान से जुडा हुआ मामला है सरकार कुछ तो बोले ।

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह जी ।

श्री घनश्याम तिवाडी(सांगानेर): आप माननीय सदस्य को इनके बाद में अपनी बात कहने का अवसर दे दें ।

श्री अध्यक्ष: नियमों के तहत प्रक्रिया के तहत उठाने की व्यवस्था है उस तरह से उठाइए बीच में इंटरफेयर करना मैं अलाऊ नहीं करूंगा । डा. दिगम्बर सिंह जी ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह जी । अंकित नहीं होगा ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइए किसान से जुडा हुआ मामला है । आप खुद किसान हैं । अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, असली किसान बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप इतने अनुभवी और सीनियर हैं, प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): नहीं, जवाब तो दिलावें ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजेन्द्र जी, आप कितने सीनियर सदस्य हैं, ऐसे ही जवाब आ जाता है क्या ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठिए । डा. दिगम्बर सिंह जी ।

नेत्र शिविरों में हुए आपरेशन में सैकड़ों लोगों की आंखों में संक्रमण

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ब्यावर में और पाली में जो आँख फोड कांड हुए हैं उसके बारे में आकर्षित करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं राजस्थान एशिया में सबसे ज्यादा जहां अंधता है उन प्रदेशों में था, 2.4 परसेंट की यहां ब्लाइंडनेस की रेट थी । अध्यक्ष महोदय, पिछले पाँच सालों में अगर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सबसे अच्छा अचीवमेंट रहा तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में रहा । राजस्थान ने बहुत अच्छी तरह से काम किया जिसको नेशनल लेवल पर भी अच्छी तरह से लोगों ने सराहा। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि अभी ब्यावर में और पाली में 11 दिसम्बर को तो पाली में और 20-21 दिसम्बर को ब्यावर में जो नेत्र शिविर आयोजित हुए पाली में 29 लोगों का आपरेशन हुआ और ब्यावर में 72 लोगों की आंखों का आपरेशन हुआ । अध्यक्ष

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कहते हुए कि 29 लोगों में से पाली में 9 लोगों की आंखें खराब हुई इंफेक्शन के कारण से और उसमें से 3 लोगों की आंखें निकालनी पडी घमरी देवी, देवीलाल और पुष्पा की आंखें निकालनी पडी । इसी प्रकार ब्यावर में 72 लोगों में से 20 लोगों की आंखें खराब हुई । जिसमें से 10 लोगों की स्थाई रूप से आखें खराब हुई और निकालनी पडी । अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि हर चीज का प्रोटोकोल होता है, आई कैम्प लगते हैं और स्वयं सेवी संस्थाएं आई कैम्प आयोजित करती हैं और सरकार प्रति आपरेशन साढे सात सौ रुपये उन संस्थाओं को पेमेंट भी करती हैं । अध्यक्ष महोदय, पाली में जो आंखें खराब हुई और जो जांच कमेटी सरकार ने नियुक्त की उसमें सीएमएचओ पाली के निर्देशन में ही जांच करवाई गई जबकि बेसिकली जिम्मेदारी उस सीएमएचओ पाली की ही बनती थी । जहां आपरेशन थियेटर है वहां कम से कम एक दिन पहले उसकी जांच करते हैं । आपरेशन थियेटर का फ्युमिनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ । आपरेशन थियेटर को फ्युमिकेट करने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है जब उसमें आंखों का आपरेशन किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कृत्य जो हुआ है और सरकार ने इसको उतनी संवेदनशीलता से नहीं लिया । उसी अधिकारी की कमेटी बना दी । मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आँख में जो दवाई इंजेक्ट करते हैं मैथाइल सैल्युलोज जांच कराने पर पता लगा कि वह खुद ही कंटामिलिटेड थी उस दवाई की वजह से आंखें खराब हुई और आज तक उस दवाई कम्पनी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है । मुझे ताज्जुब होता है कि जिस स्वयं सेवी संस्था ने ....

ans/usc 1j 12.20 07012009

आइस कैम्प पहले से कराती आ रही है वूलन मरचेंट एसोसिएशन पाली की उस संस्था के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें मुझे तकलीफ होती है, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। दवाई उन्होंने नहीं बनाई, दवाई अगर बाजार में आ रही है तो गलती सरकार की है वूलन मरचेंट एसोसिएशन की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वूलन मरचेंट एसोसिएशन के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज हुये हैं उनको वापिस लिया जाए और जिस कम्पनी की दवाई है, जिसके कारण से लोगों को नुकसान हुआ है, आखें गवानी पड़ी है उस दवाई निर्माता, उस कम्पनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक-एक लाख रूपये की उन लोगों को राशि देकर सरकार ने यह सोच लिया कि हमारी पूर्ति हो गई, मैं मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों की आंखें निकाल दी गई है उनको पाँच लाख रूपये की राशि का मुआवजा देना चाहिये। किसी आदमी की गृहस्थी गई, उसकी

जिंदगी खराब हो गई, एक लाख से उसकी जिंदगी पूरी नहीं होनी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुये कि जो प्रोगाम राजस्थान में, बहुत अच्छी परफोरमेंस थी इंडिया में, हर स्टेट जिसको मानता था, नेशनल लेवल पर जिसकी चर्चा होती थी आज वह गर्त में गया इस सरकार की अनुशासनहीनता की वजह से। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे चाहूंगा कि सरकार कोई निश्चित रूप से इसमें एक्शन ले और वूलन मरचैंट के खिलाफ से अपने आपराधिक मामले वापिस ले और उस दवाई कम्पनी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए ओर पाली सीएमएचओ की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी हुई है, मैं तो कहता हूं कि पाली के सीएमएचओ ही दोषी है , उसको जाकर जांच करनी चाहिये थी पहले ऑपरेशन थियेटर की। जो टीम लीडर जाता है उसको पता होना चाहिये, आपरेशन थियेटर में जा रहे हैं थियेटर फ्रिमिग्रेटेड है कि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो ब्लेड़ काम में लिया आपरेशन के लिए वह ब्लेड किसी कम्पनी का नहीं है, उस ब्लेड पर न तो किसी कम्पनी का नाम है न ओटोक्लेम्ड है कि नहीं, इविन कॉज ऑफ बेन्डेज ऑपरेशन के बाद जिस मरीज को पट्टी बांधी जाती है वह भी कन्टामिनिटेड निकले। चलो कॉज बेन्डेज की तो हम मान सकते हैं एक बार खुलने के बाद उसमें कन्टामिनेशन हो सकता है परन्तु जो दवाई काम में ली जातीहै अगर वो ही कन्टामिनिटेड है तो इस सरकार के भरोसे, मैं समझता हूं कि यह जो हमारे अंधता निवारण का कार्यक्रम है यह बिल्कुल चौपट हो जाएगा और अंधों की संख्या ओर बढ़ेगी, इसलिए सरकार को इसमें सावचेत होने की आवश्यकता है। आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह जी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): चूंकि पाली जिले का मामला है....

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह (व्यवधान) आप जवाब देना चाह रहे हैं मंत्री महोदय (व्यवधान) बैठिये प्लीज । हां, स्वास्थ्य मंत्री जी प्लीज...

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से इमें मैं कुछ इनफोरमेशन देना चाहता हूं, जो माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंह जी ने उठाई सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ मैम्बर है ओर आप भी मंत्री रह चुके हैं। मैं यह रिकवेस्ट करूंगा कि इसको पोलिटिसाइज नहीं करें तो बेहतर होगा। आँख किसी की गई है या किसी की जान जाती है तो हमें भी इतनी तकलीफ होती है जितनी आपको तकलीफ होती है। यह जो कैम्प्स हुए हैं, आपने दो कैम्प का मेन्शन किया है इससे पहले भी एक सूरतगढ़ केम्प में ऐसा इन्सीडेंट हुए थे तो उसमें भी हमें उतनी ही परेशानी है जितने कि ब्यावर के और पाली के मामले में है। जो आपने मामला उठाया पाली को लेकर और कम्पनसेशन को लेकर, मैं आप सबको यह

निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप एक लाख दें चाहे पाँच लाख दें जिसकी आँख चली गई है उसकी आँख चली गई है उसकी कोई वेल्यू हम नहीं लगा सकते। इसी तरह से कोई आदमी अगर किसी हादसे में मरता है चाहे वह शराब काण्ड में मरता है या वह एक्सीडेंट में मरता है उसको अगर हम एक लाख दें या दो लाख दे तो वह जान वापिस नहीं आती उसको हम कोई कम्पनसेशन कहकर हम यह नहीं उसको जस्टिफाई कर सकते । यह सिर्फ जो हम देते हैं यह इसलिए देते हैं कि उनकी जो तमलीफ है उसमें हम अपने आपको शामिल करते हुये यह कम्पनसेशन देते हैं यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक आपने पाली का मामला उठाया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पाली का पाली सेवा मण्डल एक एनजीओ है उन्होंने यह प्राइवेटली अपने हिसाब से किया था, मेरी जानकारी के अनुसार इन्होंने सीएमएचओ से कोई परमीशन नहीं ली थी जबकि मेन्डेटरी होता है कि सीएमएचओ से परमीशन ली जाए, इस वजह से सीएमएचओ से यह जांच कराई जा रही है । अब आपने जो मामला उठाया ब्यावहर आई कैम्प का....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।(व्यवधान) उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब तो सुन लीजिए (व्यवधान) आप जवबा तो सुन लीजिए,मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। यह तरीका क्या है, आप जवाब तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखे (व्यवधान) कृपया शांति रखे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इन लोगों की आदमी पड़ी हुई है। (व्यवधान) पाँच लाख रूपये देकर....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप बैठो, बिराजो।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखे, प्लीज।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रूपये का मूल्य नहीं होता आदमी आँख के लिए। हम चाहते हैं कि उस आदमी को राहत मिले...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): श्रवण जी सुनिये, यह जाट वाले डण्डे से काम नहीं चलना है। (व्यवधान) इससे ज्यादा गम्भीर मामला, अगर सीएमएचओ को यह पता नहीं हो कि उसके क्षेत्र में इस तरह के कैम्प आयोजित हो रहा है, उसको मालूम नहीं हो यह सम्भव ही नहीं है क्योंकि ऑपरेशन करने वाले डाक्टर्स सरकारी ही होंगे। सरकारी व्यवस्था होगी।

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं सर, यह जो पाली वाला मामला है यह ऑपरेशनप करने वाले सरकारी नहीं थे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, यह इनफोरमेशन कहीं न कही गलत है क्योंकि इसमें सरकारी सहायता मिलती है, सारी एनजीओज को 750 रूपये पर कैस के हिसाब से पैसा मिलता है इसलिए बिना परमीशन के कैम्प आयोजित हुये हो यह मैं नहीं समझता। अगर हुए हैं तो भी इसके लिए सीएमएचओ जिम्मेदार है। मेरा निवेदन यह है कि पाली के सीएमएचओ से आपको जांच नहीं करानी चाहिये। आपको जांच हायर आफिसर से, जहां पाली में खुद ही इसकी जांच के दायरे में हो उस आदमी की जिम्मेदारी है इसके देखने की उससे जांच कराने की बजाए स्टेट लेवल के किसी अधिकारी से इसकी जांच कराये जिससे निष्पक्षता की रिपोर्ट आपके पास आ सके।

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो ऑपरेशन कराया गया यह डाक्टर राजेश जोशी है आई हास्पिटल पानी दरवाजा पाली के है यह उनसे ऑपरेशन कराया गया इसमें गवर्नमेंट का कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं थे। अगर आपकी यह मांग है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम किसी ओर से भी उसकी जांच करा ले। हम तो यह देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। आपने पाली, ब्यावर के मामले में जो फरमाया, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने फरमाया कि यह एनजीओज के खिलाफ क्यों हमने यह एफआईआर लॉज कराई है, हमने जो एफआईआर लॉज कराई है वह मेन्युफैक्चर है अप्पा स्वामी ऑफ्वोलोनिक डिवायसेस प्राइवेट लिमिटेड पाण्डेचरी उनके खिलाफ कराई है, डिस्ट्रीब्यूटर है कपिल इण्डिया फार्मेसेटिकल ब्यावर उनके खिलाफ करवाई है। एनजीओ के खिलाफ, वूल मरचेंट कराई है वह इसलिए कराई कि यह जो दवाईयां कैम्प में आई थी यह एनजीओ ने प्रोवाइड करी थी। अब पुलिस के रिपोर्ट में अगर यह निकलता है कि उसमें कोई इन्वाल्वमेंट इससे ज्यादा नहीं है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर से लाकर उन्होंने कैम्प में यह दवाई कराई तो हम उनका कोई एक्शन नहीं लेगे आपका वहम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:राव राजेन्द्र सिंह जी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात...

श्री अध्यक्ष: ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है आपको केवल दो मिनिट की अनुमति दी गई थी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): चूंकि पाली का विषय है इसलिए.....

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): स्वंय सेव संस्थाओं को इस तरह से परेशान किया तो कोई भी समाज की सेवा में स्वंय सेवी संस्था आगे नहीं आएगी। वह दवाई भी लेकर आए तो दवाई तो बाजार में आई होगी, बाजार से लेकर आए होंगे, अगर बाजार में गलत

दवाई उपलब्ध है,अगर कन्टामिनिटेड दवाई उपलब्ध है तो वह जिम्मेदारी एनजीओ की नहीं है,राज्य सरकार के डिपार्टमेंट की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान) प्लीज, इसको लम्बा नहीं करना है सिर्फ दो मिनिट बोलने का अवसर दिया गया था। (व्यवधान) प्लीज राव राजेन्द्र सिंह जी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरे क्षेत्र से संबंधित मामला है,मैं माननीय मंत्री महोदय......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह जी। प्लीज...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, चूंकि राज्य सरकार ने, जितने भी यह पीड़ित लोग है.....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जितने भी पीड़ित लोग हे जिनकी आंखे निकल गई, ब्यावर के मामले में तो एक लाख की सहायता राशि दी पाली में भी तीन लोगों की आंखे निकाली गई ओर छह: लोगों को दिखना कम या बन्द हो गया राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई सहायता राशि वहां के पीड़ित व्यक्तियों को मुहैय्या नहीं करवाई यह गम्भीर मामला है। जहां तक यह कह सकते हैं कि वह एनजीओ का अस्पताल है, पाली सेवा मण्डल पाली का सबसे प्रतिष्ठित पूरे पश्चिमी राजस्थान में है जो सन 1946 से लगातार चल रहा है।जिस संस्था ने एक लाख से भी कई ज्यादा आपरेशन आज तक किये और हजारों लोगों को नेत्र ज्योति दी गलत दवाई के कारण यदि वहां के अस्पताल में कोई इन्फेक्शन होकर आँख निकाल दी जाती है तो वह भी सरकार की जिम्मेदारी है, मण्डल की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, राव राजेन्द्र सिंह जी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा सरकार से आग्रह है (व्यवधान) मेराआपके माध्यम से सरकार से आग्रह है.....

श्री अध्यक्ष: सरकार ने आपकी सुन ली है,प्लीज बैठिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: सरकार नेआपकी बात सुन ली है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है पाली के भी पीड़ित व्यक्तियों को सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और जो अस्पताल सरकार के आदेश से बंद कर दिये गये हैं कुछ दिनों के लिए, हजारें लोग वेटिंग में है, जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, उनको शिकायत नहीं है पाली सेवा मण्डल

से। किसी से पूछ ले आप, जिसकी आंखे निकाली वह भी उनके काम से खुश है, आपने यह जो ऑपरेशन बंद कर दिये...

श्री अध्यक्षः बैठिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसके परिणाम क्या होंगे यह भी सरकार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः राव राजेन्द्र सिंह जी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सरकार बहुत जल्दी प्रिक्योशन कर ले, परमीशन दे दें उनको।

श्री अध्यक्षः प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सर, आप मंत्री महोदय से कुछ जवाब तो दिलवा दें।

दुर्गा/चौहान 070108 1230 1k

श्री अध्यक्षः प्लीज, अब नहीं, प्लीज मेहरबानी करें। राव राजेन्द्रसिंहजी, राव राजेन्द्रसिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मंत्री से सवाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैं अलाऊ नहीं करुंगा। प्लीज, अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप बैठ जाइये। अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री अध्यक्षः राव राजेन्द्रसिंहजी। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्षः आपको नहीं बोलने दे रहे हैं तो मैं क्या करुं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह तो आसन व्यवस्था करेगा।

श्री अध्यक्षः आप की ही पार्टी के माननीय सदस्य आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान) अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। माननीय राजेन्द्रसिंहजी।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: सिर्फ दो मिनट बोलने का अवसर था और सारी बात बोल दी। माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब भी दे दिया। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया। बढ़िया जवाब दिया, वह नहीं कह रहा हूं मैं। माननीय सदस्य जो पाली से आये हैं उनका इतना ही कहना है कि आंखें खराब हुईं ब्यावर में भी, आंखें खराब हुईं पाली में भी और एक आँख निकाल दी, तीन के वहां भी निकालीं, यहां भी निकालीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जब एक मामला तय कर लिया कि ब्यावर में जिनके आँख खराब हुई है, निकाल दी गयी है उनको एक-एक लाख रुपया दे रहे हैं तो पाली के लोगों ने क्या अन्याय किया, उनकी जो तीन की आंखें चली गई हैं उनको क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं। यह एक बात है और कोई बात नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मंत्रीजी से कि जब सरकार ने ब्यावर का निर्णय किया है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो आपने ब्यावर में किया है, संवेदनशीलता के आधार पर मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप पाली के भी, सभी जिनकी आखें खराब हुई हैं उनको भी एक-एक लाख रुपये, जो आपने ब्यावर में दिये हैं, वह आप दिलवायें। यही बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात मंत्रीजी के ध्यान में आ गई है और पूरे प्रकरण को मंत्रीजी स्वयं देख लेंगे। राव राजेन्द्रसिंहजी। (व्यवधान) राव राजेन्द्रसिंहजी। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया सदन को चलाने में सहयोग दें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय रघु शर्माजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। आप बोलना चाहते हैं? बैठिये, बैठिये, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप। (व्यवधान) नहीं, प्लीज बैठिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): [000]

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को इन्फार्म करना चाहता हूं कि जो सूरतगढ़ में हुआ था आई केम्प।

श्री अध्यक्ष: कब?

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नवम्बर में हुआ था। उसमें आपकी सरकार ने 50 हजार रुपये का अनाउंसमेंट किया था। उसको हमने एक लाख कर दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, प्लीज, रिप्लाई सुनिये।

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब आप सुन लीजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री रामलाल (मांडल): 000

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, प्लीज बैठिये। माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं, चुप रहिये।

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, इसको पोलिटिसाइज नहीं करें तो बेहतर होगा। क्योंकि यह एक ह्यूमेनेटेरियन प्राब्लम है।

श्री अध्यक्ष: आपसे चर्चा नहीं, माननीय सदस्य।

श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसी वजह से जब ब्यावर में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख किया तो उस टाइम हमने यही

---

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डिसीजन लिया कि जब ब्यावर में एक लाख का कर रहे हैं तो सूरतगढ़ में 50 हजार क्यों किया जाए। उनके भी हमने बढ़ा दिये जो कि सूरतगढ़ के पेशेण्ट्स थे। अब यह जो पाली का है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः That's all. रघुजी, प्लीज, हो गया जवाब।

श्री रामलाल (मांडल): [000]

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्षः चर्चा समाप्त हो गई।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हो गई। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। मैं अलाऊ नहीं करुंगा। प्लीज।

श्री रामलाल (मांडल): 000

श्री अध्यक्षः चर्चा समाप्त हो गई। प्लीज बैठिये आप। राव राजेन्द्रसिंहजी। चर्चा समाप्त। राव राजेन्द्रसिंहजी।

शाहपुरा (जयपुर) के हनूतपुरा में जहरीली शराब से हुई मौतें

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष, मैं सदन का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो 9 की रात व 10 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई। विषाक्त मदिरा का सेवन करने के उपरान्त 33 अनुसूचित जाति के लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई और तीन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस मदिरा का सेवन किया था वह पूरे जीवन के लिये अंधे हो गये। कंज्म्पशन आफ लीकर एक सोशल स्टेग्मा है। कोई भी व्यक्ति जो मदिरा सेवन करता है, यह पता लग जाता है कि यह आदमी मदिरा का सेवन करता है तो लोग-बाग़ उसको एक दूसरी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि मदिरा का सेवन कराने के लिये अधिकृत व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। शायद पढ़कर आप लोगों को यह लगा होगा कि यह कोई हथकड़ की शराब थी जिसके सेवन से शायद इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने शराब अधिकृत विक्रेता, आबकारी विभाग के अधिकृत विक्रेता से इस शराब का क्रय किया था। जो इस मदिरा का क्रय किया उसका जो पूरा दाम होता है, वह दिया था, कोई सस्ती मदिरा नहीं ली थी। और मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपके ड्रग इंस्पेक्टर को और ड्रग डिपार्टमेंट को यह पूछिये, गवर्नमेंट के सिविल फूड एण्ड सिविल सप्लाई आफ ड्रग रुल्स में कहीं यह चीज नहीं है, जिस चीज के क्रय के लिये सरकार नियम बनाती है और जिसके लिये परमीशन देती है उसके तुरन्त सेवन से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह जहर कहलाती है

---

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

और कोई चीज नहीं कहलाती है। इन लोगों की मृत्यु मदिरा के सेवन से नहीं हुई। मदिरा के नाम से जो उस काउण्टर पर जहर बेचा गया उससे हुई है। हम उस बात को आकर्षित करना चाहते थे। क्योंकि सदन की परम्परा नहीं थी इसलिये इन 33 अनुसूचित जाति के लोगों को यहां शोकाभिव्यक्ति के अन्दर हम अपनी श्रद्धांजलि नहीं दे पाये। लेकिन जब इनकी चिताएं जल रही थीं तो यहां कई दल मौजूद हैं इस सदन में जो जलती हुई चिता के उस श्मशान में सभाएं कर रहे थे और वह उन परिवारों को उद्वेलित कर रहे थे कि कम से कम मुआवजे की राशि तो बढ़ाई जाए। मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं, उसमें से कुछ परिवार के सदस्यों का....।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कई दल का मतलब सब दल हो जाते हैं। कोई स्पेस्फिक हो तो आप बता दें, वरना सबको सम्मिलित नहीं करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, जो सभा कर रहे थे दुर्भाग्य से यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रमुख दलों के सब सदस्य और कार्यकर्ता, पदाधिकारी थे। अब अगर आसन यह चाहता है कि दलों के नाम लेकर यहां की सदन की गरिमा पर मैं अंकेश करुं तो यह मेरे लिये शायद स्वाभाविक नहीं होगा। लेकिन इस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आपने जो कम्पनसेशन दिया, एक-एक लाख रुपया, सरकार की संवेदनशीलता पर मैं कहीं कोई अंगुलि नहीं उठा रहा हूं। लेकिन जिनकी आँखें चली गईं, एक तरफ तो आप यहां फरमा रहे हैं कि आपने आपरेशन से जिनकी आंखें चली गईं, सरकार की त्रुटि से, डाक्टर की त्रुटि से चली गईं, उनको आप एक लाख रुपये दे रहे हैं और यह जानकर कि आंखें एक ऐसे पदार्थ के सेवन से चली गईं जो ड्रग कण्टोल वाले परमिट करते हैं वह मदिरा, शराब नहीं थी, विष था, आपने 25 हजार रुपये दिये हैं।

Vps-usc-07.01.2009-12.40-1l

मैं सिर्फ यह बात पूछना चाहता हूं कि जिन अनुसूचित जाति के लोगों की दुहाई दे देकर इस सदन के सब दल राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति करके इस सदन में पहुंचते हैं। आखिर उनकी अगर जीवन-लीला समाप्त हो गयी, वे मदिरा का सेवन करते थे, दूरगामी परिणाम हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, दस-साल, पन्द्रह-साल के सेवन करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाए वह अलग बात है। लेकिन जब वे इसका क्रय कर रहे थे, आपके अधिकृत विक्रेता के यहां से क्रय कर रहे थे, उसका पूरा पैसा दे रहे थे। यह भी नहीं कि कोई सस्ती शराब का सेवन करने की वजह से वह कहीं से गलत चीज ले रहे थे। वे एक उच्च मूल्य की पदार्थ का सेवन करने के लिए उच्च क्रय का पैसा दे रहे थे जो तुरन्त स्वास्थ्य के लिए कहीं हानिकारक नहीं था लेकिन उसके सेवन करने के

बाद में अगर उनकी मृत्यु हो गयी है तो उन परिवार जिनकी मृत्यु हो गयी है, जिन लोगों की जो उस परिवार का मुखिया था, उनकी मुआवजा राशि भी लाख से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं सरकार के उन विभागों की त्रुटि रही है कि ऐसे काउण्टर्स पर आप शराब के नाम पर विष बेच रहे हैं और दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने आंखें गंवा दी हैं, 25 हजार रुपया उनके साथ में मजाक करने का है। जिनकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी, वह परिवार तो शोक-संतप्त हो भी गया लेकिन जिसकी आंखें चली गयीं, उसके लिए तो जीवन भी अब मृत्यु समान हो जाता है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस बात की जांच की जाए कि आखिर यह मंदिर उस काउण्टर से कैसे बिकी और काउण्टर पर बेचने के बाद में उन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

एक और निवेदन करना चाहूंगा। उसके तुरन्त बाद आप अख़बार 10 दिन के देख लीजिए। आज यहां छापे, वहां शराब पकड़ी गयी। आज उधर छापे। इसका मतलब आपको रातों-रात कौन से खुफिया विभाग ने यह जानकारी दे दी? यह जानकारी आबकारी विभाग के पास में थी। ठिकानों की थी, जगहों की थी। जहां छापे मार-मारकर इन्होंने भट्टियां तोड़ी, इसका मतलब यह सारा कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे, आंखों के सामने हो रहा था। इस बात को स्वाभाविक रूप में ले लीजिए। यह किसी दल विशेष की बात नहीं है। सदन सम्पूर्ण रूप से गरिमापूर्वक और गम्भीर अवस्था के अन्दर आकर इस बात का परीक्षण करवाए कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आगे इस चीज की यहां पुनरावृत्ति नहीं हो, इस का भी कम से कम प्रबन्ध करें और जिन लोग-बागों की मृत्यु हो गयी है और जिनकी आंखें चली गयी हैं उनको वाजिब मुआवजा दिलाया जाए। लाख रुपया और 25 हजार रुपया बहुत कम है। पाँच से दस लाख रुपये हो। जिनकी मृत्यु हो गयी है, अगर उनके परिजन के अन्दर वहीं मुखिया था तो उनके बच्चे को हम कम से कम नौकरी दिलवा सकते हैं और जिनकी आंखें चली गयी हैं, लाख रुपया तो आप स्वयं स्वीकार कर चुके हैं लेकिन लाख रुपया आंखों की ज्याति के लिए बहुत कम है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिएक्शन तो दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। परम्परा नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): परम्परा तो अभी आपने एक दिस मिनट पहले ही डाली है। परम्परा ऐसे ही डलती है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्रीमती किरण माहेश्वरी। परम्परा नहीं है। परम्परा नहीं है। श्रीमती किरण माहेश्वरी। ...(व्यवधान)...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्रीमती किरण माहेश्वरी। प्लीज।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इस ड्रग कण्ट्रोल एक्ट के तहत यह मदिरा उस काउण्टर से कैसे बिकी? आप यह बात तो बतायें। आप मदिरा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वहां मदिरा बेचने का परिमट था, विष बेचने का परमिट नहीं था। आप इन से यह तो पूछवाये कि this comes under the parameters of the Ministry of Medical and Health. इन पैरामिटर्स में तो, आप अपने कमिश्नर से इन्क्वायरी करवाइये। पुलिस से इन्क्वायरी करवाइये। आबकारी विभाग में इन्क्वायरी करिये। आखिर इसका जवाब तो आना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्लीज। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन तो बहुत संवेदनशील है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः तिवाड़ी साहब, कोई बोलने का ही है तो बोलिये। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनने के लिए हो और हम बोलने के लिए है। महाराज, आप सुनने के लिए आये हैं और हम बोलने के लिए आये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्लीज, शांति बनाये रखें। हां, आप बोलिये। क्या कहना है? प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आसन तो बहुत संवेदनशील है क्योंकि आसन ने इस विषय पर माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दे दिया लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और इस सदन की परम्परा है कि जब इस प्रकार का कोई विषय आता है तो सरकार को स्वयं सुओमोटो उस पर स्टेटमैंट देना चाहिए तक उस पर हम डिस्कस कर सकें। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा। 33 अनुसूचित जाति के लोगों की जान चली गयी। कुछ की आंखें चली गयीं। यह बहुत संवेदनशील मामला है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि या तो आप सरकार को कहें कि इस विषय पर पूरा वक्तव्य माननीय सदस्य के बोलने के बाद में सरकार वक्तव्य लेकर आये और सरकार अगर वक्तव्य लेकर नहीं आती है तो सरकार को निश्चित रूप से

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए वरना यह कहा जाएगा कि अनुसूचित जाति के 33 लोग मर गये, उनके लिए तो सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। यह क्या बात हुई? आपको इस पर जवाब देना चाहिए। यह क्या बात हुई? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने का अवसर देने के बजाए सात मिनट का अवसर भी दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने दिया है, आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन को चलाने के लिए कृपया, सहयोग करें। ...(व्यवधान)... श्रीमती किरण माहेश्वरी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको भी थोड़ा आप मौका दीजिए। यह जो शराब की संस्कृति है, यह आपकी सरकार की देन है। यह जो देन है पिछले पाँच साल में ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): पिछले पाँच साल में आपकी देन है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्लीज बैठ जाइये। अंकित नहीं हो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा, प्लीज। श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्रीमती किरण माहेश्वरी। माननीय सदस्यों को अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। वाद-विवाद होगा। समय अधिक जाया नहीं करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। सम्मानित महिला सदस्य बोल रही है। पहली बार यह इस सदन में आयी हैं। कृपया, सहयोग करें। प्लीज। ...(व्यवधान)... श्रीमती किरण माहेश्वरी। आपका समय आपके दल के ही माननीय सदस्य खराब कर रहे हैं। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

---

[000] : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। श्रीमती किरण माहेश्वरी। प्लीज, बैठ जाइये। माननीय सदस्य, प्लीज, बैठ जाइये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: कितना हल्ला मचा रहे हैं। वह अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, श्रीमती किरण माहेश्वरी। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्यों। माननीय श्री किरण माहेश्वरी, आपको नहीं बोलना हो तो, यह आपके ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं। प्लीज, बैठ जाइये। प्लीज, बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है। प्लीज बैठिये। नहीं, मैं अजाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। प्लीज, बैठिये। श्रीमती किरण माहेश्वरी। आप अपनी बात शुरू करें। माननीय सदस्य, समय जाया नहीं करें। फिर समय नहीं मिलेगा आपको। वाद-विवाद में समय नहीं मिलेगा फिर आपको। ...(व्यवधान)... वाद-विवाद में समय नहीं मिल पाएगा। अपने विचारों को रखने के लिए समय को सुरक्षित रहने दीजिए। व्यवस्था बनाने में सहयोग करिये। माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठिये। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। प्लीज, बैठिये। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

---

000 : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विषय बहुत गम्भीर है और इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि इस बार कपास की फसल पूरे राजस्थान के अन्दर बहुत ही अच्छी हुई है। खास तौर से मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, राजसमंद, उस राजसमंद जिले में और उसी के आस-पास गंगापुर, फतेहनगर, रेलमगरा, यह जो पूरा क्षेत्र है वह कपास उत्पादन का क्षेत्र है और लगभग पाँच लाख क्विंटल कपास की फसल इस बार हुई लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण उन्होंने इस कपास की खरीद के लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की। मंडी के आगे लम्बी कतार गाड़ियों की, बेलगाड़ी की, ट्रेक्टर्स की और यह इतनी लम्बी कतार में वहां पर किसान भाई हमारे फसल लेकर खड़े हैं कि समर्थन मूल्य से यह कपास हमारी खरीदी जाए लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मण्डी की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप, यह हो रहा है कि रोजाना मात्र दस से बारह गाड़ी ही कपास वहां पर खरीदी जा रही है और शाम होते-होते उन किसान भाइयों को यह कहा जाता है कि अब आज यही पर बंद किया जाता है और आप फिर से घर जाएं। छह-छह, सात-सात दिन से वह किसान वहां पर अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हैं कि हमारी कपास को खरीदा जाए। केन्द्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य इस कपास के लिए तीन हजार रुपये क्विंटल दिया गया।

Spp/usc/7.01.2009/1m/12.50(1)

लेकिन यह हो रहा है कि मनमाने तरीके से उस कपास का मूल्य दिया जा रहा है कहीं 2600 रूपये, कहीं 2700 रूपये और कहीं 2750 रूपये। उसका क्या मूल्य होना चाहिये, क्या इसका आकलन हुआ? उसके लिये कोई मापदण्ड उन्होंने नहीं बनाया कि किस आधार पर हम इस कपास को कितने मूल्य पर खरीदेंगे, जबकि उसका समर्थन मूल्य तीन हजार रूपये है। लेकिन मनमाने तरीके से उसका पैसा देकर, उसको भुगतान करके और उसका कम वज़न तोलकर, जितना वज़न है, उचित वज़न पर भी उनको मूल्य नहीं दिया जा रहा है। आज वहां पर किसान इतना उद्वेलित है और इतना परेशान है, इतना आक्रोशित है। मैं आज आपके माध्यम से सदन में यह बात कहकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि एक तरफ तो वह किसानों के हित की बात करते हैं। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस यह कहती है कि हम किसानों के हित में काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ही यह बात सामने जाहिर हो रही है कि वह किसान, जो कपास का उत्पादन लेकर वहां पर अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हैं, उनको खरीदने की उनके पास समुचित व्यवस्था नहीं है।

मैं आज आप सबसे यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे भाई, जो गंगानगर से आये हैं, वह भी इस बात को यहां पर गन्ने के लिये कहना चाह रहे थे। हरियाणा में गन्ना

होता है, पंजाब में गन्ना होता है, वहां के किसानों को जो मूल्य दिया जाता है वह मूल्य और हमारे यहां पर राजस्थान में जो मूल्य गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को देते हैं, उसके लिये एक एग्रीमेंट हुआ था कि पंजाब और हरियाणा, जो मूल्य हमारे किसानों को देती है, वह ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि माननीय सदस्या ने कपास पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, गन्ने पर नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। ..(व्यवधान).. आप चालू रखें प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं किसानों की समस्या कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप चालू रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप एक तरफ तो किसानों के हित की बात कहते हैं और दूसरी तरफ जब किसानों के हित के लिये हम लड़ते हैं तो आप क्यों इसको सुनने में अपने आप...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, इधर आसन की ओर देखकर..(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब, यह दोनों किसानों को गन्ने का मूल्य देंगे, उसका हम लोग ऐवरेज निकालेंगे और उसको 10 प्रतिशत और बढ़ाकर और उसके बाद यह गंगानगर शुगर मिल वह गन्ना खरीदेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है। पंजाब में गन्ने की रेट 165 रूपये, हरियाणा में 170 रूपये, लेकिन गंगानगर में 147 रूपये के दाम किसानों को दिये जा रहे हैं। इसलिये किसानों को मजबूर होकर अपना गन्ना हरियाणा और पंजाब में जाकर बेचना पड़ रहा है। गंगानगर शुगर मिल बंद होने के कगार पर आ रही है। यह हालत हो रही है कि वहां पर लोस चल रहा है। लेकिन वहां पर उस किसान को जो उचित मूल्य मिलना चाहिये, वह उचित मूल्य देने में सरकार कतरा रही है। सरकार उस एग्रीमेंट के ऊपर नहीं देखना चाहती है जो एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के अनुसार वह पैसे का भुगतान उन किसानों को नहीं करना चाहती। कपास के लिये वह उचित मूल्य नहीं दे सकती। गन्ने के लिये वह उचित मूल्य नहीं दे सकती है तो यह सरकार किसान विरोधी सरकार साबित हो रही है। लेकिन थोथी घोषणाएं करना, यह सरकार में बैठे हुए जो कांगेस के लोग हैं, उनकी हमेशा से ही यह नीति रही है कि इन्होंने हमेशा थोथी बातें की हैं। इन्होंने हमेशा जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। वादे करते हैं लेकिन उन वादों को निभाने की यह बात नहीं करते। वादों को नहीं निभाया। वादों को अगर निभाया होता तो शायद..(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः प्लीज शांति रखें।..(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कालीचरण जी... ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज इन्टरप्ट नहीं करें। महिला माननीय सदस्य पहली बार सदन में बोल रही हैं। प्लीज आप इन्टरप्ट न करें।..(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): एक महीना सरकार को नहीं हुआ। इन्होंने पाँच साल तक..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मैं आपकी बात समझ रहा हूं माननीय सदस्य। आप प्लीज बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय... ..(व्यवधान)... इस तरह से आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते।..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।..(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री अध्यक्षः आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री अध्यक्षः प्लीज, अंकित नहीं हो रहा है। प्लीज, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री अध्यक्षः आप चालू रखें। प्लीज, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000

श्री अध्यक्षः आप बैठिये प्लीज। आप चालू रखें। (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जब हम सच्ची बात कहेंगे तो इसी तरीके से वहां से शोरगुल होगा। इसलिए हम तो इस बात को जानते हैं कि हमेशा से ही ..(व्यवधान)...

श्री रघुनन्दन (केकड़ी): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, और किसी का अंकित नहीं हो रहा है।(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री रघुनन्दन (केकड़ी): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, किसानों की इतनी गंभीर समस्या को उठाने का आपने मुझे अवसर दिया है। मैं यह चाहूंगी कि यह गरिमामय सदन है और इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य, जो यहां आये हैं ..(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्षः आप बिराज जायें प्लीज। ...(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः आप बिराज जायें। किसी का अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराज जायें। किसी का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, प्लीज बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बोलने का अवसर दीजिये, समय जा रहा है। प्लीज आप बैठिये। ..(व्यवधान)... प्लीज बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यहां पर बैठे हुए हमारे सारे जन प्रतिनिधि, जो चुनकर आये हैं, वह किसानों के वोट लेकर ही यहां पर आये हैं। इसलिए इन्हें चाहिये किसानों की समस्या, जो यहां पर उठाई जाती है ..(व्यवधान)...

श्री कमसा (भोपालगढ़): 000

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): 000

श्री अध्यक्षः आसन पाँव पर है, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य, आसन पाँव पर,

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, आसन के आदेश के बावजूद भी अपनी बात कहने से नहीं मानेंगे, इन्टरप्ट करेंगे, व्यवधान पैदा करेंगे, उनके डिबेट का जब समय आयेगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके समय में से कटौती की जाये।

श्री रघुनन्दन (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये लागू होना चाहिये। इधर भी लागू होना चाहिये, उधर भी लागू होना चाहिये।

श्री अध्यक्षः मैं नोट करता जा रहा हूं। जो इन्टरप्ट कर रहे हैं उनके समय में से काटेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी और मुझे खुशी होगी कि अगर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि किसानों के लिये जो समस्या उठाई गई है, उसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सरकार से जिस चीज की मैं मांग कर रही हूं, मैं कोई अपने पर्सनल या केवल मेरी विधान सभा क्षेत्र के लिये नहीं बल्कि यह पूरे राजस्थान की बात है। यह हमारे पूरे राजस्थान के किसानों की बात है। किसानों का समर्थन मूल्य जब निर्धारित किया तो ..(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठिये। मुझे पता है प्लीज। प्लीज बैठिये।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमें इस बात का गर्व होना चाहिये कि यह देश हमारा जहां पर..(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री रामलाल (मांडल): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। प्लीज बैठिये, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ..(व्यवधान)...अंकित नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान).. अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री रामलाल (मांडल): 000

श्री अध्यक्षः आपके दल की माननीय सदस्या बोल रही हैं। मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा। आप बैठिये। ..(व्यवधान)..आप माननीय सदस्या का सम्मान करिये, उनको बोलने दीजिये। प्लीज बैठिये। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह आपके सम्मान में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने तो इतना अवसर दिया, लेकिन माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से कहा कि आप सांसद थीं और समर्थन मूल्य इतना ही बढ़ाया गया। मैं इस पर चाहूंगी कि और आधे घण्टे की एक चर्चा आप देदें तो शायद मैं उनको इन सारी चीजों का ध्यान दिला दूंगी कि जहां पर समर्थन मूल्य किस तरह से कितना बढ़ा है कौनसी सरकार में और एनडीए की गवर्नमेंट थी, जब यहां पर राजस्थान अकाल से जूझ रहा था, उस समय अनाज दिया गया, वह शायद भूल गये हैं। ..(व्यवधान)...

श्री रघुनन्दन (केकड़ी): [000]

एक माननीय सदस्य: 000

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): चर्चा समाप्त।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इनको जानकारी का अभाव है, इसलिये जानकारी के अभाव में इस तरह की बात कही जाती है..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: सरकार जवाब देने के लिये तैयार है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है इसलिए आप जवाब दिला दें, लेकिन अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय, मुझे दो मिनट और दे दें।

pcs- usc- 07.01.2009-13.00-1n अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय जबाव दे रहे हैं। आप बैठिये। चर्चा समाप्त कर दी। माननीय सदस्य दो मिनट के बजाय मैंने इनको नौ मिनट का मौका दिया है। (व्यवधान) आपकी बातों का जबाव आ रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, मात्र एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ।

श्री अध्यक्ष: चलिये एक मिनट में समाप्त कर दीजिये। माननीय मंत्री महोदय, आप बैठिये। ये एक मिनट में समाप्त कर रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी । मैं चाहूंगी, अपने यहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जब उत्पादन होता है अनाज का कपास का तब हम लोगों को असेसमेंट हो जाता है कि इस बार यह क्रोप बहुत अच्छी हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज मैंने एलॉउ किया है।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आच्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं इम्प्रूव किया गया। मण्डी में खरीदने के लिये पहले से ही क्यों नहीं व्यवस्था की गई। किसानों को एनवक्त पर क्यों इस तरीके की तकलीफ आनी चाहिये कि उनकी गाड़ियां खड़ी रहें और रोजाना उनको घर जाने के लिये कहा जाये और हमारी सरकार ने तीन हजार रूपये समर्थन मूल्य तय किया है तो काम किस आधार पर दिया जा रहा है। इन सब बातों का जबाव मंत्री महोदय दें...

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय जबाव दे रहे थे, आप जबाव दें। प्लीज आप बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गन्ने के बारे में भी विशेष तौर से बतायें कि गन्ना गंगानगर शुगर मिल के अन्दर क्यों नहीं खरीदने के बारे में सोचा जा रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजसमन्द में कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य और नहीं होने की उत्पन्न स्थिति में।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से यह पूछना चाहता हूँ कि राजसमन्द में किस प्रकार की कपास होती है। उसका समर्थन मूल्य जो आपने तीन हजार रूपये बताया वह कहां से बताया। (व्यवधान) बताइये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): केन्द्र सरकार के द्वारा तीन हजार रूपये समर्थन मूल्य ....

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप यह बताये कि भारत सरकार के द्वारा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया है जो कपास को खरीदता है वह राजसमन्द में भी खरीदता है और जहां-जहां कपास होता है वहां पर खरीदता है और सब जगह का मिनियम सपोर्ट प्राइस अलग-अलग है तो राजमसन्द में कौनसी प्रकार की कपास होती है उसका समर्थन मूल्य भारत सरकार ने क्या तय कर रखा है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यही तो रोना है। इनको क्या मालूम। यह तो केवल सुनी-सुनाई बातें करते हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): ऐसा मत करो। कोई जानकारी लेकर आये हो तो बताइये आप। क्या जानकारी लेकर आये हो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, इस तरीके से, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी, माननीय मंत्रीजी शायद सवाल का जबाव .... (व्यवधान) अगर आप मंत्री हैं तो सवाल का जबाव दें। आप जबाव नहीं दे पा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): यह केवल बोले-बोले ही हैं बाकी इनको समस्यायें नहीं मालूम। किसानों की समस्या क्या होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। मंत्री महोदय बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय मंत्री महोदय सच्चाई बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को, उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हरि सिंहजी रावत।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार का .... (व्यवधान)

रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): आप उनकी तरफ ध्यान दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, ये शब्द पहले उन्होंने उपयोग किये हैं।

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मर्यादा का पाठ विपक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों के लिये भी लागू करो। जब सदन के उप नेता बोलते हैं उसके बावजूद भी ये बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय हरि सिंहजी रावत।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, ये तब भी बीच में बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं उसके बावजूद भी। ये शब्द असम्मानीय है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष: आप बोले चुके क्या। पढ़ चुके।

एक माननीय सदस्य: आप पढ़िये ना।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): स्थगन प्रस्ताव मेरा भी दिया हुआ है। आपने दो मिनट बोलने का मुझे .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली तहसील में पचास आदिवासी उल्टी-दस्त से मर गये परसों। यह कोई मामूली विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: चार माननीय सदस्यों को अनुमति दी थी। श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री दिगम्बर सिंह, श्री राव राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय हरि सिंहजी, मैं अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारूँ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): [000]

श्री अध्यक्ष: आप नहीं पढ़ना चाहते तो अगले सदस्य का नाम पुकारूँ। माननीय सदस्य, आप पढ़िये। इनका अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) प्लीज आप बैठिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: सारे प्रस्ताव लिया जाना संभव नहीं है माननीय सदस्य। व्यवस्था बनाये रखें। हरि सिंहजी, आप पढ़िये नहीं तो मैं अगला नाम पुकारूँ। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। आप चालू रखिये वरना अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारना पड़ेगा। (व्यवधान) इस प्रकार की परम्परा सदन में एलॉउ नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। मैं एलॉउ नहीं करूँगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: आप नहीं बोले तो उचित है। प्लीज। हरि सिंहजी, आप चालू रखिये। (व्यवधान) आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं एलॉउ नहीं करूँगा। अंकित नहीं हो रहा। मैं अगला नाम पुकारने जा रहा हूँ। आसन पैरों पर है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करूँगा कि जब आप अपने वैश्म में पधारें तो बाली से आने वाले सदस्य की समस्या सुन लें और सुनने के बाद आप सरकार को निर्देश दें ....

श्री अध्यक्ष: आप मुझसे चैम्बर में मिल लिजिये।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र भीम में अकाल की समस्या विषयक

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, नियम एवं प्रक्रिया 295 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में भयंकर अकाल की स्थिति को मध्य नजर रखते हुये तत्काल अकाल राहत, पेयजल एवं पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम जिला राजसमन्द में बरसात की भारी कमी के कारण भयंकर अकाल की चपेट में है। क्षेत्र भीम पंचायत समिति की सभी पंचायते 100 प्रतिशत अकाल की चपेट में है, क्षेत्र की जनता को रोजगार एवं पेयजल एवं पशुओं हेतु चारे-पानी की तत्काल व्यवस्था कराई जाये।अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कि संपूर्ण राजस्थान में जिस भी क्षेत्र में अकाल पडा हैं वहां की जनता को रोजगार हेतु रिलिफ कार्य प्रारम्भ किया जाये या फिर 100 दिवस रोजगार गारन्टी के कार्यों को 150 दिवस में बढ़ाया जाये ताकि सभी जनता को रोजगार मिल सकें, ताकि वहां की जनता को रोजगार हेतु बाहर नहीं जाना पड़े। जहां पर पेयजल की समस्या है वहॉ पर पेयजल हेतु टैंकरों की तत्काल व्यवस्था करावें एवं पशुओं हेतु हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चारा डिपो एवं पानी की उचित व्यवस्था कराई जाये। ताकि अकाल पीडि़त क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री कल्याण सिंह चौहान।

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में अकाल की समस्या विषयक

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम एवं प्रक्रिया 295 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में भयंकर अकाल की स्थिति को मध्य नजर रखते हुये तत्काल अकाल राहत, पेयजल एवं पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा जिला राजसमन्द बरसात की भारी कमी के कारण भयंकर अकाल की चपेट में है। क्षेत्र नाथद्वारा-खमनोर एवं रेलमगरा पंचायत समिति की सभी पंचायतों में 100 प्रतिशत अकाल की चपेट में है, क्षेत्र की जनता को रोजगार एवं पेयजल एवं पशुओं हेतु चारे-पानी की तत्काल व्यवस्था कराई जाये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि संपूर्ण राजस्थान में जिस भी क्षेत्र में अकाल पडा है, वहां की जनता को रोजगार हेतु अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किया जाऐ एवं 100 दिवस रोजगार गारन्टी के कार्यों को बढ़ाकर 200 दिवस किया जाये ताकि सभी जनता को रोजगार मिल सके, जिससे वहां की जनता को रोजगार हेतु बाहर नहीं जाना पड़े। नाथद्वारा कस्बे में पीने के पानी के लिये नन्दसमन्द एक मात्र स्त्रोत था। लेकिन उसके खाली होने की स्थिति में वहां पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है इसलिए वहॉ पर पेयजल हेतु टैंकरों की तत्काल व्यवस्था करायी जाय तथा पशुओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चारा डिपो एवं पानी की उचित व्यवस्था कराई जाय ताकि अकालग्रस्त नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकें। धन्यवाद।

msr/usc/1310/1o/07012009/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री अध्यक्षः श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्षजी, हमने राजस्थान केनाल के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, प्लीज, व्यवस्था बनाये रखें। चालू रखिये, पढ़ना शुरू करिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ): माननीय अध्यक्षजी, अभी इन्होंने किसान की बात की।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप चालू रखिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कृषि विपणन बोर्ड की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कृषि विपणन बोर्ड की सड़क, क्षतिग्रस्त अवस्था में, खराब सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा मरम्मत कर पक्की कराये जाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में निम्न सड़क, जो कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनायी गयी थीं, परन्तु अभी भी क्षतिग्रस्त स्थिति में होने से आने-जाने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिया आदि भी टूटने से कभी भी दुर्घटना घट सकती है अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि निम्न सड़कों को ठीक कराये जाने की अनुकम्पा प्रदान करावें:-

पदराडा से चित्रावास

काछबा से पाटिया, मोरवल

मादा से छाली

नान्देशमा से तिरोल

तेजा का वास

इसके अलावा जो भी कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में निर्मित की गई हैं उन्हें भी मरम्मत कराये जाने की अनुकम्पा प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अंकित नहीं हो रहा है। श्री ज्ञानदेव आहूजा। आप शुरू करें।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

रामगढ़ (अलवर) में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत रामगढ़ जिला अलवर में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में गोविन्दगढ़ कस्बे में रैफरल हास्पीटल में कोई महिला चिकित्सक नहीं है। साथ ही बड़ोदा मेव कस्बे, नौगांवा कस्बे एवं मुबारिक कस्बे में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने का कष्ट करें।

इन चारों कस्बों में आबादी 15,000 से 20,000 के बीच है और साथ ही आस-पास सभी कस्बों के साथ 40 से 60 गांव एवं ढाणियां हैं। महिलाओं को पुरुष डाक्टर होने के कारण भारी कठिनाई होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप शुरू करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा। प्लीज, सहयोग करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: इसका तरीका यह नहीं है।

गरीब व्यक्ति को राहत देने बाबत

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत गरीब व्यक्ति को राहत देने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम मांचा के गरीब किसान सिराजुद्दिन पुत्र सिरदारा की गलघोंटू रोग से 18 भैंसें, जिनकी कीमत पाँच लाख थीं, उनकी मृत्यु हो गयी तथा 13 भैंसें अभी भी गलघोंटू रोग से बीमार हैं। इनके एक लाख रुपये से अधिक दवाइयों पर खर्च हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि उक्त सिराजुद्दिन गरीब व्यक्ति है अतः राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाया जाय एवं शेष बीमार 13 भैंसों का इलाज निःशुल्क कराया जाय तथा आस-पास के गांव में टीकाकरण कराया जाय और क्षेत्र में पशुधन को इस संक्रमण रोग से बचाने के लिए डाक्टरों की विशेष टीम बनाई जावे जो गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं को संक्रमण से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। श्रीमती कमसा मेघवाल, शुरू करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्षः श्रीमती कमसा मेघवाल। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप मुझ से चैम्बर में मिल लें, मैं आपसे बात करूंगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): धन्यवाद।

भोपालगढ़ (जोधपुर) में कृषि उपज मंडी खोलना

श्री कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत भोपालगढ़ (जोधपुर) में कृषि उपज मंडी खोलने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में कृषि उपज मंडी नहीं है, इस कारण वहां के स्थानीय किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाहर अन्यत्र जाना पड़ता है जो कि कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर है जिससे समय व श्रम की अनावश्यक खपत होती है एवं इसके साथ ही किसानों की फसल खराब होने की पूरी संभावना रहती है। गरीबी की मार सहते हुए किसानों के पूरे परिवार वाले लग कर फसल तैयार करते हैं और समय पर फसल यदि मंडी नहीं पहुंच पाती है तो सारी फसल खराब हो जाती है। इसलिए भोपालगढ़ में तुरन्त कृषि उपज मंडी खोलने के लिए सदन की आज दिनांक 07 जनवरी की कार्यवाही को रोक कर आवश्यक चर्चा करा ली जाय जिससे किसानों के हित में सार्थक प्रयास किया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री छोटू सिंह भाटी।

जैसलमेर में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे जिले जैसलमेर में जो चिकित्सा सम्बन्धी परिस्थितियां हैं उनके बारे में अवगत

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

करवा कर निवेदन कर रहा हूं कि उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जा सके:-

1-जिला जैसलमेर में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्र हैं? कृपया उसकी सूची से अवगत करावें।

2- उक्त समस्त केन्द्रों में डाक्टर्स, नर्सेज तथा वार्ड ब्वाय के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं जिसकी वजह से आम जन को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा मैं मांग करता हूं कि इन पदों को भरने का राज्य सरकार मानस बनाये ताकि जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

3- इसी प्रकार जिला मुख्यालय के जवाहर चिकित्सालय में रिक्त पद भी काफी समय से हैं एवं उन रिक्त पदों को शिघ्रातिशीघ्र भरने का प्रयास यदि राज्य सरकार करती है तो जनता भी इनकी सुविधओं का फायदा उठा सकती है।

4- उक्त जिला मुख्यालय स्तर के चिकित्सालय में चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण भी कम हैं तथा उनमें काफी उपकरण नाकारा यानी कि काम लेने योग्य नहीं हैं। उक्त उपकरणों को भी सरकार तुरन्त ठीक करवाये अथवा नये उपकरण खरीद कर चिकित्सालय में रखे जावें ताकि जनता को उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके।

5- इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि उक्त सभी स्तर के चिकित्सालयों में वर्ष 2004 से 2008 तक कितने बी.पी.एल. परिवार, वरिष्ठ नागरिक, अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं नि:शक्तजनों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है? कृपया उक्त सभी प्रकार के मरीजों की सूची से मुझे अवगत करवावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मान सिंह।

परबतसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के तहत निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे क्षेत्र वासियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को टैंकरों के माध्यम से व अपने अन्य निजी साधनों से पीने का पानी लाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में परबतसर शहर, ग्राम पंचायत रीड़, ग्राम पंचायत गांगवा, ग्राम पंचायत खूंडीयास, ग्राम पंचायत मायापुर, ग्राम पंचायत मंगलाणा, ग्राम पंचायत गुलर, ग्राम पीह में पीने के पानी की भारी समस्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र अजमेर जिले की सीमा से लगता हुआ है इसलिए बीसलपुर बाँध के पानी को इस क्षेत्र में पेयजल के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः सरकार इस दिशा में सर्वे कार्य करवा कर बीसलपुर बाँध के पानी को पेयजल के लिए परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पहुंचाने की कार्यवाही करे साथ ही इन्दिरा गांधी नहर का पानी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। अतः सरकार इस दिशा में वांछित कार्यवाही करवा कर परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने का कष्ट करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा क्षेत्र में जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनको अविलम्ब ठीक करवाया जाय साथ ही जिन नलकूपों की मोटरें जल गयी हैं उनको भी अविलम्ब ही ठीक करवाया जाय जिससे पानी की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा परबतसर शहर में वर्तमान में जो बोरिंग काम कर रहे हैं उनके पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, उनको और गहरा किया जाय व परबतसर शहर में और भी बोरिंग खुदवाएं जिससे कि आने वाली गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि जब तक इन्दिरा गांधी नहर के पानी या बीसलपुर बाँध के पानी को परबतसर विधान सभा क्षेत्र में लाया जाय उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हैण्डपम्प व ट्यूबवैल्स की व्यवस्था व अन्य छोटी-बड़ी पेयजल योजनाओं के माध्यम से पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाय जिससे क्षेत्र वासियों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर सार्वजनिक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इसका अविलम्ब समाधान कराने का कष्ट करें ताकि कस्बे के निवासियों को होने वाली भारी परेशानियों से निजात मिल सके। धन्यवाद।

Ars/usc/1320/1p/07012009/1

श्री अध्यक्षः श्री राव राजेन्द्र सिंह।

शाहपुरा (जयपुर) कस्बे में पानी निकासी की समस्या

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि शाहपुरा (जयपुर) कस्बे के निवासियों के हितों को ध्यान में रखे बिना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आफ इण्डिया ने राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 8 के तल को ऊँचा उठा दिया जिससे कस्बे के पानी की निकासी अवरूद्ध हो गयी। मेरे द्वारा इसे मुद्दे को गत विधान सभा के प्रथम सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाने पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 27.9.04 को मुझे प्रेषित अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है जो निम्नानुसार है :-

वर्षा के दिनों में सड़क सतह के कारण पानी डाट खा कर शहर में भर जाता है एवं शाहपुरा कस्बे की करीबन 4000 की आबादी इससे प्रभावित होकर पचास मकान डूब क्षेत्र में आ जाते हैं जिससे वर्षा के दिनों में इनका सम्पर्क शहर से कट जाता है।

यह सही है कि शाहपुरा कस्बे में पानी की निकासी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर थी व शाहपुरा कस्बे का अधिकांश भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के पश्चिमी दिशा की ओर आबाद है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को ऊपर उठाते समय इन तथ्यों की ओर कोई ध्यान नहीं देने के कारण पानी के भरने की यह समस्या उत्पन्न हुई है जिसके निराकरण हेतु परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (एडीबी) वृत्त शाहपुरा, जयपुर को भी निवेदन किया गया लेकिन इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई तथा उक्त नाला जिसका बरसाती पानी शहर/बस्ती को प्रभावित करता है, वर्तमान में भी यथावत स्थिति में है। इस संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आफ इण्डिया द्वारा कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है लेकिन नाले का जहां से बहाव शुरू होता उस स्थान के लिए 2.94 लाख रुपये एन एस डी पी एवं इसी नाले की लेबल एन.एच. तक मिलाने के लिए करीबन 250 मीटर के लगभग 5.00 एवं एन.एच. से देवन नदी तक, जिसकी लम्बाई चार किलोमीटर है, को मिलाने के लिए 42.00 लाख रुपये की आवश्यकता अनुमानित आंकी गई है।

इस राशि की व्यवस्था पालिका स्तर पर होना संभव नहीं है। अतः अब किसी अन्य विभाग यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आफ इण्डिया से उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही कराया जाना वांछित रहेगा।

इसके अलावा मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मुझे प्रेषित प्रति दिनांक 19.7.04 का भी उल्लेख करना चाहूंगा:-

राष्ट्रीय राजर्मा को चौड़ा एवं ऊँचा करने से टाउन रोड़ शाहपुरा के राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी 201/400 पर स्थित जंक्शन पर पानी भरने लग गया है। सड़क को ऊँचा कर नाली बनाने की आवश्यकता है। अतः जंक्शन के ड्रेनेज एवं सुधार कार्य को ठीक करवाने बाबत अधिशासी अभियंता, सानिवि जिला खण्ड-3 के पत्रांक 1138 दिनांक 12.7.04 द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गुड़गांव, हरियाणा को लिखा गया है। इस कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1.70 लाख होगी।

इस संबंध में मेरा यह भी निवेदन है कि अब उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 छह

लेन का बनने जा रहा है। अतः सरकार के पास यह उचित अवसर है कि शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की इस समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमाकें के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर सार्वजनिक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इसका अविलम्ब समाधान कराने का कष्ट करें ताकि कस्बे के निवासियों को होने वाली भारी परेशानियों से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा शहर में पेयजल समस्या

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि भीलवाड़ा शहर इस भरी सर्दी में जबकि जनता को कम पानी की आवश्यकता होती है, तीन दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है और अभी जलदाय विभाग कह रहा है कि अभी पानी 96 घंटे में एक बार दिया जाएगा। महोदय, सर्दी में यह हाल है कि भीषण गर्मी में जनता पेयजल समस्या से त्राहि-त्राहि करेगी। भीलवाड़ा में प्राकृतिक पेयजल स्रोत नहीं होने से पूर्णतः जलदाय विभाग पर ही पेयजल की उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी है। दस करोड़ के कंटीन्जेंसी प्लान बन कर कई दिनों पूर्व भेजे जा चुके हैं। सरकार उनको मंजूरी कब देगी? शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी दिलाएं। भीलवाड़ा भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, जिसे भारत का मेनचेस्टर कहा जाता है। अगर पानी की समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान नहीं कराया तो पानी पर आधारित यह उद्योग नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा एवं भारी जन आंदोलन होने की संभावना है।

इस जन महत्व के विषय पर सरकार तत्काल कार्यवाही करे एवं पेयजल एवं उद्योगों के लिए पानी के तात्कालिक एवं स्थायी समाधान के लिए योजना बनाई जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री हेमसिंह भडाना।

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों की नियुक्ति

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 में विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी शहरी चिकित्सालय में महिला चिकित्सक नहीं हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानागाजी 7 चिकित्सकों की जगह है जिसमें कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन तथा कनिष्ठ सर्जरी विशेषज्ञ की जगह भी खाली है। महोदय, ब्लाक मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी (डी.सी.एम.एच.) की जगह भी खाली है एवं सीनियर मेडिकल अधिकारी की जगह भी खाली है। महोदय, कस्बे की आबादी 15000 के

लगभग है तथा कस्बे के 25-30 किमी तक कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खो दरीबा में एक भी चिकित्सक नहीं है। चारों तरफ आवागमन की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीमान से निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री को आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर उपरोक्त अवगत कराये गये चिकित्सकों की तुरन्त जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर दक्षिण तोपड़दड़ा स्थित खेल मैदान का पुनर्निर्माण व विस्तार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के तोपदड़ा स्थित खेल मैदान हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग व शेष बचे कार्य को पूर्ण करने बाबत निवेदन है कि अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खेलों के विकास व विस्तार हेतु तोपदड़ा स्थित खेल मैदान के पुनर्निर्माण व विस्तार हेतु चालीस लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से बीस लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा व दस लाख रुपये की राशि स्थानीय विधायक द्वारा व दस लाख रुपये की राशि स्थानीय सांसद द्वारा स्वीकृत की गई थी। उपरोक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था, विभाग ने कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया। पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री माननीय कालीचरण जी सराफ द्वारा उपरोक्त कार्य का शिलान्यास किया गया था। इस कार्य को प्रारम्भ हुए लगभग छह माह का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु आज तक कार्य गति नहीं पकड़ सका। कार्य बहुत द्रुत गति से प्रारम्भ किया गया लेकिन आज की स्थिति यदि इस काम की देखें तो पूरी तरह बंद पड़े हैं। मैं चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से कि वो अधिकारियों को निर्देश दें इस काम को पुनः प्रारम्भ किया जाय और जिस निश्चित अवधि में यह काम पूर्ण होना था....

श्री अध्यक्षः लिखा हुआ पढ़ने के नियमों के तहत आप उसको पढ़ें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है। मैंने यही लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः लिखा है जिसको पढ़ें या लिखा हुआ दिया है जिसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। लिखा हुआ पढ़ें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं यह कहना चाहती हूं विभाग की लापरवाही की वजह से आने वाले समय में भी संभावना नहीं लगती कि कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि कार्य शीघ्र व निश्चित समयावधि में पूर्ण हो ताकि नागरिक व खिलाड़ियों को उपरोक्त खेल मैदान का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 7 जनवरी, 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु बारह पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें सलाहकार द्वारा चार पर्चियां निकाली गई हैं जो निम्नांकित हैं:-

श्री हरिसिंह रावत, नरेगा के माध्यम से किये जाने वाले सी सी रोड़ एवं ग्रेवल सड़कों आदि के कार्यो में गुणवत्तानुसार संशोधन करने के संबंध में।

श्री राजेन्द्र राठौड़, रावतभाटा के गांव बड़ौलिया के ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा बिना नोटिस व कानूनी कार्यवाही पूरी कर अतिक्रमण हटाने व धक्का मुक्की में श्रीमती मनोहरी, पत्नी श्री भायोराम की हत्या के संबंध में।

vns/usc/13.30/7.1.2009/1q/1अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

(3) श्री केसाराम चौधरी, जलदाय विभाग द्वारा बनायी गयी टंकी गिर जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने एवं दो व्यक्तियों के घायल हो जाने तथा जनता को पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री हरिसिंह रावत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्देमजदूरों को भुगतान में हो रही कठिनाइयां

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नरेगा के अन्तर्गत होने वाले काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं सरकार से और कुछ मेरी एडवाइज भी है कि नरेगानन्तर्गत जो काम हो रहे हैं 6-6, 7-7 महीने हो गये लेबर को अभी तक पेमेन्ट नहीं मिला है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि 6-7 महीने से पेमेन्ट जो अभी तक रुका हुआ है उसको तत्काल दिलाया जाए।

जिस बैंक और पोस्ट आफिस को नामिनेट किया है कि पेमेन्ट वहां से ही दिलाया जाये वहां पर कर्मचारी की कमी की वजह से हरेक मजदूर को 5-5, 6-6 दिन तक धक्के खाने पड़ते हैं। स्थिति यह होती है कि 10-10, 20-20 किलोमीटर से जनता जाती है वहां पेमेन्ट लेने के लिये लेकिन वहां यह बोल दिया जाता है आज तो पेमेन्ट हमारे पास कर्मचारी नहीं है, आज हमारे पास वह नहीं है, बहाने कर देते हैं। एक मजदूरी करने वाला मजदूर व्यक्ति अपने दिन भर की मजदूरी को बंद करके वहां पेमेन्ट लेने के लिये जाता है, उसको पेमेन्ट नहीं मिलता तो कितनी बड़ी असुविधा महसूस होती है। जहां भी बैंक, पोस्ट आफिस या कोई भी संस्था जो पेमेन्ट करती है मेरा आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी को निवेदन है कि वहां पर कर्मचारियों की नफरी बढ़ायी जाए ताकि उनके

पेमेन्ट में असुविधा न हो।

ब्यावर के नजदीक मेरी 7 पंचायतें हैं वहां 50 किलोमीटर दूर पड़ता है बैंक। जस्साखेड़ा में पेमेन्ट का किया हुआ है। वहां से 50 किलोमिटर पेमेन्ट के लिये लेबर जाती है। वहां लगेतखेड़ा के अन्दर भी एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा निवेदन है पंचायती राज मंत्रीजी से कि बैंक ऑफ बड़ौदा लगेतखेड़ा के अन्दर है, अगर यहीं व्यवस्था करें तो हमारे लेबर जो 50 किलोमीटर पेमेन्ट लेने के लिये जाते हैं उस समस्या का समाधान हो जायेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ अकाल राहत कार्य हो रहे हैं उसमें भी गुणवत्ता की दृष्टि से हमने देखा कि ग्रेवल रोड़ जो बनती हैं उनकी जो क्वालिटी होनी चाहिये वह सही नहीं हो रही है इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी ग्रेवल रोड़ या सी सी रोड़ बनती है वह पी डब्ल्यू डी के माध्यम से करायी जाए तो शायद गुणवत्ता में सुधार होगा।

नरेगान्तर्गत सी सी रोड़ का अभी तक कोई उसमें प्रावधान नहीं रखा है तो मेरा यह निवेदन है कि ग्रेवल रोड़ की जगह अगर सी सी रोड़ रखा जायेगा या सी सी रोड़ के साथ-साथ अगर डामरीकृत रोड़ बनेंगे तो मैं सोचता हूं कि शायद वहां की अच्छी गुणवत्ता हो जायेगी।

प्रत्येक रेवेन्यू विलेज पर एक सार्वजनिक कुए का अगर निर्माण कराया जाए तो पेयजल का भी समाधान हो सकता है।

बी पी एल के एस सी, एस टी और ओ बी सी परिवारों के घर बनाने की व्यवस्था भी अगर नरेगा में जोड़ दी जाए तो गरीब परिवारों को घर भी मुहैय्या हो सकता है।

नरेगा कार्यों में मेड व्यवस्था में भी काफी विघ्न पैदा हो रहा है। हरेक मस्टररोल में मेड रहता है तो या तो इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि एक मस्टररोल में एक बार मेड लग गया वह दूसरी बार नहीं लगे। आप लोगों ने बता रखा है नरेगा के अन्तर्गत जो मेड है उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम आठवीं चाहिये। हमने कई जगह ऐसा देखा है अनपढ़ लोगों को भी मेड लगा दिये, पांचवीं पास वालों को मेड लगा दिये जिसकी वजह से कई जगह या तो हाजिरी नहीं भर पाते हैं। कई जगह हमने देखा है खाली मस्टररोल होते हैं, काम पूरा हो जाता है लेकिन तब तक मस्टररोल में भी उनके नाम एण्ट्री नहीं होते। बाद में पता चलता है उस दिन फर्जी हाजिरी भर दी गयी। तो इसमें भी थोड़ा संशोधन किया जाए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

नरेगान्तर्गत कराये जाने वाले कामों में विभागवाइज काम दिये जाएं। सड़क और सी सी रोड़ है तो पी डब्ल्यू डी को दिये जाएं। नहरें या बाँध बनाने हैं तो सिंचाई विभाग को

दिये जाएं इससे गुणवत्ता भी होगी और सही ढंग से काम होगा।

मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र राठौड़।

पुलिसकर्मियों द्वारा कथित ज्यादतियों विषयक

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 22 दिन पुरानी सरकार, जिस सरकार के सभी माननीय सदस्यों का एक तकियाकलाम, शासन बड़ा संवेदनशील है, बड़ा जवाबदेह है। इस जवाबदेह और संवेदनशील शासन की पोल तो उस समय खुल गयी जब इन 22 दिनों में दो तो कस्टोडियन डैथ हो गयीं। एक तो थाना सूरजगढ़ में सुरेश पुत्र श्रीचंद जाट, थाने के अन्दर पुलिसकर्मियों ने पीट-पीटकर मार डाला। दूसरा थाना वल्लभनगर में और चंदरिया थाना के अन्तर्गत गौकसी के मामले में पुलिस को निहत्थे लोगों पर गोली चलानी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, शासन आता रहता है, शासन जाता रहता है पर कुछ लोग इस लोकतांत्रिक पद्धति से बदले हुए इस शासन को समझते हैं कि राजतंत्र स्थापित हो गया और सी तरह की एक घटना बिड़ालिया गांव में और रावतभाटा में हुई। वहां के सरपंच साहब ने सोचा कि अब राज बदल गया, कानून की किताब बंद करो। मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि कौनसी पार्टी का उनका क्या सम्बन्ध था। 3 जनवरी, अम्बेड़कर छात्रावास के पीछे अपने कारिंदों को लेकर पहुंच गये। न अतिक्रमण हटाने के लिये पूर्व में नोटिस दिया, न अतिक्रमण हटाने के लिये विकास अधिकारी से अनुमति ली, न अतिक्रमण हटाने के लिये उप खण्ड अधिकारी से अनुमति ली, न अतिक्रमण हटाने के लिये ग्राम सेवक को साथ लिया। क्योंकि शासन बदल गया इसलिये और वहां जाकर उन्होंने बिना चेतावनी दिये हुए गरीब लोगों के मकान को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया। इसी में 15 वर्ष से एक भोपा रहता है भग्गाराम। अध्यक्ष महोदय, भग्गाराम का जब मकान तोड़ रहे थे, छोटा झोपड़ा तोड़ रहे थे, आशियाना उजाड़ रहे थे उस समय उसकी पत्नी मनोहरी ने जाकर सरपंच साहब के धोक लगायी और यह कहा कि मेरा आशियाना मत उजाड़ो। सरपंच साहब के कारिंदों ने धक्का दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर कोटा-रावतभाटा मार्ग जनता ने 4 घण्टे के लिये बंद कर दिया। उप खण्ड अधिकारी 4 घण्टे के बाद मौके पर पहुंचते हैं क्योंकि शासन संवेदनशील है। तहसीलदार मौके पर पहुंचते हैं। समझाइश करके पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद उस घटनाक्रम में आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुआवजे के तौर पर दस हजार रुपये की रूपल्ली पकड़ा दी जाती है और उसके बाद षडयंत्र का ताना बना

बुनकर वहां नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार को फंसाने के लिये प्रयास प्रारम्भ हो जाता है। एक सी आई का वहां से ट्रांसफर कर दिया और कर्तव्य की इतिश्री हो गयी।

इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे जो सरकार के सबसे मजबूत स्तम्भ हैं, जिनके पास अकेले मंत्री के पास 29-29 विभागों का भार है। जो वास्तव में सरकार को चला रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, वह संवेदनशील भी हैं। उनसे मैं यह मांग करना चाहूंगा कि कम से कम 5 लाख रुपया मुआवजा तो दो और उस कम से कम उस गरीब के लिये जिस तरह मृत्यु हुई आप 302 में मुकदमा दर्ज करके जांच तो प्रारम्भ करें। मैं कोई निर्दोष को फंसाने की पैरवी नहीं कर रहा और इस पूरे प्रकरण की जांच, क्योंकि आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपके आने के बाद तो पूरे राजस्थान न हत्या होगी, न बलात्कार होंगे, न चैन छीनी जायेंगी। जादुई डंडा घुमाओगे पूरे राजस्थान में अमन चैन हो जायेगा। इस तरह के मामले में कम से कम और कुछ नहीं तो रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से तो करवाओ।

अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशीलता और पारदर्शिता की बात कहना बड़ा आसन है। मुझे उम्मीद है कि अब तक जिस सरकार के दूध के दाँत नहीं टूटे, जो बैसाखियों के सहारे खड़ी है उसके सक्षम मंत्री निश्चित तौर से मेरे द्वारा और अध्यक्ष महोदय, परची के माध्यम से हम कोई मामला उठाते हैं। सचिव महोदय के वैश्म में सुबह 10.00 बजे जाते हैं उसके बाद मामले उठाते हैं और सरकार उत्तर नहीं दे, हालांकि हमें कुछ नहीं, आज स्थगन के अन्दर भी सरकार ने उत्तर नहीं दिया। फसल बीमा के बारे में उत्तर नहीं दिया। खरीफ की फसल का लोन किसानों को नहीं मिला, उत्तर नहीं दिया। हम तो हमारी चीज रिकार्ड में दर्ज कराते चले जाते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कम से कम सरकार को बाध्य करें यह जो शलाका निकलती है, आपकी कृपा से ही निकलती है, आपकी अनुमति से ही निकलती है। हम अनुशासन में रहकर आपके संरक्षण में ही बात कहना चाहते हैं कि इन चीजों का उत्तर तो सरकार की तरफ से आना चाहिये। इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री केसाराम चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई जवाब नहीं अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: माननीय..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वाह, संवेदनशील सरकार के मजबूत मंत्री, नमस्कार।

अहुवा गांव में ओवर हैड टैंक गिर जाने विषयक

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से 20 वर्ष पहले अहुवा गांव में जलदाय विभाग द्वारा एक ओवर हैड टैंक 2,80,000 लीटर का बनाया गया था वह 2.12.2008 को धराशायी हो गया। जब वह टैंक धराशायी हुआ उस समय नारायण सिंह सन ऑफ धूल सिंह के मकान पर गिर गया और मकान पर गिरने की वजह से उसमें सो रहे नारायण सिंह, नन्दू कंवर और अनमोल सिंह, इन तीन व्यक्तियों की स्पॉट पर ही डैथ हो गयी। उसके अन्दर गौरी कंवर और कीर्तन यह भी उस मकान से उस टंकी के अन्दर जो पानी था...

श्याम/अरूण 07.01.2009 13.40 2a

यह भी उस मकान से उस टंकी में जो पानी था उसके बहाव में बहकर के गली के अंदर आ गये और उन दोनों को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाया गया जिससे उनकी जान तो बच गयी, मगर तीन व्यक्ति जिनकी मौके पर डैथ हो गयी और मकान पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, आज भी उस मकान में से एक भी चीज, घर में रहने के और पहनने के कपड़े भी उसके पास नहीं रहे और उन व्यक्तियों के परिवार वालों को जो कि मर गये उनके रहने के लिए आज कोई मकान या झौंपड़ा तक नहीं है। लेकिन यह संवेदनशील सरकार आज दिन तक उनकी सुध नहीं ले पायी।

अध्यक्ष महोदय, टंकी के गिरने का धमाका इतना तेज था कि उसके आसपास के जितने मकान थे वह क्षतिग्रस्त हो गये तथा उनमें दरारें पड़ गयी। क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों में मोहन सिंह, दलपत सिंह जी, बाबू खां पुत्र अब्दुल रहमान, राजू खॉ इकरामुद्दीन जी, अनवर खां अल्लाह बख्श जी, खींवसिंह गोवर्धन सिंह जी, भँवर सिंह बख्तावर सिंह जी, सुख सिंह जी चिमन सिंह जी, कालू सिंह चिमन सिंह, विजय सिंह चिमन सिंह जी के मकान थे। पाँच-छः मकानों में दरारें पड़ गयी जिसमें रहने वाले आज भी भयग्रस्त हैं और वह चिंता करते हैं कि ना मालूम यह मकान कब गिर जायें और हादसा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसी सूरत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को कोई सरकारी नौकरी देवें और उन तीन मृतकों के परिवारों को प्रति व्यक्ति पाँच लाख का मुआवजा देने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार की टंकी किसी के मकान पर गिर जाये और उन बेकसूर लोगों की रात को सोये-सोये नींद में ही मौत हो जाये, गवरी देवी जो कि नारायण सिंह की पत्नी है, मुख्यमंत्री जी जो कि संवेदनशील सरकार का वादा करते हैं, उसने उनके पास जाकर के गुहार की 29.12.2008 को लेकिन आज दिन तक भी एक भी सरकारी नुमाइंदा उसके हाल-चाल तक नहीं पूछ पाया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी संवेदनशील सरकार की बात करने वाली सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि जो एक महीना दस दिन हो गये लेकिन उस परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो मकान खंडहर हो गये वह खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हो गये, पहनने तक के कपड़े नहीं है। खाने के लिए कोई अनाज का दाना नहीं रहा, ऐसे परिवार की सहायता करने वाला इस सरकार में मुझे तो आज दिन तक दिखा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि उस गांव में जिस दिन से वह टंकी धराशायी हुई है उस दिन से आज तक पानी की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय जल संसाधन मंत्री जी गांव में पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आप टंकी कब तक बना देंगे और उस गांव की व्यवस्था को सुचारू किस तरह से करेंगे। ऐसा हादसा हुआ और उसकी वजह से लोगों में जो आक्रोष पैदा हुआ और उससे कुछ लोगों ने उप सरपंच के घर पर जाकर के नारेबाजी की और उन लोगों के खिलाफ 452 का मुकदमा लगा दिया, पुलिस उलटे घर वालों को परेशान कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपको अनुरोध करता हूं कि सरकार की टंकी से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको आप इमिडेट सहायता दिलाकर के उन परिवारों की मदद करें और जिन निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये हैं उनको वापस लें, ऐसा में सदन से मांग करता हूं। मंत्री महोदय इस पर ध्यान लावें और जिन तीन व्यक्तियों की मौते हुई हैं उनको अतिशीघ्र लाभान्वित करें। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, दे दीजिये।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं दे दूं क्योंकि संवेदनशील सरकार की बात कर दी है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, बोलिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, इसीलिए कह रहा हूं।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): इसलिए आप सुनते जायें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप संवेदनशील हैं, निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। लेकिन एक महीना दस दिन हो गये आज दिन तक कोई मदद नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजें, माननीय सदस्य बिराजें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ग्राम अहवा, जिला पाली में 2.12.2008 को एक टंकी ध्वस्त हो गयी और उसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, मुख्यमंत्री सहायता कोष से इन मृतकों के लिए एक-एक लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। जहां तक इनके ओवरहैड की बात है उसमें टंकी बनाने के लिए, भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर को कहा है और जब हमें जगह मिल जायेगी तो निश्चित रूप से इस गांव की जल व्यवस्था को चालू कर दिया जायेगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री जी को कहूंगा बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, एक परिवार की ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सचिव, विधान सभा द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचना ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह भी आपसे सीख लें ...(व्यवधान)...

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अभी तो देखते जाओ ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनके परिवार के जो लोग बेघर और बेसहारा हो गये उनके किसी व्यक्ति को नौकरी दिलाने की भी मेहरबानी करें ऐसी मैं मांग करता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झांसों वाली सरकार नहीं है, यह इम्लिमेंट करने वाली सरकार है।

श्री अध्यक्ष: सचिव, विधान सभा द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचना।

सचिव, राजस्थान विधान सभा: राज्यपाल महोदय के आदेश की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) संसद/2008 दिनांक 3 जनवरी, 2009 निम्न प्रकार है:-

'दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के आदेश, जिसके द्वारा श्री देवीसिंह भाटी को और दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के आदेश, जिसके द्वारा श्री सुन्दरलाल, श्री भगराज चौधरी और श्री फतेह सिंह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए, मैं शीलेन्द्र कुमार सिंह, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष,

राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष, और

भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड(2) के अनुसार राजस्थान विधान सभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों-

को, इसके द्वारा उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

शीलेन्द्र कुमार सिंह
राज्यपाल, राजस्थान

मैं इस अधिसूचना को सदन की मेज पर रखता हूं।

एच.आर.कुड़ी,
सचिव

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि - अधिसूचनाएं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं
वित्त विभाग

श्री शांती धारीवाल, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की 49 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 49 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.12(44)वित्त/कर/07-33 दिनांक 24.7.2008 जिसके द्वारा मैसर्स पीजी फॉईल्स लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम फॉईल्स के सी-फार्म पर विक्रय करने की स्थिति में केन्द्रीय बिक्री कर की दर एक प्रतिशत की गई है।

2. अधिसूचना संख्या-एफ.2(26)वित्त/कर/1998-पार्ट-34 दिनांक 28.7.2008 जिसके द्वारा निजी कृषि भूमिधारी/निजी निवेश विकासकर्ता/निजी निवेश कर्ता एवं टाउनशिप परियोजनाओं को मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई है।

3. अधिसूचना संख्या-एफ.12(28)वित्त/कर/07-पार्ट-35 दिनांक 2.8.2008 जिसके द्वारा डाईंग प्रिन्टिंग और टैक्सटाईल प्रोसेसिंग इकाइयों को वैट में छूट दी है।

4. अधिसूचना संख्या-एफ.2(21)वित्त/कर/2000-36 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(21)/वित्त/कर/2000-23 दिनांक 19.5.2007 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या-एफ.2(6)वित्त/कर/03-37 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा रीको हेतु काश्तकारों से अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले काश्तकारों को आवंटित 25 प्रतिशत तक विकसित भूमि के संबंध में खातेदारी/भू-स्वामी स्वयं के नाम निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर का परिहार किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-एफ.2(50)वित्त/कर/06-पार्ट-38 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटित भूमि पर मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई है।

7. अधिसूचना संख्या-एफ.20(1)वित्त/कर/90-पार्ट-39 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा गांधीनगर क्लब, जयपुर को विलासिता कर में छूट दी गई है।

8. अधिसूचना संख्या-एफ.12(3)वित्त/कर/08-40 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा सर्किट हाउस व डाक बंगला को वैट अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या-एफ.12(3)वित्त/कर/08-41 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा सर्किट हाउस व डाक बंगला पर उपलब्ध समस्त खाद्य सामग्री को छूट दी गई है।

10. अधिसूचना संख्या-एफ.12(53)वित्त/कर/07-42 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या-एफ.2(25)वित्त/कर/08-43 दिनांक 14.8.2008 जिसके द्वारा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी, जयपुर को ऑथोराईज्ड कैपीटल रूपये 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रूपये करने हेतु निष्पादित दस्तावेज /विलेख पर देय मुद्रांक कर में छूट प्रदान की गई है।

12. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-44 दिनांक 14.8.2008 जिसके द्वारा पर्यावरण व हैल्थ सेस से संबंधित निर्धारण अधिकारियों की सूची जारी की गई है।

13. अधिसूचना संख्या-एफ.12(18)वित्त/कर/07-45 दिनांक 18.8.2008 जिसके द्वारा उत्तर भारतीय रेलवे को हाई स्पीड डीजल पर कर में 10 प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गई है।

14. अधिसूचना संख्या-एफ.16(3)वित्त/कर/04-पार्ट-II-46 दिनांक 20.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किये गये हैं।

15. अधिसूचना संख्या-एफ.12(41)वित्त/कर/2006-47 दिनांक 22.8.2008 जिसके द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 के लिये भांग हेतु कम्पोजिशन स्कीम जारी की गई है।

16. अधिसूचना संख्या-एफ.12(41)वित्त/कर/2006-48 दिनांक 22.8.2008 जिसके द्वारा डोडापोस्त के लिये कम्पोजिशन स्कीम जारी की गई है।

17. अधिसूचना संख्या-एफ.12(22)वित्त/कर/08-49 दिनांक 25.8.2008 जिसके द्वारा डीलरों के लिये वर्ष 2006-07 व 2007-08 के वार्षिक कर निर्धारण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

18. अधिसूचना संख्या-एफ.2(34)वित्त/कर/08-50 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा कूप द्वारा भू-पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को देय अनुदान हेतु निष्पादित किये जाने वाले परिवचन पत्र पर देय मुद्रांक शुल्क राशि 10/- रूपये का परिहार किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या-एफ.12(57)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा विदेशी डिप्लोमेट्स को देय रिफण्ड के संबंध में उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जयपुर-प्रथम को प्राधिकृत किया गया है।

20. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-52 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची संख्या-4 में संशोधन किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-53 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची-।। में संशोधन किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15) वित्त/कर/2008-पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की धारा-8 (3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है।

23. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-55 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची-। में संशोधन किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-56 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या-एफ.12(85)वित्त/कर/07-57 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या-एफ.12(85)वित्त/कर/07-58 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम की खरीद पर कर में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

27. अधिसूचना संख्या-एफ.4(39)वित्त/कर/96-59 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-85 दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है।

28. अधिसूचना संख्या-एफ.4(39)वित्त/कर/96-60 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-84 दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या-एफ.12(114)वित्त/कर/07-61 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-62 दिनांक 30.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या-एफ.10(47)वित्त/कर/93-63 दिनांक 2.9.2008 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म '' चैन कुली की मैन कुली' के प्रदर्शन को दिनांक 3.9.2008 से 17.9.2008 तक की अवधि के लिये मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

32. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-64 दिनांक 2.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट , 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-65 दिनांक 6.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-66 दिनांक 6.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-67 दिनांक 6.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)वित्त/कर/2001-68 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)वित्त/कर/2001-69 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है।

38. अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)वित्त/कर/2001-70 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा बीपीएल/अन्तयोदय परिवारों को पीडीएस की उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा आयातित खाद्य तेल विक्रय पर वैट में छूट प्रदान की गई है।

39. अधिसूचना संख्या-एफ.12(23)वित्त/कर/08-71 दिनांक 9.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची- II में संशोधन किया गया है।

40. अधिसूचना संख्या-एफ.12(23)वित्त/कर/08-72 दिनांक 9.9.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-76 (समय-समय पर यथा संशोधित) दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-73 दिनांक 12.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या-एफ.12(71)वित्त/कर/07-74 दिनांक 12.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या-एफ.4(24)वित्त/कर/90-पार्ट-75 दिनांक 15.9.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या-एफ.12(44)वित्त/कर/07-76 दिनांक 10.10.2008 जिसके द्वारा एल्युमिनियम फॉईल पर केन्द्रीय विक्रय कर की कन्सेशनल रेट एक प्रतिशत की गई है।

45. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/05-77 दिनांक 10.10.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(18)वित्त/कर/डीवी/2001-74 दिनांक 28.7.2003 में संशोधन किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-78 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

47. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-79 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-80 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा कतिपय पैट्रोलियम कम्पनियों को विक्रय पर सशर्त 4 प्रतिशत से अधिक कर पर छूट प्रदान की गई है।

49. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-81 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत हाई एण्ड लाईट स्पीड डीजल तथा पैट्रोल के विक्रय पर कर लगाया गया है।

श्री अध्यक्षः वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक।

समिति गठन प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि:-

1. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231(1) के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति'क' के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 (1) के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख' के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियू 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जो समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने रखी है, अध्यक्ष महोदय, आपके वैश्म में जब चर्चा हुई

थी, विधान सभा के माननीय सदस्यों की संख्या बल के हिसाब से निर्वाचन नहीं होकर यह अधिकार हम आपको देना चाहते हैं।

jyg/akt/7.1.9/13.50/2b

ताकि प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उनसे चर्चा करने के बाद हमारे आनुपातिक संख्या बल के हिसाब से मनोनयन हो जाए क्योंकि अब तक की परम्परा रही है, कभी भी निर्वाचन वित्तीय समितियों का हुआ नहीं है इसलिए मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य आपने जो बात रखी है, वह पहले माननीय मुख्य सचेतक द्वारा रखे गए प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् आप उसको प्रस्ताव के रूप में ला सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय को प्रस्ताव यह लाना चाहिए था। ...(व्यवधान)... आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए।

श्री अध्यक्षः छोड़िए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। यह प्रस्ताव रखे कि प्रक्रिया यह है लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम यह प्रस्ताव करते हैं कि सदन में माननीय अध्यक्ष को इस बात के लिए अधिकृत करें और फिर हम उसको हां, ना कर देंगे तो बात हो जाएगी। अब मैं जो कह रहा हूं वह दुबारा प्रस्ताव ले आए, और वह ऐसा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसन सर्वोपरि है, हमें आपकी निष्पक्षता पर विश्वास है, आपकी निष्पक्षता पर तो पूरा राजस्थान विश्वास करने लग गया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चलने वाली सभी कार्यवाहियों में सर्वोच्च अधिकार अध्यक्ष महोदय को प्राप्त है।

श्री अध्यक्षः छोड़िए।

प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसको स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्यः विधेयक का पुरःस्थापन

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची को देखें तो श्री शांती कुमार धारीवाल, श्री शांती कुमार धारीवाल, श्री शांती कुमार धारीवाल, और किसी से भी रखवा देते।

श्री अध्यक्ष: आप कार्यवाही चलने दें। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पुर:स्थापित भी करें। आप पुर:स्थापित करिए। करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1)...।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेवाड़ विश्वविद्यालय,....।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले अनुमति लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): हां, हां, ठीक है। ...(व्यवधान)... यह ले लिया क्या नाम परिवर्तन वाला? ...(व्यवधान)... मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम...।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए मंत्रीजी। माननीय सदस्य, प्लीज। ...(व्यवधान)...

प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2008, (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 11) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश 2008, (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को

पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम...।

श्री अध्यक्ष: ठहरिए, ठहरिए।

प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अध्यादेश 2008, (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 8) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008, (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

Gpc/akt/07012009/1400/2c

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वाद-विवाद प्रारंभ कर रहे हैं ....(व्यवधान)....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इंफार्मेशन पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल मोहर्रम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम है बिलान्दरपुर। पिछले साल भी वहां पर ताजिया इस वजह से नहीं निकाला जा सका कि जिस व्यक्ति को पिछले कई वर्षों से हमने लाइसेंस दे रखा है अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं, यह कृपया ध्यान रखें, अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं उस व्यक्ति के सान्निध्य में वह ताजिया नहीं निकालना चाहता। वहां 400 लोगों की आबादी है, 50 लोगों का एक गुट पिछले 20 साल से बराबर उस ताजिया को जबर्दस्ती लाइसेंस लेकर निकलवाना चाहता है। पिछले साल लॉ एंड आर्डर सिचुएशन यहां तक बिगड़ गई थी तो उस ताजिया को नहीं निकाला गया और वहां पीसफुली उस चीज को रखा गया। अब पुनः उसी व्यक्ति को वापस उस लाइसेंस का नवीनीकरण कराया गया है। पुलिस दल-बल वहां पहुंच गया है, पूरा गांव तनाव में है। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं जब पहले से ही इस बात की जानकारी थी पुलिस प्रशासन को भी थी, वहां के एसडीएम को भी थी तो पुनः उस व्यक्ति को लाइसेंस देने का क्यों श्रम किया? जब वहां का अल्पसंख्यक समुदाय ही यह चाहता है हम अपने तरीके से इस चीज को कर लेंगे, ग्राम पंचायत को आप यह जिम्मेदारी दे दें हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को राजनैतिक कारणों से लाइसेंस देना और अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं इसको स्वीकार करता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लोगों को वहां नोटिसेज थमा दिये गये हैं, उनको पाबंद किया जा रहा है, आम

लोगों को भी पाबंद किया जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी बात कहे और उनका मैं ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण प्रारंभ करने से पहले आपको धन्यवाद दूंगा और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। ....(व्यवधान).... भाषण से पहले अध्यक्ष महोदय, आपने आज जिस प्रकार से सदन का संचालन किया है और कल भी जिस प्रकार से आपने किया था मैं आसन के प्रति बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप बहुत अच्छी प्रकार से आसन का संचालन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद आपका। सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सदन को

आहूत करने के कारणों का भी उल्लेख होना चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य हैं जो मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न को देखेंगे, उसको समझेंगे और मैं समझता हूं जो नये माननीय सदस्य आये हैं विशेषकर हम तो सब पार्टी से जीतकर आये हैं, सामने वाले भी पार्टी से जीतकर आये हैं, निर्दलीय और अन्य माननीय सदस्य अपने बलबूते पर जीतकर आये हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि सदन की प्रक्रिया और नियमों में समझने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा माननीय सचिव महोदय ने यह कहा था कि राज्यपाल की सूचनाएं रखीं, पर सारी सदन की प्रक्रिया और कार्यवाही चलती है वह संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से चलाते हैं। यह जो अभिभाषण है यह अभिभाषण भी यहां पर संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से हुआ है। अब संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से यह अभिभाषण नहीं है तो यह अभिभाषण की श्रेणी में नहीं आएगा और इस कारण से इस पर बहस नहीं हो सकती, वाद-विवाद नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 176 के अंतर्गत आकर्षित करना चाहता हूं, मैं हिन्दी में ही इसको पढ़ रहा हूं। 176 राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो भी अपना जनरल इलेक्शन हुआ है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधान सभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बताएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें चार बात स्पष्ट हैं, दो बार राज्यपाल महोदय आएंगे। या तो राज्यपाल महोदय आएंगे कभी भी, जब नये सामान्य चुनाव हो और आम चुनाव के बाद में पहला सत्र आहूत हो तो राज्यपाल महोदय आएंगे और आम चुनाव नहीं है तो जनवरी महीने के पश्चात जब भी विधान सभा आहूत की जाएगी राज्यपाल महोदय आएंगे, उनका अभिभाषण होगा। तो पहली चतुराई तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह की गई आमतौर पर सरकार को 7 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का समय राज्यपाल महोदय देते हैं कि वह अपना बहुमत सिद्ध करें, लेकिन 14 दिन से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन यह समझा गया कि अगर दिसम्बर के महीने में ही यह करा लिया जाएगा तो फिर जनवरी के महीने में दुबारा विधान सभा होगी तो दुबारा राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चलिए, हम सरकार की इस बात से सहमत हैं कि राज्यपाल महोदय को दो बार आने की तकलीफ नहीं दी, एक बार में इन्होंने काम कर लिया। इतनी सहानुभूति तो राज्यपाल महोदय के प्रति हम भी रखते हैं, दो बार आते तो तकलीफ करते, एक बार आये। लेकिन फिर दूसरी बात है कि एक सत्र, विधान परिषद हो तो दोनों को मिलेंगे और विधान सभा है तो एक करेंगे, लेकिन इसमें एक बात बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल अभिभाषण देंगे, लेकिन राज्यपाल विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बताएंगे। राज्यपाल जब तक उसको आह्वान करने के कारण नहीं बताते तब तक वो अभिभाषण नहीं होता और उस अभिभाषण पर तब तक यहां पर चर्चा भी नहीं हो सकती। वो चर्चा होगी तो वह असंवैधानिक होगी और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि राज्यपाल महोदय के इस अनुच्छेद 176 के बाद में हमने नियमों प्रक्रिया के अंतर्गत चौदहवां नियम है उसके अंतर्गत हमने इसकी व्यवस्था की। उसके अंतर्गत यह जो हमारा अभिभाषण है उसके धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय डा. रधु शर्मा जी ने रखा और सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया वो अभिभाषण तभी वैधानिक होगा जब उसमें आह्वान के कारण दिये हुये होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा 1953 से लेकर आज तक सारे के सारे अभिभाषण मैं यहां लेकर आया हूं। यह मामूली मामला नहीं है, इस मामले का निपटारा आप केवल यहां पर खड़े होकर यह करके नहीं कर सकेंगे कि मैंने आपको सुन लिया, यह बात हो गई, यह मैं 1953 का पढ़ रहा हूं जो तत्कालीन राजप्रमुख जी ने कहा, मैं उन महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करना चाहूंगा जिनको आप इस सदन में वर्णित करेंगे और एक से लेकर 12 तक के वो काम उन्होंने बताये जो सदन में आपको करने हैं। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने 1983 का अभिभाषण, उसमें उन्होंने लिखा है इस प्रकार के कानूनात यहां बनाएंगे। इसके बाद माननीय अध्यक्ष

महोदय, 1988 का, इसके बाद 1993 का और पिछली कांग्रेस सरकार के पांचों कार्यकाल के और हमारी सरकारों के भी पांचों, शीलेन्द्र कुमार सिंह जी का जो अभिभाषण 18 फरवरी को हुआ था उसमें भी माननीय सदस्यों को सदन को बुलाने के कारण लिखे गये थे और यह माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं उनके आने पर भी उन्होंने कारणों का विवरण लिखा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अभिभाषण है इस अभिभाषण को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिए इसमें एक भी जगह नहीं लिखा है। अंत में इन्होंने लिखा है ....(व्यवधान).... सदन को क्यों बुलाया गया, सदन के बुलाने के कारण क्या हैं और सदन में, यह सदन क्या काम करेगा यह राज्यपाल महोदय ने नहीं बताया। राज्यपाल महोदय ने नहीं बताया तो अनुच्छेद 176 के अंतर्गत जो वैधानिक आवश्यकता थी उस वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह जो अभिभाषण रखा गया है, यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह अवैधानिक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर अगर फैसला नहीं हुआ तो राज्यपाल महोदय का सदन में आना अवैधानिक है, राज्यपाल महोदय के द्वारा दिया गया अभिभाषण अवैधानिक है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा इस पर आप व्यवस्था दें और अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है, यहां व्यवस्थाएं हुई हैं। यहां दो बार व्यवस्था हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने आसन से व्यवस्था की है। पार्लियामेंट से इसकी व्यवस्था हुई है, कौल एण्ड शकधर में लिखा है, मे की पार्लियामेंटेरियन प्रेक्टिस में लिखा गया है कि इस प्रकार का जब नहीं होगा ....(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लें, आपको जो दे रहे हैं वह मुझे कंठस्थ है किस समय कौनसा उठाया गया था और क्या लिखा था उसको भी समझ लीजिए। उसमें दो बात कही गई है कि अभिभाषण के लिए यह लिखना आवश्यक है और निर्देश दिये हैं अध्यक्ष महोदय ने कि आइंदा भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। हमारे यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद किसी सरकार ने आज तक गलती नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को और सरकार को चलाने वाले कारिंदों को और मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं इस मंत्रिमण्डल में ....(व्यवधान).... मंत्री हैं। भंवरलाल जी मेघवाल मंत्री हैं, परसादी लाल जी मीणा मंत्री हैं, बृजकिशोर जी शर्मा हैं। मैं कहना चाहूंगा यह प्रस्ताव मंत्रिमण्डल पास करता है। यह जो अभिभाषण है यह मंत्रिमण्डल स्वीकृत करता है। मंत्रिमण्डल का एक भी सदस्य खड़ा होकर बता दे।

मोहन/अरूण/07012009/1410/2d

इस प्रस्ताव में यदि यह कहीं भी लिखा हुआ है, यह भगराज चौधरी तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, यह भी जानते हैं, यह मदेरणा जी चले गये हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस पर बहस हो, इस पर डिबेट हो और अध्यक्ष महोदय, जब तक इसका निर्णय नहीं

होगा तब तक सदन में इस पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी गलती आखिर यह चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, मुख्य मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरीट हैं और सारे मंत्रिमण्डल में यह विषय आया है, एक इतनी बड़ी संविधान की अवहेलना, इतना बड़ा सदन के सारे कारणों का विवरण करके इस प्रकार का अभिभाषण लेकर यहां पर चले आए और अध्यक्ष महोदय, यह जो आज की आपकी व्यवस्था होगी, वह व्यवस्था कोई सामान्य व्यवस्था नहीं होगी इसलिए इस व्यवस्था को आप यह कह कर नहीं टाल सकते। मैं यहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं यहां सरकार को किसी प्रकार की दुविधा में नहीं डालना चाहता हूं, मैं सदन के अधिकारों का किसी का हनन भी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं, जिस अनुच्छेद के अन्तर्गत हमारे अनुच्छेद बने हैं, उनकी अगर पालना नहीं हुई हो, अध्यक्ष महोदय, तो इसके संरक्षक आप हो और इससे दूसरा बड़ा और कारण है, आपके काटे का कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपका फैसला नहीं कर सकता, हाई कोर्ट आपका फैसला नहीं कर सकता, इन अनुच्छेदों के बारे में जो व्याख्या आप करेंगे, अध्यक्ष महोदय, वह महत्वपूर्ण होगी। मेरे पास दो अध्यक्षों की व्यवस्था यहां पर है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि बुलाने के कारणों का विवरण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको सामान्य रूप से नहीं लें, आपकी इसमें लिखित में व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था हो, आप सरकारी पक्ष से भी पूछें, वह हमको बता दें, इसमें कहीं भी है तो, अगर है तो मैं विदड्रा करूंगा, मैं क्षमा मांग लूंगा। मदेरणा जी आ गये हैं, वह इन सब बातों को समझते हैं, 176 संविधान के अन्तर्गत इसमें लिखा है कि हम इसके कारणों का विवरण देंगे, आव्हान का। आप बता दीजिए, आप बहुत अच्छे वकील हैं, हेमाराम जी भी वकील हैं, अभी तो विपक्ष में थे तब तो आपको तकलीफ होती थी, अब तो नहीं होगी क्योंकि आप मंत्री हैं और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारी इन परम्पराओं को, हमारे इन नियमों को, हमारे कानून कायदों को, हमारे संविधान की व्यवस्थाओं को समझते हुए आप सदन की कार्यवाही स्थगित करें, आप चैम्बर में जाकर इसको देखें और इसको पढ़ें, आपके सचिव महोदय से भी राय लें, सदन शाखा से भी राय लें, माननीय सदस्यों से भी राय लें और जो भी सही बात हो सकती हो, उसका आप निर्णय करें। यह निर्णय केवल मैं विपक्ष में हूं इसलिए नहीं करा रहा हूं या मैं कोई इस कारण से नहीं करा रहा हूं, मैं इसलिए कराना चाहता हूं कि आगे आने वाली पीढियों में, आगे आने वाली सरकार में, आगे आने वाले कामों में हम संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं कर सकें और इसलिए मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं चाहता हूं कि इसी गंभीरता से आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक, संवैधानिक भूल की ओर हमारे उप नेता जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत आपने आज्ञा देकर कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और नियमों से संबंधी नियम बनाये हैं। मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, इसके नियम 14 की तरफ कराना चाहता हूं जिसमें लिखा है, राज्यपाल का अभिभाषण, पहले लिखा है, अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राजयपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव आएगा यानी अध्यक्ष महोदय, 176 (1) जिसका उल्लेख अभी घनश्याम जी ने किया है। अगर यह पूरा नहीं हुआ तो आपके नियम और प्रक्रिया के अनुसार यह भाषण, भाषण है ही नहीं, अध्यक्ष महोदय। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है इसके बारे में कई तरह की पहले भी व्याख्या हो चुकी है। इसी में, अध्यक्ष महोदय, एक बार 22.2.1964 को अध्यक्षीयपीठ से व्यवस्था दी गई थी उसमें लिखा है भविष्य में जब कभी भी राज्यपाल का अभिभाषण बनाया जाए जिसके लिए सरकार पूर्णतः उत्तरदायी है और इस संबंध में प्रावधान विशेष है, उसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमको राष्ट्रपति के अभिभाषण में संसद में कुछ किया जाता है, उसको हम देखते हैं, उसमें तमाम बातों का समावेश होता है, सेशन में क्या क्या विधायी कार्य होंगे उसमें सब के नाम होते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी माननीय सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर बात कही है, यह छोटी मोटी बात नहीं है, ऐतिहासिक, संवैधानिक भूल यह कमजोर सरकार कर रही है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: समझ में आ गई आपकी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, एक मिनट,अध्यक्ष महोदय। आप विधिवेत्ता हैं, अध्यक्ष महोदय, आपके संसदीय ज्ञान का इस सदन के अन्दर एक दो ही लोग हो सकते हैं, आप विद्वान हैं, अध्यक्ष महोदय, और आपमें जो लोकतांत्रिक भावना है, अध्यक्ष महोदय, वह बिरले ही अध्यक्षों में हुई है। आपका यह निर्णय अध्यक्षीय पीठ से दिया जाने वाला निर्णय इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... मेरी प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)... आप कार्यवाही स्थगित करें, अध्यक्ष महोदय, कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था देने भी तो दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप एक बार कार्यवाही स्थगित करके आप चैम्बर में पधारें ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उप नेता बोल दिये तो आप बोलोगे क्या ? उप नेता बोल चुके उसके बाद क्या बोलोगे? यह लायर नहीं हैं क्या, एडवोकेट हैं घनश्याम जी भी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचेतक जी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के उप नेता ने जो एक संवैधानिक प्रश्न रखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह एकपक्षीय है, समय समय पर इसमें अलग अलग तरीके के निर्णय तत्कालीन माननीय अध्यक्षों द्वारा दिये गये जिसमें तत्कालीन वर्ष 1963 में रामनिवास जी मिर्धा, तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा भी दिया गया है, उस निर्णय पर भी नजर फरमाई जाए और संविधान के जिस आर्टिकल 176 का हवाला आपके द्वारा दिया जा रहा है उसके तहत यह गवर्नर साहब का एक विशेषाधिकार है जिसके तहत उन्होंने अपना यह अभिभाषण इसमें प्रस्तुत किया है, सभी बातों पर गौर फरमाया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें निर्णय आपका सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संबंध में ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वेश्म में जाकर निर्णय करूंगा।

श्री अध्यक्ष: क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसके संबंध मं जाकर निर्णय करूंगा। दोनों दलों को बुला लो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मुझे कहने तो दीजिए। या आप अपनी बात मेरे मुख में रख दीजिए, वही कहता रहूं ...(व्यवधान)... प्लीज, प्लीज ...(व्यवधान)...

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): यही करके तो सुमित्रा जी को हरवा दिया आपने, हमारे अध्यक्ष जी पर तो मेहरबानी करो। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हराया ही नहीं जमानत ही जब्त हुई है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय उप नेता ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्री सतीश चन्द्र जी अग्रवाल, सदस्य द्वारा दिनांक 27.2.1963 में इस प्रकार की आपत्ति उठाई थी, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम निवास जी मिर्धा ने जो व्यवस्था दी, वह इस प्रकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रमित किया गया है, एक बार आप बिराजिए।

श्री अध्यक्ष: उपाध्यक्ष नहीं हैं अभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप बिराजिए, बिराजिए ...(व्यवधान)... मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, आप विफल रहोगे इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिराजो, महाराज, आप बिराजो, मेरे को डर लगता है आपका...(व्यवधान)... मैं यह कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन अलग अलग बातें हैं, उनके अंश पढ़िए, उसका अंश पढ़ देता हूं, उस समय बहस हुई थी और जो विचार आए थे, एक पैरा मैं पूरा पढ़ कर आया हूं, मुझे पता था कि उसकी एक चार लाइन आपको बताएंगे इसलिए मैंने आपको बीच में टोका कि आपके मुंह से यह लिखित में आने वाली व्यवस्था है, आपके मुंह से कोई इस प्रकार की बात निकल जाए जो हमेशा हमेशा के लिए लकीर बन जाए उचित, इसमें लिखा है, पेज 22 पर राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णय, साफ लिखा है उस समय बहुत हुई थी और जो विचार आए थे उनको ध्यान में रख कर अभिभाषण को बनाया जाना चाहिए, इस बात का इस बार भी ध्यान नहीं रखा गया, जो कि मैं समझता हूं, रखा जाना चाहिए और आशा करता हूं कि भविष्य में जिस प्रकार का संविधान में उल्लेख है उसको ध्यान में रखते हुए अभिभाषण को प्रस्तुत करने में सुधार किया जाएगा। यह उसी का है। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। मैंने उस समय दो बात की थी, एक फाइनेंशियल मेटर्स की बात की थी और एक उन्होंने बात की थी कि इसके अन्तर्गत बिल, कौन से आएंगे तो उसमें उन्होंने फाइनेंशियल मेटर्स का उल्लेख नहीं किया था, बिलों का उल्लेख किया था और इसमें तो न फाइनेंशियल मेटर्स का उल्लेख है, न बिलों का उल्लेख है, मैं आप चाहें तो सदन के पटल पर सारे के सारे आज 1953 से लेकर आज तक के हुए सारे के सारे मैं करने के लिए तैचयार हूं, आपके पढ़े हुए हैं, आप एक बार बुला कर उनको वैश्म में देख लें, मेरी बात गलत नहीं है। मैं यहां पर संविधान की भावना का आदर करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं सरकार को कटघरे में डालने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं विधान की इस बात के लिए खड़ा नहीं हुआ, इस पर व्यवस्था आपकी आए, वह इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनें आप, व्यवस्था इस प्रकार की हो कि जिससे संविधान की अवहेलना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप, यह सारे निर्णय भी हैं क्योंकि आपके बोलने के बाद में बहस करना उचित नहीं लगता, आप बोलेंगे तो वह निर्णय हो जाएगा और उस निर्णय के बाद में हम कुछ कहेंगे तो उचित नहीं है। आपके निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, आपके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, इस सदन के निर्णय को, अध्यक्षों को कोई चुनौती नहीं दे सकता इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आप बुला लें, महिपाल जी को, आप सब जो वकील हैं, प्रमुख बैठ जाएं, और बैठने के बाद इसका जो भी रास्ता निकले, कम से कम इस प्रकार का इस सदन के माध्यम से

ब्यूरोक्रेसी पर भी कंट्रोल करें। क्या बात हुई जो मंत्रि मण्डल के सामने लेकर आए और पढ़ने के बाद में यह इतने इतने रुपये, यह लाख लाख रुपये बढ़ा लें, छठे वेतन आयोग के बारे में, सरकार को सही राय नहीं दे सकते यह लोग? सरकार को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा करते हैं? इतना पैसा लेकर बैठते हैं। किस प्रकार की बात है यह? मैं मजाक में इसलिए यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं यह लोग और इसलिए मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस पर आराम से बैठ कर वेश्म में सुनें और फैसला करें। ...(व्यवधान)...

skp/akt/07.01.2009/14.20/2e

श्री अध्यक्ष: बैठिये, हो गया आपका काम। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने जो व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अपनी बात रखी है, पहले तो मैं माननीय उप नेता महोदय से भी यह निवेदन करूंगा कि मंत्रियों को बुलाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे ज्ञान पर इतना भरोसा आप करें। जो प्रश्न गम्भीरता के साथ रखा है उसको मैं उसी गम्भीरता से लेना चाहता हूं। व्यवस्था के सम्बन्ध में तत्काल भी व्यवस्था दी जा सकती है लेकिन मैं अपने आप में भी पूर्ण रूप से और संतुष्ट हो जाऊं और आपको भी पूरा संतुष्ट करूं, इसके लिए सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.20 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई।)

vkj/akt/07012009/1450/2h

(पुन: समवेत होने पर)
(14.50 बजे)
(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसकी गम्भीरता को समझते हुए, पूरी स्टडी करके और मैं व्यवस्था दूंगा। तब तक के लिए इस व्यवस्था को मैं रिजर्व रखता हूं और निवेदन करूंगा कि आप सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में? आप इसी सत्र में व्यवस्था फरमा देंगे अध्यक्ष महोदय? नहीं, इतना तो फरमा दें अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में अध्यक्ष महोदय?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसी सत्र के लिए कहा है। हां हां, इसी सत्र के

लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आपने संविधान की भावना के अन्तर्गत जिस प्रकार भी व्यवस्थान दी है, उससे इस आसन का सम्मान बढ़ा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आसन का सम्मान हम सब करते रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता होती, कल हम डाक्टर माननीय रघु जी शर्मा का और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुन पाते लेकिन वह कल जिस प्रकार की परिस्थिति हुई, उसमें हम नहीं सुन पाये। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय यहां पर आये, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, उस पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आवश्यकता तो थी ऐसे विषय के समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां उपस्थित रहते ताकि हम उनको बधाई देते कि भाई, आपने विश्वास का मत प्राप्त कर लिया, आपको बहुत-बहुत बधाई। अब वह नहीं हैं तो शांतिजी, आपको बधाई दे देता हूं कि आपने विश्वास का मत प्राप्त किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): विश्वास का मत तो तीन तारीख को ही प्राप्त कर चुके हैं। आपको पूरा अवसर था, उस समय आप उनको मुबारकबाद दे देते। आज तो सात तारीख है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब बोलकर दे रहे हैं ना। चलिये लेट सही, आपको दी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कुछ दे रहे हैं, ले लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेने में भी क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

( )

(श्री सुरेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अभिभाषण सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन होता है और उसके आधार पर सरकार अपना काम करती है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज बहुत प्रसन्नता है यह कहते हुए कि इस सदन में 108 नये माननीय सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं, पुराने सदस्य भी हैं और अब इस सदन की कार्यवाही प्रारम्भ कर रहे हैं। यह सदन रिप्रजेंट करता है राजस्थान के छह करोड़ से अधिक लोगों की भावना का और हम सब मिलकर इसमें उसका सहयोग कर सकें और जैसा हमारी माननीय नेता महोदय ने उस दिन कहा था, हम सरकार को राजस्थान के

विकास में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि जो भी सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होगी, हम उतना सरकार का साथ देंगे। जहां-जहां सरकार कुछ त्रुटियां करेंगी, हम सरकार की नजर में लाने का प्रयत्न करेंगे और यह हमारा कर्त्तव्य है। हम उसको दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ करेंगे। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं है। उनके नहीं होने से हमें कोई तकलीफ भी नहीं हैं क्योंकि यह उनकी पुरानी आदत है। पाँच साल तक विपक्ष में रहे, उन्होंने एक रिकार्ड बनाया। वे आये कृपा करके, वे यहां इस जगह बैठते थे और उन्होंने शपथ ग्रहण की और फिर जिस दिन साल में एक बार सेशन होता था, उस समय आते थे, उसके बाद नहीं आते थे।

एक और रिकार्ड बनाया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो यह रिकार्ड बनाया कि पाँच साल में एक बार भी एक वाक्य अगर किसी माननीय सदस्य ने इस सदन में नहीं बोला तो उसका नाम है माननीय श्री अशोक जी गहलोत, सदन के नेता महोदय का। यह उन्होंने बनाया, इसलिए इस बार भी बनाते...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): घनश्याम तिवाड़ीजी, आप भी एक शब्द नहीं बोलोगे तो कम से कम मुख्य मंत्री बन जाओगे। नहीं तो रह जाओगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये हेमारामजी तो मेरे मित्र हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ नेता महोदय फरमा रहे हैं कि एक भी शब्द नहीं बोला, उसका कारण यह नहीं था। उसका कारण सिर्फ यह था कि जो तत्कालीन समय में माननीय नेता थीं, उनके समय में जितना उनके पक्ष में बोल सकते थे, जब वे सारे बोलकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तो प्रतिपक्ष के बोलने की कहीं नौबत ही नहीं आई।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, लगता है कि इनको कोई बीमारी है, यह क्या बात है। आप बीच-बीच में टोकाटोकी करते हैं। आप बात को सुनना भी नहीं चाहते।

श्री सभापति: माननीय पारीक साहब, माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के उप नेता बोल रहे हैं। उनको अपनी पूरी बात कह लेने दीजिये। उसके बाद में आपकी बात हो तो कहने की कृपा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, वैसे आपने व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, मेरे से टोकाटोकी करें तो मैं आपकी टोकाटोकी का स्वागत करता हूं, आपको जवाब भी दे दूंगा। लेकिन मैं आपको सावचेत भी करना चाहता हूं। राजेन्द्रजी मेरे मित्र हैं, उत्तराधिकारी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। इनको मैं यह सावचेत करना चाहता हूं कि जब हम उधर बैठते थे, सुन लो भैया, जब हम उधर बैठते थे डाक्टर साहब, उस समय

इधर भी कुछ लोग बैठते थे...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय तिवाड़ी जी, आदरणीय उप नेता महोदय, यह उत्तराधिकारी से क्या मतलब है? यह मिलीभगत का खेल है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मेरी जगह जीतकर आये हैं। यह है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, यह बोलो आप। उत्तराधिकारी से क्या मतलब हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वही मतलब है, इनको हमने पट्टा दे दिया तो मैं एक सावचेत करना चाहता हूं। हम जहां उस समय बैठते थे, उस समय मैं बार-बार कहता था भई, बहस करो, टोको मत। कई लोग नहीं माने। नहीं माने तो उसका परिणाम उलटा हुआ। यहां बैठते थे बी.डी.कल्ला जी, मैंने कहा, टोको मत। सी.पी.जोशीजी को मैंने कहा, टोको मत। जुबेर खान को मैंने कहा था, टोको मत। संयम लोढ़ा को मैंने कहा, ज्यादा मत छेड़ो लेकिन ये लोग बात माने नहीं और नहीं माने तो इसका परिणाम हुआ। तो हमारा क्या है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह राजेन्द्रजी की तरफ इशारा है क्या आपका?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब जिनको समझना है समझ ले। हमको तो टोकोगे, उनको फिर जनता रोकेगी इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप टोको...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हम तो आपको टोक सकते हैं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपको यील्ड कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं तो टोक सकती हूं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप टोक सकती हो लेकिन वह बात कहां।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अरे वाह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब आप 1985 में मुझे टोका करती थी, वह बात कहां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 1985 में क्या था? सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1985 में ऐसी क्या बात थी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह यह थी कि इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू आती है। (व्यवधान) इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस घोषणा-पत्र पर हम अपनी चर्चा प्रारम्भ करें तो मैं यह आपका अभिभाषण जो है... (व्यवधान) यह है ना अभिभाषण, यह नहीं है? यह है? कौनसा है। मैं सबसे पहले इसी को स्पष्ट करना चाहता हूं और वह मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में शायद यह पहला अवसर है और माननीय सदस्य, आप खोज कर लो कि अगर मेरी बात में त्रुटि आ जाये और गलती आ जाये तो आप मुझे यह भी

कहेंगे कि मैं इस सदन का सदस्य रहने लायक नहीं हूं तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा। यह मैं आक्षेप कोई माननीय मंत्री पर, माननीय विधायकों पर नहीं लगाना चाहता हूं। संविधान की मूल भावना में यह अभिभाषण एक गरिमा की चीज है। यह अभिभाषण है, जिसमें नई सरकार जीतकर आई है। आपको जैसा भी जनादेश मिला, मिला, आप राज कर रहे हैं, राज आपको करना है, आप राज करेंगे, आप विकास का काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन हमारे यहां एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां सरकार अलग है और हमारे यहां पार्टी अलग है। हम सरकार को पार्टी का रूप नहीं दे सकते। अशोक जी गहलोत साहब जो हैं, कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता होंगे लेकिन वह सदन के नेता हैं, वह हमारे भी नेता हैं। वे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। अगर हमारी कुछ आवश्यकता होगी, कोई काम होगा। हमें जरूरत पड़ी थी कि पाली में तीन लोग जिनकी आँख खराब हो गई है, उन गरीब आदमियों की सहायता के लिए कहना है तो हमने दुरू मियां साहब से आग्रह किया कि आपने ब्यावर को दी, आप पाली को भी दीजिये। उन्होंने पाली को देने की घोषणा की तो यह मतलब है कि सरकार पब्लिक की है।

इसमें मैंने मेहनत करके छांटा है सभापति महोदय और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों और जिन्होंने भी यह अभिभाषण तैयार किया है, उन्होंने राज्य की जनता के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय किया है। उन्होंने इस घोषणा-पत्र के 31 पृष्ठ हैं इसमें, 24 पृष्ठ इसमें हैं जिनमें से पाँच में तो बी.जे.पी. की आलोचना की गई है, दो में यू.पी.ए. की बड़ाई की गई है...

Jkj/akt/15.00/2j/07.01.2009

और 24 पैरा, पेज हूबहू इस चुनाव घोषणा पत्र के इसमें लिख दिये गये, वाक्य भी नहीं बदला, मात्रा भी नहीं बदली, लगमात भी नहीं बदली और यह मैंने छांटा और यह मैं नहीं कह रहा हूं, अगर यह असत्य हो तो मैं इस सदन का सदस्य रहने लायक नहीं हूं और अगर यह सत्य है तो इस सदन में इस अभिभाषण की कोई कीमत नहीं। मैं पैरा 3, पेज एक, अभिभाषण का पैरा तीन और घोषणा पत्र का पृष्ठ नम्बर एक, यह 78 पैरेग्राफ हैं, सेवंटी एट और यह 78 के 78 में यह दोनों को आप उठा कर देख लीजिये, एक वाक्य नहीं बदला है, एक छोटी-बड़ी की मात्रा नहीं बदली और रख दिया गया, और सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह नकल ही नकल कह कर इस घोषणा पत्र में जो कुछ उसमें लिखा गया है उसका चार्अ बना कर मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। इसलिए रख रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी इस बात को देखेगी कि जल्दबाजी में सरकार

बनाती है, लड़ाई चलती रही, चलती है, हमारे भी चलती है, लेकिन जिस समय हमारे संवैधानिक कर्तव्यों को पालन करने की बात करते हैं, मैं पढ़ कर समय नहीं लेना चाहता, सारी दुनिया पढ़ेगी और इसलिए नकल ही नकल करके मैंने यह लिखा है, 78 पैरेग्राफ हैं, इन 78 पैरेग्राफ्स का मैंने यहां नम्बर लिखा है और यह घोषणा पत्र के पेज लिखे हैं और यह क्या-क्या घोषणा पत्र में लिखा है वह लिखा है और मैं इस पर दस्तखत करके सदन के पटल पर रखता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ रखता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यह घोषणा पत्र सरकार, यह चुनाव, यह अभिभाषण सरकार का अभिभाषण नहीं है और इसको लीक हो गया। लीक हो गया यह। यह घोषणा पत्र पहले लिखा गया, यह तो बंट रहा है और अभिभाषण राज्यपाल आते हैं तब लेकर आते हैं। तो आप इस घोषणा पत्र को इस अभिभाषण में लिख कर सारी सैंक्टिटी आपने खत्म कर दी। कैसे कर दी आपने, क्यों कर दिया आपने और आप इस कागज को ले जाइये, मैं दस्तखत करता हूं, घनश्याम तिवाड़ी, यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसमें कोई गलती नहीं होगी और आप लीजिये और मैं चाहता हूं, अनुमति है? सभापति महोदय, आपकी अनुमति से। लीजिये न आप, हां, आपकी अनुमति से मैं इसको रख रहा हूं और मैं आग्रह कर रहा हूं, यह सारा सदन देखेगा, सारी दुनिया देखेगी कि कांग्रेस पार्टी ने राज में आते ही जो सबसे पहला काम किया, वह सारी सैंक्टिटी को समाप्त करने का काम किया, संविधान की सैंक्टिटी को समाप्त करने का काम किया, संविधान के आर्टिकल 176 के अनुच्छेद को गलत करने का काम किया, इसके साथ इस घोषणा पत्र की आपने शुरूआत की।

सभापति महोदय, एक बड़ा काम और हुआ इस घोषणा पत्र में। वह काम भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। वह घोषणा पत्र का जो बड़ा काम है वह काम यह है, घोषणा पत्र में जो कुछ कहा गया, सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन होता है, मैंने कहा न दिग्है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि घोषणा पत्र की करामात देखो कि आपको विपक्ष में बैठा दिया, घोषणा पत्र की करामात है यह।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने जो बात कही है, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का इस्तेमाल करते हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए। जिस पार्टी को राजस्थान की छह करोड़ जनता ने जनादेश देकर सत्ता में बैठाया है अगर..(व्यवधान) जनादेश दिया है, आपको तो बैठाया है उधर और जनादेश...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बैठ जाओ, बैठिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। जनादेश नहीं होता तो हम इधर कैसे होते। आप सुनिये, सुनिये मेरी बात। (व्यवधान) हमारे चुनाव घोषणा पत्र...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बोलने दीजिये इनको।

श्री सभापति: माननीय सयदस्य, उप नेता महोदय बोल रहे हैं, बोलने दीजिये इनको।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): खण्डित जनादेश मिला है आपको।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बोलते ही रहो इसको, बस।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनो भी मत, आप मुझे टोकते भी रहो, मुझे रोकते भी रहो और मेरा जवाब भी सुनते रहो। आप पहली बार आये हैं..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): देखिए साहब, एक बात बताता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले आना चाहिए था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप पहली बार और दूसरी बार का जो राग पहले दिन से अलाप रहे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं अलापेंगे अब...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जरूरी नहीं है कि पाँच बार जीतने वाला आदमी यहां बहुत बड़ा तीसमारखां हो और जो पहली बार आया हो वह बिलकुल ही आप कुझ समझते नहीं हो। यह पहले दिन, अभी हम यहां पर बहुमत में हैं पहली बार आने वाले और सुनिये, एक मिनट, ममता।

एक माननीय सदस्य: पप्पू पास हो गया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, पप्पू पास हो गया, भैया, पप्पू पास हो गया, पप्पू की करामात भी देखना, अभी पाँच साल साथ-साथ ही रहना है अपने को। सुनो मेरी बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या है यह, इस तरह चलेगा क्या? नहीं, बहस इस तरह चलायेंगे? इस तरह बहस चलायेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। उप नेता महोदय, शुरू करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, क्या करूंगा मैं।

श्री सभापति: अभी काफी माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जो सदस्य बोल रहे हों उस वक्त कृपया मेहरबानी करके उन्हें सुनें, आपका जब वक्त आयेगा उस बात का आप अवश्य जवाब दें, तब तक हम अगर व्यवधान पैदा करेंगे तो इसके अंदर सदन का और आप सभी का समय जाया होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): धन्यवाद। वैसे मैं उनकी बड़ाई करने वाला था, वह तो बैठ गये, बीच में खड़े हो गये। मैंने कहा कि आप जैसे विद्वान आदमी को यहां पहले आना चाहिए था, आप लेट हो गये। यह मैं कह रहा था। इसलिए अब मैं तो तीसमारखां नहीं हूं, सही बात है, पाँच बार आ गया, तीसमारखां नहीं हूं लेकिन पहली बार आप आये हो तो आप फन्नेखां जरूरत हो और आपका मैं स्वागत करता हूं, आप इसमें रहिये। मैं दूसरी बात जो कह रहा था न, इस सारे अभिभाषण को मैंने ए टू जेड पढ़ा और अभिभाषण को पढ़ने के बाद में एक भी योजना, एक भी योजना अगर आप बता देंगे कि भई, यह योजना है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान हमने किया है, इतना रूपया इसमें लगेगा, इतना काम इसमें होगा तो हम हमारी राय इसमें दे सकते थे, अभिभाषण में। और अभिभाषण में हम सरकार क्या करने वाली है वह बताते हैं लेकिन इसमें क्या कहा गया है, आश्वासन ही आश्वासन, प्रोत्साहन दिया जायेगा, सुनिश्चित किया जायेगा, क्रियान्वयन किया जायेगा, निभाया जायेगा, बनाया जायेगा, चलाया जायेगा, प्राथमिकता दी जायेगी, प्रावधान किया जायेगा, लोक सभा चुनाव तक लोगों को लटकाया जायेगा और उसके बाद हम हमारे घर चले जायेंगे, यह है इसमें और इसलिए मैंने इसको छांटा एक-एक पैरा को, एक से लेकर अठहत्तर तक, एक से लेकर अठहत्तर तक पूरा मैंने छांटा, एक में भी एक रूपया खर्च करेंगे, यह बात नहीं है, एक में भी इतना काम करेंगे, यह बात नहीं है। केवल एक बात है, करेंगे, करेंगे, करायेंगे, नचायेंगे, लोटेंगे, सो जायेंगे और इसलिए यह आश्वासनों का जो पुलिंदा है, वह सरकार का दिग्दर्शन और वह घोषणा, अभिभाषण नहीं हो सकता। आप, सभापति महोदय, हमें आज्ञा देंगे तो आश्वासन की भाषा जो मैंने छांटी है प्रति पैरेग्राफ के हिसाब से, वह भी मैं सदन के पटल पर रख दूंगा ताकि लोगों को यह याद रहे कि इस प्रकार का घोषणा पत्र है। सभापति महोदय, अब मैं अंत में, शुरू में यह कहना चाहूंगा कि यह जो अभिभाषण है वह निर्जीव है, कोई व्यवस्था नहीं है, निष्प्रभावी है और रसों की बात करने वाले हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह नीरस भी है। यह निंदनीय भी हैं, निंदनीय इसलिए है कि राज्यपाल महोदय से आपने हमारी सरकार की आलोचनाएं कराईं, करायें। राज्यपाल महोदय ने की है आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन यहां ऐसे भी उदाहरण हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जब कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार की आलोचना कराने के लिए वामपंथी दलों ने लिखा उस समय राज्यपाल आये और राज्यपाल ने सरकार आगे क्या करेगी वह तो पढ़ा लेकिन जो केन्द्र सरकार की और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं पढूंगा, अभिभाषण में सरकार का है। राज्यपाल चाहते तो वह यह काम कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी हमारी आलोचना करे, अब करेगी, करना ही चाहिए, उनका धर्म है वह निभायें। लेकिन राज्यपाल महोदय के मुंह से इस प्रकार की बात कहलवा कर उन्होंने

उस परम्पराओं को भी तोड़ा है और इसलिए मैंने इसको निंदनीय कहा है, निरर्थक कहा है और आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि यह नकारात्मक भी है। नकारात्मक है, उन्होंने इसमें आह्वान भी नहीं किया कि हां, आओ। जो दो बात कही है, मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, यह सीकर से आने वाले माननीय सदस्य भी बैठे हैं, इसमें लिखा है आगे जाकर कि मेड़ता, सोजत और सीकर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। सीकर का नाम लिया है इसमें। मैं 62 साल का हो गया, सीकर में ही जन्मा था। आज तक सीकर में चालीस परसेंट मुसलमान भाई रहते हैं, 60 परसेंट हिन्दू रहते हैं शहर में, आज तक एक इतनी सी सुई चुभोने का काम हिन्दू-मुसलमान के नाम से सीकर में नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है सीकर में, इस अभिभाषण में लिखा है, सीकर में दंगा हुआ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, करवायेंगे यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं करायेंगे राजेन्द्रजी, मुझे विश्वास है। तो यह सीकर में, सीकर को, उसको बदनाम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने कहा है इसमें बहुत सी बातें मैंने छांटी है, मैं तो इसको धर्मशास्त्र की तरह से पढ़ रहा था, और धर्मशास्त्र को पढ़ते-पढ़ते मुझे आया कि...

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मेड़ता में भी दंगे नहीं हुए भाई साहब, मेड़ता में कभी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसका भी लिखा है। तो वहां आया तो आते-आते मैंने देखा कि इसमें यह बात भी नहीं है, फिर उसके अंदर जब बात करते हैं, दो श्लोक लिख दिये, संस्कृत लिखो पर अर्थ तो ठीक लिखो।

Bhs/akt/7.1.09/15.10/2k

बृजकिशोर जी को भी तो मंत्री बनाया है, संस्कृत मंत्री कौन हैं, ...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: ये ही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये ही हैं न,

सं गच्छध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।।

इसका अर्थ भी गलत लिखा दिया और नहीं तो ये तो मुझे ही पूछ लेते कम से कम। मैं अपने ब्राह्मण धर्म के नाते आपको कहता कि इसका अर्थ यह होता है यानी उन लोगों को आप दंडित करिये उन्होंने इतना बड़े मंत्र का गलत अर्थ लिखा दिया। इसका अर्थ लिखा जो लिखा वो आखिर में जो मंत्री है जो तो सारी दुनिया जानती है,

सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग् भवेत्।।

उसका अर्थ भी गलत लिख दिया अभिभाषण में गलत लिखने से क्या मतलब है। पहले संविधान का उल्लंघन उसके बाद परम्पराओं का उल्लंघन फिर उसमें नकल और उसके बाद उसमें शब्दों का अर्थ गलत उसके अन्दर सारी बात गलत। इस प्रकार से इसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं? यह बतायें। इस अभिभाषण में आधारहीन और हवाई घोषणाएं हैं इसमें एक चालाकी की। चालाकी बहुत बड़ी की गई वो चालाकी यह की गई कि इन्होंने घोषणा पत्र अभिभाषण में तो ले लिया लेकिन अभिभाषण में ले लिया पर जो प्रमुख बातें थी उन्होंने काट दी उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि गरीब आदमियों के लिए मकान बनाये जाएंगे। कौन से मकान, कितने बनाये जाएंगे घोषणा पत्र में तो कहा कि पच्चीस हजार मकान बनाये जाएंगे लेकिन यहां पर उसको टाल गये । उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि अभिभाषण और घोषणा पत्र में एक अन्तर है। ईमानदारी से जो अन्तर है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और मैं यहां खड़े होकर स्वीकार करता हूं कि अभिभाषण के अंत में लिखा है जय हिन्द और घोषणा पत्र में जय हिन्द नहीं लिखा है। यह अन्तर है। इस अंतर को मैंने स्वीकार कर लिया यहां ईमानदारी बरती है। अब घोषणा पत्र में और उसमें क्या फर्क है अभिभाषण में कलाकारी की है। घोषणा पत्र में वोट लेने का काम था उसमें लिखा है गरीब के लिए पच्चीस हजार मकान प्रतिवर्ष और अभिभाषण में इतना ही लिखा कि गरीबों के लिए मकान बनाये जाएंगे क्योंकि आप पच्चीस हजार की संख्या लिखते तो यह विपक्ष अगले साल पूछता कि बोलो पच्चीस हजार में से कितने बनायें फिर इन्होंने कहा कि दुर्घटना सहायता राशि में वृद्धि, उसमें लिखा है कि बीस हजार की वृद्धि और अभिभाषण में लिखा है वृद्धि। पंडित जी कहते हैं न वृद्धि-वृद्धि तो वृद्धि। नि:शक्तजन विवाह के लिए सरकार अधिक सहायता देगी यह अभिभाषण में लिखा है और घोषणा पत्र में लिखा है नि:शक्तजन विवाह के लिए पच्चीस हजार रुपये दिये जाएंगे, रुपये यहां भी खा गये। ...(व्यवधान)... यहां अमाउंट नहीं लिखा। इसी प्रकार घोषणा पत्र में लिखा कि केन्द्र की तर्ज पर कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग दिया जाएगा लेकिन यहां पर छठे वेतन आयोग के लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी। केन्द्र की तर्ज को खा गये। कर्मचारियों को सबसे पहला झटका ही यह लगा दिया आपने। हम तो दे चुके, कमेटी बना चुके और घोषणा पत्र में आपने लिख दी वो आप भूल गये। उनको पता है कि जिस समय ये राज में थे एक-एक करके पाँच हजार करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों के डकार गये। आप चौंसठ दिन की तनख्वाह खा गये और जो उपर्जित अवकाश था पाँच वर्ष का पन्द्रह-पन्द्रह दिन का उसका पैसा खा गये वो दोनों मिलाकर पाँच हजार करोड़ रुपये होते हैं। हमने तो आने के बाद बोनस दिया। बोनस जो दीपावली के दिन मिठाई का बोनस था वो भी चट कर गये

आप वो भी आपने पाँच वर्ष तक नहीं दिया । हमने आने के बाद एक-एक करके सत्रह की सत्रह उनकी मांगों को पूरा किया। आज अगर आप कर्मचारियों के हित की बात करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी जवाब दें उस समय बता दें कि ये पाँच हजार करोड़ रुपये जो कर्मचारियों के आप डकार कर बैठे हुए हैं आप कर्मचारियों को वापस दिला दें तो मैं मानूंगा कि आपने कर्मचारियों के हित की बात की है नहीं तो मैं मानता हूं कि कर्मचारियों के हित की बात नहीं की। केवल बात करने से ...(व्यवधान)...

श्री अशोक (खण्डार): सभापति महोदय, वो कैलाश जी मेघवाल साहब बतायेंगे। पाँच हजार करोड़ रुपये कहां गये और किसने खाये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अभी आसन से आपने व्यवस्था दी बीच में टोकाटाकी नहीं करेंगे। आपका नंबर आये तब बोलना। आपका नंबर आये तब बोलना।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री अशोक (खण्डार): वो पाँच हजार करोड़ कैलाश जी मेघवाल ने बताये है वो किसने खाये हैं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: आप भी तो वो ही काम कर रहे हो।

श्री सभापतिः राठौड़ साहब।

श्री अशोक (खण्डार): ...(व्यवधान)... कि ये पाँच हजार करोड़ रुपये किसने खाये हैं। कैलाश जी मेघवाल आपसे बार बार पूछ रहे हैं कृपा करके सदन को बता तो दीजिये आप वो पाँच हजार करोड़ रुपये गये कहां आखिर में।

श्री सभापतिः आसन पैरों पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): :आप उनको बैठाइये।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बैठिये, अशोक जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): क्या प्रमाण है आपके पास ...(व्यवधान)...

श्री अशोक (खण्डार): ...(व्यवधान)... पंडित जी वो पाँच हजार करोड़ रुपये की चिन्ता तो सबको है हमको भी है किसने खाये है।

श्री सभापतिः उप नेता महोदय, सदस्यों को काफी अपनी भावनाएं इस अभिभाषण के ऊपर बोलनी है सभी सदस्यों का समय 10 मिनट का तय किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे समय में वो काट लेना।

श्री सभापतिः आपके नौ सदस्य बोलेंगे उन्नीस सदस्य इधर से बोलेंगे इसलिए आप यह तय कर लें कि आपकी पार्टी से उधर से जो बोलने वाले हैं उनकी अगर बोलने की अभिव्यक्ति में वो समय कम करना चाहते हैं तो आप अपना समय बढ़ायें लेकिन समय

सीमा को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा नहीं तो फिर इधर से माननीय सदस्य बोलेंगे वो भी अपने समय का उल्लंघन करेंगे और आप सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे हुए हैं पूर्व सरकार के और उस स्थिति में उप नेता बने हैं आप। ...(व्यवधान)... इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है आप उप नेता बने हैं विपक्ष के तो कम से कम समय की अगर बाध्यता आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो कौन ध्यान में रखेगा। सदन को चलाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उप नेता महोदय और सदन के नेता महोदय का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक सदन नहीं चल सकता इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो समय सीमा रखी गयी है वो सभी माननीय सदस्यों के लिए बराबर रखी गयी है उसमें फैसला आप कर लें आपके दल से बोलने का अगर वो समय कम करके आप करना चाहें तो मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपने समय का बंटवारा किया है दलीय संख्या के अनुसार हमारे दल का जो समय है उसके अन्दर सेक्रीफाइस कर लेंगे। इनको पूरा बोलने दीजिये आप।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं दो बातें पूछना चाहता हूं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): यह क्या तरीका है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): पहली बात तो ये बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब दें तब पूछे लेंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: राठौड़ साहब। मीणा साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप सुनें तो सही हमें। हम भी आराम से सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री जी जवाब दें तब पूछ लें। ये सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: मीणा साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): हम भी तो आपको सुन रहे हैं आप हमें भी तो सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह नयी परम्परा कौन सी डाल रहे हैं।

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजें। ये अपनी बात कह दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): हम भी तो सुन रहे हैं आपको।

श्री सभापतिः आप तो विराजें एक मिनट।

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): सारी परम्पराओं को आप खुद तोड़ रहे हैं और नयी परम्पराओं की बात हर बात इंटरवीन आप करते हैं ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय तिवाड़ी साहब, यह बताइये ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मीणा साहब, विराजिये। राठौड़ साहब, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये कहां से पूछ रहे हैं किससे पूछ रहे हैं ? सरकार में बैठे मंत्री ...(व्यवधान)... किससे पूछ रहे हैं ये ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, कोई प्रश्नकाल नहीं है तो क्या पूछ रहे हैं ये?

श्री सभापतिः दिगम्बर सिंह जी, विराजिये आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय आप माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी को बोलने दें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजने की कृपा करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप मंत्री महोदय, क्या करना चाहते हैं बीच में टोक करके ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजने की कृपा करें। आप किरण जी विराजने की कृपा करें। ...(व्यवधान)...

डॉ.फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, सदन का नेता जवाब देगा यह आपने शिड्यूल में छापा है। सभापति जी, सदन का नेता जवाब देगा यह हमने शिड्यूल में छापा है।

श्री सभापतिः आप विराजें तो सही।

डॉ.फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): शिड्यूल में छापा है जवाब देंगे सदन के नेता यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने कौनसे नियमों में अनुमति प्रदान की है कौन से नियम में अनुमति प्रदान की आपने?

श्री सभापतिः आप विराजें तो सही।

डॉ.फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, जवाब देने के लिए आपने अलग समय सीमा तय की है सदन के नेता के लिए यह व्यवस्था की बात है सदन के नेता के लिए आपने घोषित किया है समय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): पहली बात तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कांग्रेस का घोषणा पत्र ...।

श्री नन्दलाल (प्रतापगढ़): काहे का प्रश्न पूछ रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): हमें भी बोलने दें ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने कौनसे नियम के अन्तर्गत अनुमति दी ...(व्यवधान)... ये नहीं बोलेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये नहीं बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः उप नेता महोदय, एक मिनट लूंगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सभी को दस तारीख तक इस अभिभाषण के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है इसलिए जब कोई सदस्य अपनी भावना व्यक्त करे आप उधर से बोलेंगे तब उधर से बोलेंगे आप उधर से कोई इंटरएक्ट करेंगे तो सदन का समय जाया होगा और उसके अन्दर सारगर्भित कोई अपनी चर्चा नहीं हो पाएगी इसलिए मेरा अनुरोध है सभी माननीय सदस्यों से कि आप बोल लें उसके बाद आप बोलने की कृपा करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजिये। आप वरिष्ठ नेता है। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजें तो सही।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये क्यों खड़े हो गये। बैठिये आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय मंत्री महोदय, आपसे इजाजत लेकर बोले थे आपने उनको बोलने की इजाजत दी थी ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मैं जब अनुमति दूं तब आप बोलें। आप तो विराजें। मैं सभापित की हैसियत से यहां बैठा हुआ हूं जब मैं अनुमति दूं तब आप मेहरबानी करे बोलने की कृपा करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आपने इनको इजाजत दी थी।

श्री सभापतिः आप विराजें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजियेगा प्लीज, आपने लेफ्ट और राइट दोनों का नाम ले दिया। आपके स्ट्रेट में भी कुछ लोग बैठे हैं उनको भी क्या करना है उनको बोलना है कि नहीं बोलना है आप इनका ध्यान रखिये उनका ध्यान रखिये, हमारा भी ध्यान रखिये ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः इस सदन में विराजे हुए सभी माननीय सदस्य अभिभाषण पर दस तारीख तक बहस के अन्दर हिस्सा लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... हम लोग भी तो हैं कहीं पर यहां सदन में हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है हमारी बात हम भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सभी के लिए है मैं सभी के लिए निवेदन कर रहा हूं। जो भी सदस्य

चुनकरके आया है चाहे वो निर्दलीय की हैसियत से है चाहे बसपा से है ...

कैलाश/अरुण 07.01.2009 15.20 (1) **2I**

श्री सभापति: जो भी सदस्य इस सदन में चुन कर आये हैं चाहे वह निर्दलीय हैं, चाहे बसपा से हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से हैं चाहे लोकजन शक्ति पार्टी से हैं सभी सदस्य अपनी भावना व्यक्त करेंगे ।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): भावना व्यक्त कब करेंगे । सभापति महोदय, आपने राइट और लेफ्ट दोनों का नाम ले लिया स्टेट का ध्यान ही नहीं रख रहे हो ।

श्री सभापति: मध्य भी बोल देता हूं कि मध्य के लोग, सभी लोग । मैंने आपको यह निवेदन किया कि सभी माननीय सदस्यों के हित में निवेदन किया है । सभी सदस्य अपनी भावना व्यक्त करेंगे, अभिभाषण पर 10 तारीख तक हमारी बहस इसी तरह से चलेगी इसलिए इसमें सहयोग करें आप ।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) सभापति महोदय, इनको क्या करना है वह बहन मायावती जी ने आप स्पष्ट निर्देश इनको दे दिये । अब यह नहीं माने तो यह इनके ऊपर हैं ।

श्री सभापति: मैंने आपको निवेदन किया कि सभी माननीय सदस्य इस अभिभाषण के ऊपर अपनी भावना व्यक्त करेंगे, बहस में हिस्सा लेंगे ।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): समय आप भी ज्यादा खराब कर रहे हैं, आप ज्यादा मत बोलिए डाक्टर साहब ।

श्री सभापति: विपक्ष के उप नेता बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए आप ।

श्री राजेन्द्र सिंह (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, सीनियर मोस्ट फाउल कर रहे हैं तो हम ज्यूनियर अच्छा व्यवहार कैसे करेंगे ।

श्री सभापति: सभी के हितों की रक्षा यह कुर्सी करेगी आप चिंता न करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह (उदयपुरवाटी): यह बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं वह अनुशासन को तोड रहे हैं ।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप विराजें । ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य विराजें । माननीय सदस्य बोलने दीजिए, आप विराजें । सदन को थोडा व्यवस्थित करने में सहयोग करें । ...(व्यवधान)... मेरा निवेदन है कि आप विराजें ।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आसन पांवों पर है हम आप लोगों से सीख रहे हैं । तीन चार दिनों से आप लोगों से सीख ही रहे हैं । ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य इनको बोलने दीजिए । उनको अपनी बात पूरी कहने दीजिए ।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): ...(व्यवधान)... लेकिन आप लोगों से हमने सब कुछ सीख लिया । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी देखा है आपको । सभापति महोदय ने एक व्यवस्था दी कि यहां पर जो सीनियर लोग हैं उनको ज्यादा समय देंगे और जो नवआगन्तुक हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे थे । व्यवस्था किसी वरिष्ठ सदस्य को देनी है तो जो नये आने वाले लोग हैं उनको अगर आप बोलने की व्यवस्था नहीं दोगे तो हम लोग कहां से सीखेंगे । जब बड़ा पेड़ हो जाता है तो उसमें पानी नहीं डाला जाता है उसकी छाया ली जाती है । तो यह बडे पेड़ हैं इनकी छत्रछाया में हम लोग रहना चाहते हैं । हम लोग तो नये पेड़ हैं तो अगर पानी हम पर डालो जो हम भी बडे पेड़ बन जाये । इसलिए व्यवस्था हमको दीजिए । हम लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहिर्गमन करते हुए भी इनको देखा है । चार दिन से हम लोगों ने आपस में वाद विवाद करते हुए भी देखा है और जो जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ वह हमने देखा है । हम इनसे क्या सीखेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा लेकिन सच्चाई है कि पहली क्लास में जि हम लोग आये हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग कुछ भी बोलें लेकिन सच्चाई यह है कि जो आचरण सबका रहा वह अच्छा नहीं है ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य इस सदन में जो भी सदस्य चुन कर आये हैं वह अपनी पूरी भावना व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं उनके हितों की पूरी रक्षा की जायेगी । उप नेता महोदय । ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मुझे कुछ पूछना था ।

श्री सभापति: मैंने सभापति की हैसियत से आपको निवेदन कर दिया है कि आप इन्हें बोलने दीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाडी(सांगानेर): I am not yielding. मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं आपको। I am not yielding.

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप जो बोल रहे हैं आपके ही मुतल्कि पूछ रहा हूं ।

श्री सभापति: नहीं आप मत पूछिये, उनको बोलने दीजिए फिर आप जवाब दीजिए ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मुझे भी मौका मिलना चाहिये ।

श्री सभापति: मंत्री महोदय आप विराजें । अभी नहीं, इनको अपनी बात कह लेने दीजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): सभापति महोदय, आप इनको प्रताडित कीजिए ।

श्री सभापति: मैं जब व्यवस्था दे रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): गलत तथ्य बता कर सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री सभापतिः ...(व्यवधान)... आप सब लोग वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के आप लोग क्यों बोल रहे हैं । ...(व्यवधान)... जब मैं यहां बीच में खड़ा हुआ हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, गलत तथ्य बता कर सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री सभापतिः यादव साहब, महर्षि साहब, किरण जी आप तो विराजिए ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह कानून की अवहेलना कर रहे हैं बार बार में ।

श्री सभापतिः आप तो विराजने की कृपा करें, उप नेता महोदय ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः ...(व्यवधान)... इनका पूरा हो जाये उसके बाद बोल लेना । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, यह नहीं हो सकता।

डा. रघु शर्मा (केकडी): ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, यह पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं इनको समय नहीं दोगे आप ।

श्री सभापतिः आप यादव साहब अपनी सीट पर पधारने की कृपा करें । सदन को संचालित करने में थोडी मदद करें । यह पाइंट आफ आर्डर के तहत कोई बात उठाना चाह रहे हैं उप नेता महोदय इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह क्या बोलना चाहते हैं । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): सभापति महोदय, आसन दवाब में नहीं आयेगा । ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकडी): आप लोग आसन को निर्देशित नहीं कर सकते । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): ...(व्यवधान)... आसन को निष्पक्ष होना चाहिये, यह क्या बात है ।

श्री सभापतिः पाइंट आफ आर्डर के तहत कोई भी सदस्य अपनी बात कह सकता है इसलिए उनकी बात सुन लेनी चाहिये, आप दो मिनट विराजें । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड(तारानगर): सत्ता पक्ष पाइंट आफ आर्डर नहीं ला सकता । ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः ...(व्यवधान)... सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और आपकी भी है, सबकी है । आप दो मिनट विराजें । ...(व्यवधान)... आप दो मिनट विराजें । माननीय सदस्य पाइंट आफ आर्डर के तहत क्या बात बोलना चाहते हैं । ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...(व्यवधान)... हमारे उप नेता महोदय का कथन समाप्त होने के बाद समय दीजिए । सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत बात है पहले हमारे उप नेता महोदय की बात समाप्त हो जाये उसके बाद ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य विराजने की कृपा करें । ...(व्यवधान)... आप विराजिए ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, बिलकुल गलत बात है जब तक उप नेता महोदय की बात समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप बीच में बोलने की इजाजत न दें ।

श्री सभापतिः आप विराजने की कृपा करें । ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप उप नेता महोदय को पुकारिए ।

श्री सभापतिः आप दो मिनट विराजने की कृपा करें । ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... यह घनश्याम जी तिवाडी धारीवाल जी से कैसे घबरा गये मेरी समझ में नहीं आ रहा है । ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, तिवाडी जी ने कहा था जो भी मेरे से सवाल करेगा मैं उसका जवाब दूंगा । अब क्यों घबरा रहे हैं मेरी यह समझ में नहीं आ रहा । धारीवाल जी कोई बात कहना चाहते हैं, आदरणीय तिवाडी जी ने न्योता दिया है । ...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): ...(व्यवधान)... आसन पांवों पर है कुछ तो शर्म करो । आसन पांवों पर है कुछ तो शर्म करो ।

श्री सभापतिः ...(व्यवधान)... आप दो मिनट विराजें । रोहिताश्व जी विराजें ।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सभापति महोदय, अब आसन पांवों पर नहीं है क्या ? ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, सीनियर का हाल देख लिया अब । ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप कृपा कर के विराजें । ...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आसन पांवों पर है कुछ तो शर्म करो । ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...(व्यवधान)... उसके बाद आप समय दे सकते हैं बीच में समय देना बिलकुल गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय शांति धारीवाल जी आप शांति भूषण नहीं है आप शांति धारीवाल हैं ।

श्री सभापति: ...(व्यवधान)... जब पाइंट आफ आर्डर के तहत वह कोई बात कहना चाहते हैं तब मैंने उनको पुकारा है । ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप शांति भूषण नहीं है आप शांति धारीवाल हैं । आप कोई कानुनविज्ञ नहीं है आप शांति भूषण नहीं है आप शांति धारीवाल हैं । आप बैठे रहिए सभापति जी का कहना मानिए, बैठे रहिए ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, तिवाडी साहब ने न्योता दिया है सबको । ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... पाइंट आफ आर्डर बीच में कैसे होगा, कैसी व्यवस्था दे रहे हैं सभापति जी । ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप शांति भूषण नहीं है आप शांति धारीवाल हैं । ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... बोलने दीजिए धारीवाल जी को । जब तक तिवाडी जी बोले कोई भी नहीं बोला तो अब धारीवाल जी बोल रहे हैं तो आप सारे के सारे लोग डर क्यों रहे हैं । डरने की कहां जरूरत है ।

श्री सभापति: आप विराजिए ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, हमारे उप नेता महोदय के कथन समाप्ति के बाद आप समय दें । ...(व्यवधान)...

(सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजे माननीय सदस्य । पाइंट आफ आर्डर के तहत, नियमों के तहत बोलने की इजाजत दी गई है । ...(व्यवधान)... अच्छा नहीं लगता आप दो मिनट बोलने दीजिए । ...(व्यवधान)...

ans/akt 15.30 2m 07012009

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उप नेता को सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) नहीं, पहले इनको सुनिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले उपनेता को सुनिये।(व्यवधान) आप खुद व्यवस्था दे चुके हैं। पहले उपनेता महोदय को सुने।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):तिवाड़ी जी क्या चाहते हैं यह तो पूछ लो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, आसन की कोई गरिमा होती है, गरिमा को बचाकर रखिये। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले उपनेता महोदय को सुनिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बिराजिये तो सही। आप बिराजिये तो सही, आप बिराजे तो सही। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह सच्चाई से डर रहे हैं इसलिए बोलने नहीं देना चाहते किसी को। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपनेता महोदय को बुलवाइये पहले। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप पहले कुर्सी पर पधारे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह आसन निष्पक्ष है (व्यवधान) पहले हमारे सदन के उपनेता बोलेगे....(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले यह बोलेंगे उसके बाद कोई बोलेगा, पहले उपनेता महोदय बोलेगे। (व्यवधान) पहले घनश्याम जी उपनेता महोदय बोलेगे।

श्री सभापतिः आप यहां आकर क्या करेंगे, आप मेहरबानी करके बिराजे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले इनको बुलाइये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हम तो आप पर मेहरबानी कर देंगे, हम तो आपके ऊपर मेहरबानी कर देंगे (व्यवधान) उपनेता महोदय को बुलाइये।

श्री सभापतिः आप बिराजे तो सही। अजी आप बिराजे। यह बिल्कुल शांत है आप तो बिराजिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

एक माननीय सदस्यः सभापति महोदय, आसन की गरिमा होती है आसन की गरिमा को बनाये रखिये।

श्री सभापतिः आप अपनी कुर्सी पर बिराजे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पूरा राजस्थान हमारे सदन की कार्यवाही देख रहा है। (व्यवधान) सभापति महोदय, उप नेता का नाम पुकारिये। (व्यवधान) आप उपनेता का नाम पुकारिये। (व्यवधान) उपनेता का नाम पुकारिये, पहले उपनेता का नाम पुकारिये। तिवाडी जी उपनेता का नाम पुकारिये।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं दे रहा हूं व्यवस्था बिराजिये।

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदन के उपनेता महोदय उनकी भावना के विपरित आचरण कर रहे हैं सारे सदस्यगण आपके । (व्यवधान) आपने खुद ने इनवाइट किया कि मैं इन्टरवेन पसंद करता हूं (व्यवधान) आपने खुद ने कहा था कि टोकाटोकी करें बीच में। (व्यवधान)

श्री सभापतिः रघु जी बिराजने की कृपा करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हमारे उपनेता को पुकारे सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप अपने स्थान पर पधारे। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य है आप क्यों व्यवधान कर रहे हैं, आप बिराजे, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) आप बिराजिये तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप अनुमति दे इससे पहले...(व्यवधान) नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 272....(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजिये तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप 272 पढ़िये।

श्री सभापति: आप बिराजिये तो सही।

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय राठौड़ साहब (व्यवधान) यह नेता है तिवाड़ी साहब की तरफ से।

श्री सभापति: रघु जी बिराजिये। (व्यवधान) रघु जी बिराजिये। आप सभी माननीय सदस्यों से जो इस सदन में बिराजे हुये हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य बोलने के लिए जब खड़े हो और जब वह अपनी भावना और अभिभाषण की बहस में हिस्सा ले रहे हो अगर हम ने पाइंट ऑफ आर्डर या किसी भी तरह से हम लोगों ने अगर बीच के अंदर उनको रोकने की कोशिश की या क्वेश्चन पर हमने प्रतिक्वेश्चन करने की कोशिश की तो यह सदन अपना समय जो महत्वपूर्ण जनता ने हमें दिया है वह समय हमारा बेकार जाएगा इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी सदस्य वरिष्ठ हैं। मंत्री महोदय मुझे (व्यवधान) आप उपनेता महोदय को बुलाने दीजिए। बोलने दीजिए (व्यवधान) सदन को संचालित करने के लिए..(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मंजूर किया (व्यवधान) अधिकार है पाइंट ऑफ आर्डर के तहत मैं बोलू....

श्री सभापति: सदन को चलाने के लिए (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप अपनी व्यवस्था क्यों बदल रहे हैं। (व्यवधान) यह तो बड़ा आसान हो जाएगा।

श्री सभापति: अजी आप बिराजिये तो सही। (व्यवधान) आप बिराजिये तो सही

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, तिवाड़ी जी से तो पूछ लो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप अपनी व्यवस्था क्यों बदल रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजिये तो सही, श्रवण कुमार जी, बिराजिये, बिराजिये। माननीय सदस्य (व्यवधान) अजी आप तो बिराजिये इधर, आप क्यों खड़े हैं आप बिराजिये। (व्यवधान) डा0 साहब बिराजिये आप भी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर से आ सकते हैं कैसे नहीं आएंगे (व्यवधान) कैसे नहीं आएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, काफी सदस्यों को अभी अभिभाषण की बहस के अंदर हिस्सा लेना है, उन्हें बोलना है इसलिए हमको सदन चलाने के लिए जब तक हमारी आपसी समन्वित सहमति नहीं बनेगी जब तक हम सदन नहीं चला सकते। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति जी,तिवाड़ी जी ने न्योता दिया बहस का (व्यवधान)

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह उपनेता महोदय ने खुद ही कहा (व्यवधान) पूछिये आप उनसे। उन्होंने खुद ने मौका दिया है (व्यवधान) उपनेता महोदय ने खुद ने ही मौका दिया है, आप पहले इनकी भावना तो पूछ ले । (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपने...

श्री सभापति: राठौड़ साहब बिराजिये आप।

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बिना बात सदन का समय जाया कर रहे हैं माननीय (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, यह नियम कायदे की किताबें सिर्फ इन्हीं के पास है क्या, सुबह से ले रखी है नियम कायदे की किताबें और यह तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को सदन में कोई विशेष व्यवस्था दे रखी है क्या (व्यवहार) हर मामले पर विपक्ष से दब रहे हैं बोलने दीजिए धारीवाल जी को, क्या बात कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान) किताब लेकर आ जाते हैं खड़े हो जाते हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पहले तिवाड़ी जी की भावना तो पूछ लो इन्होंने न्योता दिया है सबको। (व्यवधान) तिवाड़ी साहब क्या चाहते हैं पूछो पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजने की कृपा करें, बिराजिये तो सही। आप बिराजे, सदन को चलाना है अच्छे तरीके से इसलिए व्यवस्था दी जा रही है, बिराजिये तो सही। (व्यवधान) मैंने आपको बार बार यह अनुरोध किया है कि सदन में अगर हम इस तरह से बीच बीच में इन्टरवीन करेंगे (व्यवधन) सदन में 15 मिनिट अभी हमारे इस चीज के अंदर निकल गये इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मेहरबानी करके जो सदस्य बोल रहे हो (व्यवधान) आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है, दिया जाएगा , आपके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी लेकिन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह (उदयपुरवाटी): यह छात्रसंघ का कार्यालय हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको निवेदन किया मैंने, आपके सबके हितों की रक्षा की जाएगी, सबके हितों की रक्षा की जाएगी, पूरे हितों की रक्षा की जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह (उदयपुरवाटी): यह सारे के सारे....

श्री सभापति: किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा आप विश्वास रखे, आप बिराजिये, मेहरबानी करके मेरा अनुरोध है। मुख्य सचेतक महोदय क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह (उदयपुरवाटी): सारे के सारे छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रघु जी शर्मा (व्यवधान) यह सारे के सारे.....

श्री सभापति: आपके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। आप बिराजिये तो सही। सदस्य महोदय बिराजिये आप कृपा करके, मुख्य सचेतक महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, लगातार उत्पन्न हो रहे गतिरोध के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) जिस प्रकार माननीय सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर अपनी ओर से कुछ विचार व्यक्त किया था और बहुत गम्भीरता से अध्यक्ष महोदय ने उस बात पर मनन करने का और साथ में एक किसी भी प्रकार की व्यवस्था दिये जाने की बात को अपनी ओर से पक्ष रखा था ठीक उसी प्रकार से इस सदन के अंदर क्योंकि सदन परम्पराओं और नियमों के अन्तर्गत चलता है आज प्रतिपक्ष के उपनेता के वक्तव्य के दौरान संसदीय कायमंत्री अगर पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से कोई बात अपनी रखना चाहते है तो वह उनका अधिकार है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके उस अधिकार की रक्षा करते हुये उनको बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह सही है कि यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और 272 यह कहता है कि आपने जिस माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया जब तक वह अपनी बात पूरी नहीं करते तब तक बीच में कोई खड़ा नहीं हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाइंट आफ आर्डर में.... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, यह नियम कायदों का डिपार्टमेंट इनके पास में है क्या (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाइंट आफ आर्डर पर आ सकता है कैसे नहीं आ सकता।

श्री सभापति: श्रवण कुमार जी (व्यवधान) महेन्द्र जी बिराजिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): दूसरे सदस्य नहीं बोल सकते। (व्यवधान) बार बार खड़े होते हैं।

श्री सभापतिः आप बिराजे तो सही।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कानून इन्हीं ने बना रखा है क्या (व्यवधान)

दुर्गा/त्रिपाठी 070108 1540 2n

श्री सभापतिः आप विराजिये तो सही, नियम सबके लिये एक समान हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): नियम सबके लिये एक समान है तो बारबार ये क्यों कानूनी किताबें दिखा रहे हैं। हम भी दिखाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजिये तो सही। (व्यवधान) नियम सबके लिये बराबर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, हमारी पार्टी के माननीय उप नेता अपनी बात समाप्त कर लें उसके बाद अगर इनको कोई सवाल खड़ा करना है तो करें ना। इनको कौन मना करता है। अभी फ्लोर हमारे कब्जे में है। माननीय सदस्य, अपनी बात अभी कह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नियम 250 यह कहता है...। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाइण्ट आफ आर्डर कभी भी आ सकता है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजिये, महेन्द्रजी, मुख्य सचेतक महोदय बोलना चाह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय द्वारा जो बात कही गई है, नियम 270 यह कहीं पर भी नहीं कहता है कि पाइण्ट आफ आर्डर के माध्यम से कोई सदस्य अपना विचार नहीं रख सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जब नाम पुकारा, यह पढ़कर देख लीजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): महोदय, आप शांति से सुनिये तो सही। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। आपने भी किताबें देखी हैं, इन्होंने भी किताबें देखी हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से नियम 270 मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 'अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना'।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बस यही है। यही हम कह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप देखिये, माननीय। (व्यवधान) 'जब तक कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो, अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारा जाएगा। यदि एक ही समय में एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाए उसको बोलने का हक होगा'।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यही है, यही है, सभापति महोदय। यही मैं कह रहा था। आपको धन्यवाद। यह मैं कह रहा था, कोई भी नाम पुकारा जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इसमें यह कहीं नहीं दिया गया कि पाइण्ट आफ आर्डर...। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): धारीवाल साहब का पुकार लिया ना। धारीवालजी का नाम पुकार लिया ना। (व्यवधान) डर क्यों रहे हो, यह बताओ आप मेरे को। वे तो इन्वाइट रहे हैं और आप डर रहे हो। (व्यवधान) आपको क्या डर है, धारीवाल साहब ऐसा क्या बोल देंगे? (व्यवधान) आदरणीय तिवाड़ी साहब ने खुद ने न्यौता दिया है। आप डर क्यों हरे हैं, धारीवालजी को बोलने दो, क्या दिक्कत है आपको। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर, ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर अगर अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डरने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः उप नेता महोदय, आप अपना चालू रखें। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेरे उस पाइण्ट आफ आर्डर का क्या हुआ?

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आप नहीं समझो कि दादागिरी चलेगी। दादागिरी नहीं चलने वाली है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप दो मिनट विराजो, दो मिनट विराजो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेरे पाइण्ट आफ आर्डर का क्या हुआ? (व्यवधान) आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेहरबानी करके मुझे बतायें कि आप अपना निर्णय बदल रहे हैं तो किन कारणों से कर रहे हैं। (व्यवधान) किन कारणों से मेरा पाइण्ट आफ आर्डर...(व्यवधान) मुझे कारण बतायें आप। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आप बोलने दें धारीवालजी को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वे वेल में आ गये, वेल में, माननीय सभापति महोदय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह इनकी परम्परा है वेल में आने की। 5 साल वेल में रहेंगे ये। (व्यवधान)

श्री सभापतिः खाचरियावास साहब, विराजें आप। आप पीछे भी विराजें, माननीय सदस्य। श्रवण कुमारजी, आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मुझे आप बता दें कि किन कारणों से आप मेरा पाइण्ट आफ आर्डर नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ऐसा कौनसा धमका हो रहा है, धारीवालजी से डर गये। सारे के सारे धारीवालजी से डर गये। (व्यवधान) सभापतिजी, धारीवालजी से इतना डर क्यों रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजें तो सही। आप विराजें। इसमें हमारे सदन के महत्वपूर्ण

20 मिनट खराब हो गये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने खराब किये हैं। अगर दो मिनट धारीवालजी को सुन लेते...। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, कमाल की बात है, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कायदे-कानून नहीं जानते। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, आपसे नहीं सीखने हैं। (व्यवधान) आसन से बात करो। आप आसन से बात करिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपया सदन को चलाने में सहयोग करें। आप दो मिनट विराजिये। आप दो मिनट विराजिये। श्रवण कुमारजी, आप, श्रवण कुमारजी, विराजिये, महेन्द्रजी चौधरी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाइण्ट आफ आर्डर पर बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): दो मिनट बोलेंगे धारीवालजी, क्या बात है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, धारीवालजी को आपने खुद ने अनुमति दी है। सभापति महोदय, आपने खुद ने अनुमति दी है धारीवालजी को। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रवण कुमारजी, विराजिये। महेन्द्रजी, आप भी विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने टाइम नहीं दिया क्या। आपने टाइम नहीं दिया क्या। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या विराजें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। सदन को चलाने में सहयोग करें। (व्यवधान) विराजें आप। श्रवण कुमारजी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सभापति महोदय, आपने दो मिनट का समय दिया था। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाइण्ट आफ आर्डर पर बोलेंगे।

श्री सभापति: आप विराजें। आप सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपने नाम पुकारा है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सचेतक तो बोलेंगे। आप विराजें। आप तो बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन किसी से प्रभावित नहीं होता है। यह आसन प्रभावित नहीं होता है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपने प्रभावित करने की कोशिश की है आसन को। , माननीय तारानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नई परम्परा मत डालो, सभापति महोदय।

श्री सभापति: सदन के 25 मिनट जाया हो गये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय तारानगर से आने वाले विधायक महोदय, आसन को जितना प्रभावित करने की आपने कोशिश की है, पूरे दिन में शायद और किसी ने नहीं की होगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सहयोग तो करें कम से कम। आप विराजें तो सही।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार अव्यवस्था फैलाना चाहती है। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है।

श्री सभापति: सदन चलेगा कैसे, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आप दो मिनट इनको बोलने का समय दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: 20 मिनट इसी में चले गये हैं। आप मेहरबानी करके बैठिये। आप विराजिये। आप विराजिये, श्रवण कुमारजी। (व्यवधान) आहूजा साहब, आप तो विराजें। यादव साहब, विराजिये। (व्यवधान) यादव साहब, विराजिये।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा तो सुझाव है कि हाउस चलाने से पहले पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की, इनको कुछ ट्यूशन वगैरह दिलवाई जाए या इनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए। (व्यवधान) प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजने की कृपा करें। मुख्य सचेतक महोदय कुछ कहना चाहते हैं। आप विराजिये। मुख्य सचेतक कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान) मैं इनको अनुमति दे रहा हूं, आप विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये डाक्टर साहब हैं या एडवोकेट भी हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): घनश्यामजी तिवाड़ी बोलेंगे पहले।

एक माननीय सदस्य: पहले वीरेन्द्र बेनीवाल बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री ने आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिये आपसे निवेदन किया है। मेरा निवेदन है कि वे क्या कहना चाहते हैं, उस बात को पहले सुना जाए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सत्तापक्ष जान-बूझकर डिस्टर्ब करना चाहता है कि कहीं घनश्याम तिवाड़ी, विद्वान उप नेता इनकी पोल न खोल दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): वे क्या कर देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बोल लेने दो, एक मिनट में क्या हो गया। ऐसा धारीवालजी क्या कहने वाले हैं कि आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बना दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बना दिया। संसदीय कार्य मंत्री धारीवालजी क्या कहेंगे, ऐसा क्या कर देंगे, मतलब बोलने ही नहीं दे रहे हैं। यह क्या बात हुई। (व्यवधान) उस पाइण्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दे दी है, सभापति महोदय ने। इनका नाम बुला लिया था। (व्यवधान) आप घबरा क्यों रहे हो, ऐसा क्या कहने वाले हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी। (व्यवधान) ऐसी क्या बात है जो ये कहने वाले हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) सुन लीजिये, क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, या तो सदन को चलाने में सहयोग करें (व्यवधान) अगर इसी तरह से हमारा वाद-विवाद चलता रहा तो मैं आधे घण्टे के लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दूंगा। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.48 बजे आधा घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

Vps-usc-07.01.2009-16.10-2q

(पुन: समवेत् होने पर)

(16.18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: Thank you very much. लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं क्योंकि सम्माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कह रहे थे। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा If you could be kind enough to let him finish his deliberations. In case you have something then take it up in time. और अगर आप इन्सिस्ट करते हैं तो मैं फिर उप नेता, प्रतिपक्ष से यह निवेदन करूंगा कि you being a very senior Member Sir if there is.......(Interruptions)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दोनों व्यवस्था नहीं दें। माननीय सभापति महोदय, दोनों तरह की व्यवस्था मत दें। दोनों तरह की व्यवस्था मत दें, सभापतिजी। आपने व्यवस्था दे दी न अभी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप Let me, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं Don't try and read words before I conclude my statement. सिर्फ आपकी उदारता की बात कर रहा हूं। आदरणीय, ...(व्यवधान)... मैं, अगर ऐसी परम्परा अगर आपको लगती है कि पहले थी और कहीं आप किसी सदस्य के वक्तव्य के बीच में पाइंट आफ आर्डर आ सकता है I would want you to be.....(Interruptions)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): धारीवालजी को ही पूछ लीजिए, साहब।

श्री सभापति: मैंने आपको इजाजत आदरणीय सदस्य, दी कहां? I mean...(व्यवधान)... मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं इस बात के लिए कि इस डेड-लोक को तोड़ने में Somebody will have to be a little more large hearted and probably have a vision looking towards where we are heading to.

Spp/usc/7.1.2009/16.20/3a(1)

मंत्री महोदय, अगर आप इजाजत दें, मैं एक मिनट और निवेदन कर दूं। मैं यह चाहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय हो सकता है कोई ऐसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे हों। इनकी विद्वता पर हम आशंका नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रतिपक्ष आपका सहयोग करे और आपकी बात, क्योंकि आप स्वयं कहेंगे तब पता लगेगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि प्रतिपक्ष के आदरणीय उप नेता के वक्तव्य तक अगर यह इन्तजार कर सकते हों तो मैं चाहूंगा कि इस धैर्य का परिचय दें तो उचित रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं ..(व्यवधान)..

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, एक बार नहीं हजारों बार इस सदन में वक्तव्य के बीच में आसन द्वारा पाइंट आफ आर्डर मंजूर किये गये हैं। मेरा पाइंट आफ आर्डर जो था, उसको आसन ने मंजूर किया और मंजूर करके मुझे बोलने के लिये कहा। ...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपने अनुमति तो दी नहीं है।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपकी भावनाओं से आसन पूरी तरह से सम्बन्ध रखता है, महसूस भी करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष के उप नेता अपनी बात खत्म कर दें, उसके बाद यह कह दें अपना पाइंट आफ आर्डर।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, राजेन्द्र जी आपको बार-बार गाइड करते हैं। सभापति महोदय को बार-बार गाइड कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं यह निवेदन कर रहा हूं। एक मिनट, आप सब बिराज जायें।

आदरणीय मंत्री महोदय, आप भी बिराज जायें। ...(व्यवधान)... आप आसन को इतना असक्षम न समझें और आसन को नीतिगत राय देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन आप यह महसूस करते हैं कि शायद आसन अपना वक्तव्य देने में कहीं न कहीं कोई कटौती कर रहा है। इस तरह का आसन का उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है। कृपा करके आसन का सहयोग करने की आप चेष्टा करें। अपनी-अपनी बात को इगोस्टिक होकर अगर आप आसन से कहलवाना चाहेंगे तो आसन कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मैं पुनः इस चीज के लिये आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह जो डेड लॉक आया इस संबंध में प्रक्रिया के नियम का हवाला देना चाहता हूं। प्रक्रिया के नियम 294 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा। इसमें स्पष्ट दिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर फरमायें और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी के द्वारा जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया गया है, इस पर व्यवस्था देते हुए इन्हें दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री सभापति: एक मिनट, जब आपने 294 का दृष्टान्त दे ही दिया है Now let us read it. "...provided that the Speaker may permit." Now it is for the Chair to permit you or not. Why the Chair is being questioned every now and then?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): नहीं, मुझे परमिट किया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): चेयर ने परमिट किया है, यही निवेदन करना है। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: चेयर ने परमिट किया था। माननीय सभापति महोदय, चेयर ने परमिट किया था। चेयर की परमिशन के बाद ही यह बोलने लगे थे। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: Now let us be very clear about it. It is a very pointed question I think so which the Hon'bl;e Minister is put across whether the Chair permitted you or not. You know that is the question. Ok.

एक माननीय सदस्य: पहले से परमिट किया है सभापति महोदय। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: इस बात के लिये बहस की कहां आवश्यकता है। चेयर ने परमिट किया है या नहीं किया है, अभी यहां से पता लग जायेगा। एक मिनट, आप दोनों बिराजें। ..(व्यवधान)... अब इस बात पर कहीं कोई विवाद नहीं हो सकता। अगर ऑन रिकार्ड यह बात है कि चेयर ने परमिट किया है तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि अपनी बात को सूक्ष्म बिन्दु तक रहकर, आप जो कहना चाहते हैं, वह कह दें। अगर चेयर ने परमिट किया है तो मैं इस ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): परमिट नहीं किया। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः There can be no debate. As far as the records are concerned if they say 'yes' the Chair is permitted then I will permit the Hon'ble Minister to put across his views.

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): थैंक्यू। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रिकार्ड देखो, रिकार्ड मंगाकर देखो।..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्यः आप फिर खड़े हो गये। सभापति महोदय, ..(व्यवधान).. खड़े करने की व्यवस्था है, फिर यह खड़े हो गये। ..(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जब तक आसन पाँव पर हो तब तक हो ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अपनी अपनी सीटों पर बिराज जायें। आप बिराज जायें। ..(व्यवधान)... कृपा करके आप बिराजें तो सही। ...(व्यवधान) कृपा करके आप बिराज जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय, आपने प्रोसिडिंग देख ली क्या? मेरा आग्रह इतना ही था कि चेयर ने परमिट किया गया नहीं किया, प्रोसिडिंग में दिखवा लें।..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः जिस चीज का मैंने जिक्र किया है, अगर यह बात प्रोसिडिंग में है ..(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो फिर आप एडजोर्न करो हाउस को। तो फिर आप सदन को स्थगित करो। सदन में शून्यता तो कभी रहती नहीं ।..(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप एडजोर्न करो। सभापति महोदय, आप एडजोर्न करो। ..(व्यवधान)....

श्री सभापतिः मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। आसन के प्रति आपकी सदभावना है?

अनेक माननीय सदस्यः है।

श्री सभापतिः जब आसन पॉवों पर है तो फिर आप पॉवों पर क्यों हैं? क्योंकि इस बात की पुष्टि हमारे यहां अभिलेखों से ही हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक इस बात को, इस कार्यवाही को हम मंगवा लेते हैं, मैं ठीक पाँच मिनट के लिये ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दस मिनट के लिये। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप कब से आसन को आदेश देने लगे? (व्यवधान).. पाँच मिनट के लिये इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 4.26 बजे पाँच मिनट के लिये स्थगित हुई।)

pcs- usc- 07.01.2009-16.30-3b

(पुनः समवेत् होने पर)

(16.31 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापित पदासीन)

श्री सभापतिः मैं आपकी जानकारी के लिये, ऑन रिकॉर्ड जो चीज है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। "श्री सभापति – पाइन्ट ऑफ ऑर्डर के तहत कोई भी सदस्य अपनी बात कह सकता है इसलिये उनकी बात सुन लेनी चाहिये। दो मिनट आप बिराजिये।" इससे साफ जाहिर है कि आसन ने इस बात की परमिशन दी है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा। (व्यवधान) आप एक मिनट बिराजिये क्योंकि इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है और यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, which cannot be questioned by anyone. ऑन पाइंट आफ आर्डर, मंत्री महोदय, अब आप अपनी बात कहें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मुझे बड़ा दु:ख है कि पता नहीं क्या बात थी मेरे बोलने पर इतना एतराज उठाया गया। (व्यवधान)

श्री सभापतिः Sir, if you could be very specify. We have already ....

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता था लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा कि यह क्या बम डालेगा, क्या करेगा और इतना वक्त जाया हुआ, मेरा ख्याल है कि आपको भी इसका दु:ख होगा। मेरा यह निवेदन था सभापति महोदय .....

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): पाइन्ट ऑफ ऑर्डर की बात बताइये आप।

श्री सभापतिः आप कृपा करके, let us reach the point of order. Do you want him to reach to his point of order? Hon'ble Minister, please.

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है सभापति महोदय, कि जो तिवाड़ी साहब ने बातें उठायी हैं वे सदन को गुमराह करने की हैं। (व्यवधान) यह बिल्कुल पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है मेरा। मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आपने अपने भाषण में यह कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को बेवकूफ बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास रही, एक बार भी उन्होंने कोई वेतन आयोग दिया क्या। कर्मचारियों के लिए एक बार भी वेतन आयोग नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या हुआ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि .... (व्यवधान) सदन को गुमराह किया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, यह सच बात सहन नहीं करना चाहते फिर खड़े हो गये बीच में। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है सर, मेरा। फिर आप गलत बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कौनसी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय बंसल (पप्पू) (भरतपुर): यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यही व्यवस्था का प्रश्न है क्या। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं पुन: आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये बीच-बीच में खड़े होकर सभापति महोदय, बार-बार बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ... force to take action which are stringent?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक्शन आप लें .... (व्यवधान)

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): क्यों इन्टरफियर कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): .... (व्यवधान) के नाम पर सदन का समय जाया हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, ये मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति: आइ अगेन। आप बिराजें। दो मिनट आप बिराजें। I will read just one paragraph which probably should be enough for you to put your views across. "A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment ..." Now you be very specific. I mean, if there is something which the hon'ble member was putting across the floor of the House which does not make any issue, which is not in direct connection to the point of order because he has a ...(interruptions) ... just a moment, sir. He has a right to express his opinion and that opinion, if you feel, needs to be corrected, I think, due opportunity will be given to the Treasury Benches to put their views across. Now how does the entire gist of his statement make it a point of order, which you be kind enough to put across.

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): I am coming. सभापति महोदय, तिवाड़ी साहब ने अपने भाषण में यह कहा ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भाषण का पाइन्ट ऑफ ऑर्डर होता ही नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): कैसे नहीं होता। जो चीजें यहां पर आई हैं उन्हीं के बारे में बोलूंगा। तिवाड़ी साहब ने अपने भाषण में यह कहा ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, क्षमा करें। ये रिप्लाई कर रहे हैं क्या। यह व्यवस्था का प्रश्न है क्या। (भारी व्यवधान)

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): वह बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। आपको पता है कि ये क्या बोलना चाहते हैं। (व्यवधान) इन्होंने यह तय कर रखा है कि बारी-बारी से एक बार ये, एक बार ये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, यह मेरा अधिकार है कि मैं उन पर एतराज करूँ। मैं एतराज करूँ मेरा अधिकार है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है ही नहीं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप तय करेंगे क्या इनके अधिकारों का। नहीं कर सकते। आसन करेगा। बाहर बैठा दिया ना सरकार को। माननीय सदस्य आप तय नहीं करेंगे आसन तय करेगा। आप बैठ जाइये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप भी बैठ जाइये पहले। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, यह पाइंट आफ थोड़े ही है।

श्री सभापति: विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सदन की कार्यवाही में आपका सहयोग अपेक्षित है। आदरणीय मंत्री महोदय, आप जो बात फरमा रहे थे अगर वह आदरणीय सदस्य जो अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे थे, उनका आप उत्तर देना चाहते हैं तो यह आसन इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, एक। The reference of rule 294 generally relates to a matter which is so important that the present procedure of the House needs to be intervened. Now let us hear that serious deliberation which you wanted to raise under rule 294. Let us come to that. How serious was that matter that a need direct intervention from your end.

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो तिवाड़ी साहब ने कहा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र के काफी बड़े अंश राज्यपाल के अभिभाषण में समावेश कर दिये गये। मैं उस बात पर ले जाना चाह रहा हूं कि यह प्रेक्टिस हमेशा से रही है। जब भी राज्यपाल का अभिभाषण तैयार होता है, रूलिंग पार्टी जो कि चुनाव जीतकर आती है वह काफी हद तक उसमें समावेश करती है और इसी तरीके से मदनलाल खुराना का था। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (पप्पू) (भरतपुर): पाइंट आफ आर्डर के बारे में ज्यादा यही समझते हैं क्या सारा? (व्यवधान)

Msr/usc/1640/3c/07012009/

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): इसमें मुझे यह बता दिया जाय कि क्या इल्लीगैलिटी है? ...(व्यवधान)... अगर घोषणा पत्र के कुछ अंश अभिभाषण में समावेश कर दिये गये तो उसमें अवैधानिकता क्या है, इल्लीगैलिटी क्या है? यह बता दें मुझे।

श्री सभापतिः एक मिनट। मैं इण्ट्रप्ट इसलिए कर रहा हूं, आदरणीय मंत्रीजी ...(व्यवधान)... इण्ट्रप्ट इसलिए कर रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आपने जो कुछ माहौल बनाने की कोशिश करी कि, साहब, यह अवैधानिक है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आसन पैरों पर है।

श्री सभापतिः कृपा कर के ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अवैधानिक है, आप यह साबित कर दें कि किस प्रकार से अवैधानिक है?

श्री सभापतिः मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। मैं पुनः यह बात निवेदन करना चाहूंगा, आप इसी 294 के सैक्शन 6 में ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): इल्लीगैलिटी पर आ रहा हूं, इल्लीगैलिटी पर कह रहा हूं।

श्री सभापतिः नहीं ...(व्यवधान)... मैं पुनः एक बात ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जिस तरीके से इन्होंने कहा, मैं इल्लीगैलिटी पर आ रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बाहर निकालो सदन से इनको ...(व्यवधान)... सदन से बाहर निकालिये इनको, सभापति महोदय। ...(भारी व्यवधान)...

श्री सभापतिः नहीं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः सभापति महोदय, यह कार्यवाही चलने ही नहीं देना चाहते, यह माहौल बिगाड़ कर रखना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः सच सुनना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)... यह अपने ढंग से सदन चलाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जैसा माहौल बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से बताया इल्लीगैलिटी है, अवैधानिक है, यह बतायें कि किस तरीके से अवैधानिक है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराज जाएं। Let the Chair.....(Interruptions)

एक माननीय सदस्यः सभापति महोदय, पहले आप इनको बैठाइये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः एक मिनट, आप विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बाहर निकालो सदन से इनको ...(व्यवधान)... सदन से बाहर निकालो। ...(भारी व्यवधान)...

श्री सभापतिः एक मिनट आप विराजिये, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... सदन के उप नेता महोदय ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): यह बता दें कि यह किस तरीके से अवैधानिक है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सदन के बाहर निकालो ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): ऐसा नहीं हो सकता कि मर्जी आये जो बोल लें। ऐसा नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः उस दिन तो जवाब था नहीं, आज पूरा जवाब देना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... यह खीज मिटाने की कोशिश है इनकी। ...(भारी व्यवधान)...

श्री सभापतिः आदरणीय सदस्य, आप ...(व्यवधान)... आप अपनी-अपनी जगह पधारें। ...(व्यवधान)... उप नेता, आपके वरिष्ठ सदस्य इस बात को कहने में सक्षम हैं, आप अपनी-अपनी जगह पधारें। ...(व्यवधान)...इस बात की गम्भीरता को ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः अपनी-अपनी जगह पधारें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मैं सदन के, प्रतिपक्ष के उप नेता को इस बात के लिए टाइम दे रहा हूं, आप अपनी-अपनी जगह तो पधारें। उससे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा।

आपके इसी 294, जिसका जिक्र किया है आपने, 6 के बी यह कहते हैं, इसका यह है कि "A Member shall not raise a point of order; - to explain his position, or..." Why are you trying to explain a position?

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): एक मिनट। ...(व्यवधान)... एक्सप्लेन नहीं करी है, मैंने यह कहा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः Now just your entire deliberation is selected with trying to explain what? Now I ......(Interruptions)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, आप सुनिये मेरी बात को। आप सुनिये मेरी बात को, सभापति महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, इनका व्यवहार है न यह बाहर निकालने वाला व्यवहार है। आसन से इस प्रकार से ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, कटारिया साब को राइट नहीं है इस तरह की बात कहने का, बाहर निकालने का बोलने का ...(व्यवधान)... यह राइट इनको, विपक्ष को नहीं है ...(भारी व्यवधान)... यह अधिकार इनको नहीं है कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह तय तिवाड़ी साहब और कटारियाजी नहीं कर सकते।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.43 बजे दस मिनट के लिए स्थगित हुई)

Ars/usc/1650/3d/07012009/1

पुनः समवेत् होने पर

(16.53 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: Is the House in mood to continue or you would still want to....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकिण्ड, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आदरणीय, आप बहुत वरिष्ठ हैं लेकिन आसन भी कुछ नियमों से बंधा हुआ है क्योंकि जो विषय हमारे सामने है ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपकी अनुमति लेकर अगर वरिष्ठ माननीय सदस्य एक मिनट ही कुछ निवेदन करना चाहते हैं। जिस तरह का वातावरण बना है, लगता है सत्ता पक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता.. (व्यवधान) जिस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से इस तरह का वातावरण तैयार किया यह ठीक थोड़े ही है सभापति महोदय।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): चलाना आप ही नहीं चाहते हो।

श्री सभापति: मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आसन भी चाहता है कि सदन की कार्यवाही चले और आप सब भी चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति: उसके उपरान्त भी गतिरोध बराबर मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आप लोगों को, सबको मनन करने की आवश्यकता है और मनन करने में मुझे लगता है कि

आपको कुछ समय की और आवश्यकता है (व्यवधान) इसलिए मनन करने के लिए या आप अपने स्तर पर इस बात को गंभीरतापूर्वक सोचें कि आखिर इस प्रदेश की जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है और आज की इस व्यथा और यहां की परिस्थिति को देखते हुए आसन इस बात के लिए आपसे निवेदन करता है कि आप मनन करें ।

और इस परिस्थिति के अन्दर सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.55 बजे शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)